राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ५२ वां दिवस [संख्या ३५

शुक्रवार, दिनांक १४ अप्रेल, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, सहकारी, शिक्षा, पंचायत, समाज कल्याण, नियुक्ति, कृषि, विकास, उद्योग, यातायात, खनिज तथा रसद-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

हथियारों की लाइसेन्स प्राप्ति की अवधि में अभिवृद्धि

९६०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या यह सही है कि बारूद से चलने वाले हथियारों के लाइसेन्स की मयाद दिसम्बर १९६१ तक बढ़ाई गई है ? अगर हां, तो दिसम्बर १९६१ से पहले उपरोक्त प्रकार के हथियार बिना लाइसेन्स के रखने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालयों द्वारा दी गई सजाओं के सम्बन्ध में क्या कानूनी स्थिति होगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां। यदि किसी को सक्षम न्यायालयों ने मयाद बढ़ाने के पहले सजा दे दी है तो वह सजा बदस्तूर रहेगी।

श्री भीमसेन : मेरे प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब नहीं आया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): पहले की मयाद बढ़ा दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

श्री भीमसेन : जब मयाद बढ़ गई, इन लोगों ने केवल इस ख्याल से टाइम के

Page No.2

(श्री भीमसेन)

अन्दर अप्लाई नहीं किया लाइसेन्स के लिए, ऐसे लोगों को सजा मिल गई। उनके लिए लीनियेन्ट व्यू लेना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट के इन्टरप्रिटेशन पर है, कानून एक होता है।

बूसी ग्राम वृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति

९६१. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले के बूसी ग्राम वृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति को इस वर्ष दो बार समय पर ऋण—पत्रिका सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा बैंक में न भेजने पर उपज न बढ़ा सकने के कारण एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सहकारी विभाग के अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) पाली जिले में बूसी ग्राम बहुधन्धी सहकारी समिति नाम की कोई संस्था नहीं है। अतः अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : सहकारी समिति है साहब, मुझे खुद को मालूम है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा, दूसरे नाम की है, मैं बता देता हूँ।

पाली जिले में बूसी ग्राम की सहकारी समिति के नाम से कोई संस्था नहीं है, जैसा इस प्रश्न में लिखा है। अलबत्ता वृहत् बहुउद्देशीय सहकारी समिति नाम की संस्था अवश्य है, जिसका रजिस्ट्रेशन ५—११—५६ को हुआ था। पहला ऋण का प्रार्थना-पत्र २४—६—६० को दिया, जो अवैधानिक सभा द्वारा पास हुआ, जिसका पदेन अध्यक्ष विकास अधिकारी ने रख दिया। ५-९-६० को दूसरा ऋण-प्रार्थना-पत्र दिया, जो ५-९-६० को भेज दिया, जिस पर २०,७०० का ऋण मिल गया।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

कम उम्र के छात्रों की हायर सेकन्डरी कोर्स समझने की असमर्थता

९६२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:-

(क) सन् १९६० में हायर सेकन्डरी परीक्षाओं के क्या परिणाम रहे ?

(ख) क्या यह सत्य है कि छात्र नवमी और दसवीं कक्षाओं में इतनी कम उम्र के आ जाते हैं कि वे इस कोर्स को अपना नहीं सकते ? यदि हां, तो सरकार ने इसके बाबत में क्या सोचा है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि कोर्स इतना हेवी और स्टिफ है कि छात्र उसे समझने में असमर्थ हैं ?

उप—मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) हायर सेकन्डरी परीक्षा के परिणाम ४०.५ प्रतिशत तथा पूरक परीक्षाओं के परिणाम ५०.१६ प्रतिशत रहे।

Page No.3

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) जी हां। इस ही बात को ध्यान में रख कर सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया। उस कमेटी की सिफारिश पर हायर सेकन्डरी परीक्षा को दो भागों में बांट दिया। एक परीक्षा दसवीं कक्षा के बाद तथा दूसरी ११ वीं कक्षा के बाद।

(ग) यह प्रश्न अभी कमेटी के विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह केवल परीक्षा की दृष्टि से किया। लेकिन बच्चों की उम्र की दृष्टि से पाठ्यक्रम भारी पड़ता है, ऐसा कमेटी ने कहा था। उसको हल्का करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कमेटी ने अभी कोर्स के बारे में फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है, अन्तरिम रिपोर्ट दी है। उसमें जो सुझाव दिये उनको मान लिया है। कोर्सेज़ के बारे में अभी रिपोर्ट आने को है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या रिपोर्ट ऐसे समय पर आ जायेगी कि अगले सत्र की पढ़ाई शुरू होगी ? उसके पहले जो परिवर्तन करने होंगे वह सरकार कर सकेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगले सत्र तक मुश्किल होगा क्योंकि कोर्स प्रेस्क्राइब करने पर नई किताबें उपलब्ध हों, यह मुमकिन नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अन्तरिम रिपोर्ट आई है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आयेगी। अगर अन्तरिम और फाइनल में फर्क निकलेगा तो फाइनल को मानेंगे या अन्तरिम को ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा प्रश्न आयेगा, तब देखेंगे।

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अन्तरिम में जो सुझाव आते हैं, वे फाइनल में आते हैं।

पंचायत समिति नादोती के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के प्रायः स्थानान्तरण

६६३. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर-सु०) : क्या पंचायत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति नादोती, मुख्यालय बामनवास के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के स्थानान्तरण २ अक्टूबर, १९५९ के बाद तीन तीन बार किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी नहीं।

श्री पृथ्वीराज : अध्यक्ष महोदय, सन् १९५९, अक्टूबर से लेकर १९६०, सितम्बर तक एक मास्टर को तीन तीन जगह तब्दील किया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर दिया, 'जी नहीं'।

श्री पृथ्वीराज : उस मास्टर का नाम छाजूराम है। पहले वह सलावत में था, फिर उसको कोलेता भेज दिया, फिर सीतोड़ा भेज दिया। आप कहते हैं; 'जी नहीं'; इसकी मैं शर्त लेता हूँ अगर एक मास्टर को तीन तीन जगह नहीं भेजा हो।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): शर्त कर लें साहब।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक मास्टर को दो बार किया है, तीन बार ट्रान्सफर नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य बताते हैं तो मुझे वे नाम बता दें, मैं उसकी जांच कर लूंगा। अगर सही इत्तला होगी तो कार्यवाही करेंगे।

श्री पृथ्वीराज : मैंने नाम बताया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितने ऐसे मास्टर हैं उनकी डिटेल्स बाद में बता सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज : दो हैं। एक तो छाजूराम मास्टर है। पहले वह सलावत में था, फिर उसको कोलेता भेज दिया, फिर सीतोड़ा भेज दिया। और तीन जगह केवल तीन महीने के भीतर भीतर भेजा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो जगह ट्रान्सफर किया। पहले वह जिस जगह था, वहां से दूसरी जगह ट्रान्सफर किया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एक टीचर का कितनी दफा ट्रान्सफर हो सकता है, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का कितनी दफा ट्रान्सफर हो सकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी बन्दिश नहीं है। वैसे ट्रान्सफर आमतौर पर नहीं होने चाहिये। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है, तो करना पड़ता है। हरएक केस की अलग अलग देख कर कहा जा सकता है कि ट्रान्सफर उपयुक्त था या नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : परिस्थिति आदि की सारी जानकारी जो तब्दीली करते हैं, उनको रहती है और परिस्थिति के अनुसार जिनकी तब्दीली करने की जरूरत होती है उनकी तब्दीली करते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

सोशियल वर्कर्स की नियुक्ति

६६४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में सोशियल वर्कर्स की नियुक्ति सरकार की ओर से हुई है ? अगर हां, तो कितनी और किन आधारों पर ?

(ख) इनकी क्या योग्यतायें रखी गई हैं, क्या ग्रेड है तथा उनकी क्या ड्यूटीज़ रखी गई हैं? उनको किस कोष से वेतन दिया जायेगा?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द

Page No.5

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

धारीवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सोशियल वर्कर्स का अपोइन्टमेंट नहीं हुआ? आपने कहा, 'जी नहीं।'

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि सोशियल वर्कर्स की पोस्ट नहीं है कि जिसके ऊपर नियुक्ति का सवाल पैदा हो।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो सोशियल वर्कर्स थे वहां पर। जो सरकार के खजाने से तनख्वाह पा रहे हैं, वे काम कर रहे हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल ; वे कल्याण कर्त्ता हैं। वे कल्याण कार्य करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वे किसके अधीन हैं ? आपके अधीन हैं ? उनकी क्या ग्रेड है, कहां से तनख्वाह मिलती है, क्या होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में पूछते तो मैं बता देता। अभी बता सकता हूँ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पूछा नहीं, साहब, क्षमा करें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: कल्याणकर्त्ता का ग्रेड है ७०–४–६०–५–१४०, महिला कल्याणकर्त्ता, ग्रेड ७०–४–६० ई० बी० ५–१४०।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : कल्याणकर्त्ता को मुकर्रर करने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द : कल्याणकर्त्ता को मुकर्रर करने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न निवेदन किया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कल्याण करने की उनकी ड्यूटी है ।........

श्री अध्यक्ष : यह सारी निश्चित योजना है, उसके बारे में जानकारी कर लें। फिर पूछना चाहें तो मन्त्री महोदय से पूछ लें।

(विराम)

श्री लक्ष्मीचन्द।

डिविजनल कमिश्नरों द्वारा संचालित लोअर डिविजन क्लर्क्स की विभागीय परीक्षायें

६६५. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, १९६० में डिवीज़नल कमिश्नरों के द्वारा लोअर डिविजन क्लर्क्स की विभागीय परीक्षायें ली गईं ? यदि हां, तो किस किस डिवीज़नल में कितने कितने व्यक्ति परीक्षा में

(श्री लक्ष्मीचन्द)

बैठे व कितने पास हुए ? उसका डिविज़न-वाइज़ पर्सेन्टेज बताया जावे।

(ख) क्या सरकार उन लोअर डिविज़न क्लर्क्स की जो इस विभागीय परीक्षा में किसी कारणवश नहीं बैठ सके या परीक्षा में फेल हो गये हैं फिर से परीक्षा लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जी हां, यह सही है। परीक्षा में बैठने वाले व पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या तथा उनका डिविजन वाइज़ पर्सेन्टेज निम्न प्रकार है :–

नाम डिविज़न	बैठने वालों की संख्या	पास होने वालों की संख्या	पास होने वालों का पर्सेन्टेज
अजमेर	८१८	५५४	६३ प्र. श.
उदपुर	२६६	२५८	८६ प्र. श.
बीकानेर	१७८	१५६	८३ प्र. श.
कोटा	२६०	२५५	८८ प्र. श.
जोधपुर	६०४	२७३	४६.५ प्र.श.

(ख) यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

खारची व सोजत पंचायत समितियों में कैटल ब्रीडिंग हेतु प्रदत्त ऋण

६६६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची):– क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) खारची व सोजत पंचायत समितियों में पिछले चार वर्ष में किन किन को कैटल ब्रीडिंग हेतु ऋण किस किस तारीख को दिया गया ?

(२) उपरोक्त ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने किस किस स्थान पर कैटल ब्रीडिंग फार्म खोले व प्रत्येक फार्म पर कितनी कितनी गायें हैं ?

(३) क्या उपरोक्त सभी फार्मों पर सांचोरी नसल की गायें हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऋण प्राप्त करने वाले काफी व्यक्तियों ने गायें नहीं खरीदीं ? यदि हां, तो किस किस ने ?

(५) क्या उन व्यक्तियों ने वह ऋण की रकम वापिस जमा करवा दी है ? यदि हां, तो कब और किस किस ने ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका।

श्री बेनाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक महीने पहले प्रश्न दिया गया; फिर भी कहते हैं कि उत्तर नहीं प्राप्त हो सका।

Page No.7

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

हनुमानगढ़ के पुलिस सब-इन्सपेक्टर श्री महावीरप्रसाद द्वारा सोहनसिंह की पिटाई करने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु

६६७. **अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़, जिला गंगानगर के पुलिस सब-इन्सपेक्टर, श्री महावीरप्रसाद ने एक सोहनसिंह नाम के व्यक्ति की, जो जिला सीकर से आकर वहां बसा था, मारपीट की जिसके कारण सोहनसिंह को थाने में मृत्यु हो गई ?

(ख) सोहनसिंह को किस अपराध के सिलसिले में थाने में बुलाया गया था और वहां पर उसको किसलिये मारा—पीटा गया ?

(ग) क्या सोहनसिंह की लाश का किसी डॉक्टर ने मुआयना किया था ? यदि हां, तो इसकी क्या रिपोर्ट थी ?

(घ) क्या मरने से पहले मृतक ने कोई डाइंग डिक्लेरेशन भी किया ? यदि हां, तो वह क्या था ?

(ङ) क्या यह सही है कि वहां के डिप्टी-एस. पी. श्री रामसिंह को शुरू से इस केस के हालात मालूम थे जब कि सोहनसिंह थाने ले जाया गया ?

(च) क्या यह सही है कि सोहनसिंह की लाश का दाह—संस्कार उसके रिश्तेदारों द्वारा नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(छ) क्या पुलिस उच्चाधिकारियों ने इस केस की जांच की है ? पुलिस सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ क्या कदम उठाया गया तथा जांच की रिपोर्ट क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) भारतीय दण्ड विधान की धारा १७६ के अन्तर्गत की गई जांच में एस. डी. एम., हनुमानगढ़ ने ऐसा व्यक्त किया; किन्तु इस सम्बन्ध में डी. वाई. एस. पी., गंगानगर द्वारा अनुसन्धान करवाये जाने पर आरोप असत्य सिद्ध हुए ।

(ख) सोहनसिंह को प्रकरण संख्या ५४ भा० दं० सं० धारा ३६४ थाना हनुमानगढ़ दिनांक ११-६-६० के सम्बन्ध में घायल अवस्था में थाने में लाया गया था । अब तक के अनुसंधान के अनुसार इसके साथ थाने में कोई मारपीट किया जाना नहीं पाया गया ।

(ग) जी हां, डॉक्टर ने उसकी मृत्यु का कारण यह बताया है कि मृतक के शरीर पर चोटों के कारण सदमे से दिल जो पहले से ही रुग्ण था बैठ गया ।

(घ) इसका जिक्र केस नम्बर ५५ धारा ३०७/४४७ भा० दं० सं० की प्रथम सूचना में है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(ङ) जी हां ।

(च) जी नहीं, सोहनसिंह का दाह संस्कार उसके भतीजे पनेसिंह ने किया ।

Page No.8

(श्री रामकिशोर व्यास)

(छ) इसका अनुसंधान डी. एस. पी. गंगानगर ने किया है और मुकदमे की तफतीश के आधार पर अदम वकुआ की रिपोर्ट की है। सरकार ने इस सम्बन्ध में आयुक्त, बीकानेर व महानिरीक्षक, आरक्षी विभाग द्वारा एक सम्मिलित जांच करने के व एस. आई. श्री महावीरप्रसाद को इस पर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक सस्पेन्ड रखने के आदेश दिये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अनूपसिंह : आपने फर्माया कि थाने में उसे घायल अवस्था में लाया गया, थाने के बाहर उसके ऊपर वारदात हुई नहीं, पीटा नहीं; फिर घायल अवस्था में कैसे लाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह कहा कि इन्क्वायरी करा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि वाकये की जांच सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट ने की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, इन्क्वेस्ट रिपोर्ट।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन्क्वेस्ट रिपोर्ट के आधार यह तय हो गया है कि इस व्यक्ति को थाने में पीटा गया, इस कारण इसकी मृत्यु हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वेस्ट रिपोर्ट यह थी। उनका ख्याल था कि थाने में पीटा गया।

श्री भैरोंसिंह : जब इन्क्वेस्ट रिपोर्ट में इसका उल्लेख आया और आपने इन्क्वायरी कराई तो फिर सब इन्सपेक्टर के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसका इन्वेस्टीगेशन चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि मर्डर का केस हुआ, इन्क्वेस्ट रिपोर्ट आई; तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके तफतीश क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : तफतीश के लिये लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या एफ. आई. आर. चाक की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन के लिये मैंने लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर किया जाना चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने ऑर्डर दिया और एस. आई. को सस्पेन्ड किया गया या नहीं, सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने आदेश दिया, वह क्या यह था कि सब-इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड करके मुकदमा चालान किया जावे ?

Page No.9

श्री रामकिशोर व्यास : इसका मतलब यही है।

श्री भैरोंसिंह : 'मतलब' से कोई मतलब नहीं है; आपने ऐसा ऑर्डर दिया था नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये आपने कहा कि सूचना नहीं है। ये कह रहे हैं कि दुबारा इन्वेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास: डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इन्क्वायरी की और बाद में एस. डी. ओ. ने इन्क्वायरी की। उनकी राय डिफरेन्ट होने से गवर्नमेंन्ट ने यह व्यू निकाला कि इसकी दुबारा इन्क्वायरी की जाय।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि केस रजिस्टर क्यों नहीं हुआ ? प्राइमाफेसी केस बना है।

श्री रामकिशोर व्यास : तभी तो सस्पेन्ड किया है और इन्वेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केस रजिस्टर होने के बिना इन्वेस्टीगेशन नहीं हो सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैंने कहा कि यह मेरी जानकारी नहीं है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम): Is it departmental enquiry or investigation under the Criminal Procedure Code ? The House would like to know what enquiry is going on ?

श्री भैरोंसिंह : यहां क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन का सवाल है। यह तो सी. आर. पी. सी. के तहत जिस तरह से होना चाहिये हो सकता है। एस. डी. ओ. और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने जो इन्वेस्टीगेशन किया उनकी दोनों की रिपोर्ट में फर्क है और अलग-अलग परिणाम निकलते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों की इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट में फर्क है। इसीलिये....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के अनुसार हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes.

श्री अध्यक्ष : The question is simply this; या तो केस रजिस्टर हुआ हो, a regular case is registered and then investigation under Criminal Procedure Code is instituted.

श्री रामकिशोर व्यास : I shall look into it.

श्री भैरोंसिंह : एक दफा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने जांच की और उसके बाद में दुबारा गवर्नमेंट ने दो आदमियों से जांच कराई; यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जहां तक इन्वेस्टीगेशन से ताल्लुक है, क्या यह समझा जावे कि यह इन्वेस्टीगेशन हो रहा है वह सी आर. पी. सी. में जो तरीका लिखा हुआ है उसके अनुसार इन्वेस्टीगेशन हुआ या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ३०७ में पहले रजिस्टर था, उसके बाद में ३०२ में हुआ।

Page No.10

श्री भैरोंसिंह : तो आपके कहने का मतलब यह है कि पहले वाले केस का इन्वेस्टीगेशन हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : एक ही तो मामला है ।

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी डेथ नहीं हुई । उसके पहले ३०७ में रजिस्टर्ड था । उसके बाद में डेथ हुई और ३०२ में केस रजिस्टर हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब तो रेगुलर केस रजिस्टर हो गया है । पहले ३०७ में था और अब ३०२ में है ।

श्री भैरोंसिंह : पहले ३०७ का सोहनसिंह के खिलाफ नहीं किया है ।

श्रीमती सतवन्तकौर (श्रीकरणपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस में जिसको पीटा जाता है उसके खिलाफ केस दर्ज होता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह केस ३०७ का है ? जिसको पीटा उसके खिलाफ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस केस में उसकी डेथ हुई वह ३०२ का है ।

यह केस सोहनसिंह के खिलाफ रजिस्टर नहीं किया गया है; सोहनसिंह को पीटा है उसके खिलाफ किया है । पहले ३०७ का केस रजिस्टर किया गया था । रजिस्ट्रेशन केस का हुआ है वह सोहनसिंह के खिलाफ नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने स्पोट पर इन्क्वायरी कराई या नहीं, यह प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि थाने में उसको पीटा गया और उससे उसकी मृत्यु हुई और इन्क्वेस्ट रिपोर्ट आपको मिल गई तो फिर उसके लिये क्या किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि ३०२ का केस रजिस्टर हुआ ।

श्री रावतमल पारीक (नोखा) : क्या यह सही है कि ऊंट खोजते समय मारपीट हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है ।

श्री रावतमल पारीक : क्या यह सही है कि १५ दिन बाद बयान घटना के लिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : (श्री भैरोंसिंह से) आप क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने उसको मारा है उसके खिलाफ ३०२ का केस क्यों नहीं रजिस्टर किया गया ?

श्री रावतमल पारीक : क्या सोहनसिंह जुरायम पेशा था ?

श्री भैरोंसिंह : एक आदमी मारा गया थाने में और उसको आज ८ महीने गुजर गये, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जितने कीन इसमें आप हैं हम भी उतने ही कीन हैं ?

श्री भैरोंसिंह : कीन होते तो यह समय नहीं लगता ।

श्री अनूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी भी माननीय मन्त्री यह एश्योरेन्स दे दें कि ३०२ में केस रजिस्टर किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : इस चीज को छिपाने के लिये आपने ३०७ का केस रजिस्टर कर दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : जिसके खिलाफ शिकायत होगी उसका प्रोसीक्यूशन होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि दो घटनाएं हुई थीं एक तो थाने में और दूसरी बाहर ?

[श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) बोलने लगे]

श्री अध्यक्ष : आप बीच में खड़े होकर न बोलें।

माननीय मन्त्री ने साफ कह दिया है कि दूसरा केस ही चलेगा। जहां तक इसमें पुलिस अधिकारियों का सम्बन्ध है इसमें जो गुनहगार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : कार्यवाही अगर सी आर० पी० सी० की तहत में होती है तब तो ठीक है और अगर उसके अनुसार नहीं होती है तो कोई फायदा नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि सी आर. पी. सी. में जो प्रोसीजर है उसके अनुसार होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : I think he has said that.

श्री रामकिशोर व्यास : सी आर. पी. सी. में कार्यवाही होनी चाहिये, उसी तरह से होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

चूरू जिले में हरिजनों को कूओं व कुंडों के निर्माणार्थ प्रदत्त धन-राशि

६६८. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चूरू जिले में सन् ५५ से ६१ तक हरिजनों को पानी पीने के वास्ते कितने रुपये कुंड व कूए बनवाने के लिये दिये गये ? तहसील वाइज़ व ग्राम वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री किशनाराम : यह जो आपने सूची दी है उसमें किन किन को रुपये नहीं दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट देख लें।

श्री किशनाराम : क्या कारण है कि दो तीन तहसीलों में ही रुपये दिये और दूसरी जगह हरिजनों ने मांग की मगर उनको रुपये नहीं दिये गये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितनी जितनी मांग आई और रुपये थे उसके अनुसार सारे जिले में रुपये दिये गये।

श्री किशनाराम : यह तो तहसील के कुछ गांवों में दिये। कुछ तहसीलें ऐसी रह गई हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि जैसी मांग आई थी उसके अनुसार दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अनूपसिंह।

तहसील उदयपुरवाटी के जमात उदयपुर स्कूल के हरिजन छात्रों की छात्र-वृत्तियों का स्थानीय अध्यापकों द्वारा नाजायज प्रयोग

६६६. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू, तहसील उदयपुरवाटी के जमात उदयपुर स्कूल के कुछ हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियों जो उन्हें समाज कल्याण विभाग की ओर से दी गई थीं, स्थानीय अध्यापकों ने उठा लीं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रों के प्राप्ति हस्ताक्षर भी अध्यापकों ने यह कह कर ले लिये कि रुपया आने वाला है; अतएव हस्ताक्षर करवा कर रसीद ले ली ?

(३) क्या तत्सम्बन्धी कोई शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों के पास हुई ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या एक्शन लिया गया ?

(४) वे कौन से स्कूल मास्टर्स हैं जिन्होंने यह नाजायज़ कार्यवाही की ? इसकी विभागीय जांच हुई तो क्या रिपोर्ट मिली और क्या एक्शन लिया गया ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) निरीक्षक, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, उदयपुरवाटी (ये सेन्टर) के द्वारा जमात स्कूल के १३ हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति के ७१ रुपया दिनांक १६. १०. ५६ को दिये गये जो कि उसी दिन सम्बन्धित छात्रों का दे दिये गये।

(२) यह सत्य नहीं है। छात्रवृत्ति उसी दिन छात्रों को दी गई थी।

(३) इस सम्बन्ध में कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने शिकायत की जिस पर जांच की गई और शिकायत निराधार साबित हुई।

(४) जब शिकायत ही निराधार पाई गई तो किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अनूपसिंह : क्या यह आपको मालूम है कि जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने उन लोगों से पहले से ही रसीदें मांग ली थीं और उनको पैसा तक नहीं दिया और अब उनकी उन रसीदों के आधार पर कह दिया कि पैसा उनको दे दिया, क्योंकि रसीदें उनके पास थीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन सब बातों की जांच करके इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि पैसा दे दिया था और शिकायत गलत थी।

श्री अनूपसिंह : रसीद पहले उन्होंने दी थी या उनको पहले पैसा दिया गया था ?

Page No.13

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इधर से रसीदें देते हैं और उधर से पैसा देते हैं ।

श्री अनूपसिंह : यह नहीं हुआ ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जांच किसने की ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

योग्य अध्यापकों की वर्तमान वेतन शृंखला में अनुपलब्धि

६५०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि आज-कल अच्छे अध्यापक वर्तमान वेतन शृंखला में उपलब्ध नहीं होते हैं और यदि होते भी हैं तो चन्द दिनों में शिक्षा विभाग को छोड़ कर अन्य विभागों में चले जाते हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि ३० साल तक शिक्षा विभाग में सेवा करने वाला ट्रेन्ड मेट्रिक्यूलेट ६०—४—१३० से ऊपर की वेतन शृंखला नहीं पा सकता जब कि ४—५ साल से कम सेवा वाले लोअर डिविज़न क्लर्क को भी उच्च लिपिक की वेतन शृंखला मिल जाती है जो ८०—५—१६०—८—२०० की है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) यह केवल ऐसे विषयों के अध्यापकों पर लागू होता है जिस विषय के अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं; जैसे एम.—एससी., अंग्रेजी, कृषि अध्यापक आदि ।

(२) जी हां ।

श्री मूलचन्द डागा : सरकार विचार भी कर रही है कि नहीं कि दो-तीन महीने नौकरी के लिए आते हैं और फिर छोड़ देते हैं; इसके लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह आम शिकायत नहीं है कि तीन महीने के बाद हर टीचर चला जाता हो । कुछ लोग जिनको अच्छी नौकरी मिल जाती है तो चले जाते हैं और वहां से भी दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल जाती है तो चले जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

मारवाड़ जंक्शन, रानी व रायपुर में पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखायें खोलना

६५१. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक ने यह निर्णय लिया है कि मारवाड़ जंक्शन, रानी और रायपुर में जन-हित को दृष्टि से ब्रांचें खोली जायं ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया और आज तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कागजात गत वर्ष से सहकारी विभाग के पास पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों, तथा अब कब तक

Page No.14

(श्री शंकरलाल)

ब्रान्चेज़ खोलने की स्वीकृति कर दी जावेगी ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। दिनांक २६—८—६० को अभी तक बैंक से तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होकर न आने के कारण।

(२) जी नहीं।

श्री शंकरलाल : आवश्यक कार्यवाही क्या बाकी रह गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन जगह के नाम बताये कि वहां ब्रान्चेंज़ खोली जावें। यह लिखा कि उस एरिया में पूरा सर्वेक्षण करके पता चलावें कि बाकी की वे ब्रान्चेंज़ कितनी संस्थाओं को फीड करेंगी और मैनेजमेंट अनइकोनोमिक तो नहीं हो जायेगा, इस बात की भी जांच की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

विकास खण्डों में टेण्डर सिस्टम से सामान की खरीद

६७२. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विकास खण्डों में सामान की खरीद टेन्डर सिस्टम से होती है और बहुधा इस तरह खरीदा हुआ माल मंहगा पड़ता है; क्योंकि बाजार में उसी सामान की कीमत कम होती है ?

(२) जब सीधे बाजार से खरीदने में सामान सस्ता मिलता है तो टेन्डर सिस्टम द्वारा खरीदना क्यों जरूरी है ? क्या समिति प्रधानों को सीधे बाजार से खरीदने के अधिकार नहीं दिये जा सकते ?

(३) विकास खण्डों के सामान की खरीद की जांच कौन करता है ? इस तरह की जांच किन किन खण्डों में हुई और वहां की रिपोर्ट क्या है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) विकास खण्डों में सामान की खरीद टेन्डर सिस्टम से होती है। यह कहना सही नहीं कि बहुधा टेन्डर प्रणाली से खरीदा हुआ सामान बाजार भाव से मंहगा पड़ता है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) विकास खण्डों में हिसाब की जांच लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के पूर्व महालेखापाल कार्यालय द्वारा तथा विकास विभाग की इन्टर्नल ऑडिट पार्टी द्वारा की जाती थी। अब लोकल फंड ऑडिट विभाग द्वारा की जाती है। कुछ एक खण्डों को छोड़ कर बाकी सब जगह के हिसाब की जांच की रिपोर्ट्स अब तक संतोषप्रद रही है।

श्री अनूपसिंह : क्या ऐसी कई एग्ज़ाम्प्ल्स हैं जहां टेन्डर से लिया हुआ माल मंहगा था और बाजार में सस्ता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हजारों—लाखों आइटम्स हैं। ऐसा मेरे ध्यान में नहीं।

Page No.15

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

फिर भी यदि माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो मैं उनको सूचित कर सकता हूं।

श्री अनूपसिंह : ऐसे कई विकास खण्ड हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसका उत्तर देना मुश्किल है। आप यदि यह महसूस करते हैं कि अमुक जगह टेन्डर का माल बाजार भाव से मंहगा था तो बतावें ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

फर्म्स द्वारा कोटे के माल की कालाबाजारी

६७३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों अथवा फर्म्स को १ अप्रेल, सन् ५७ से लेकर अब तक कब कब किस किस सामान का कितना कितना कोटा व Import licence के लिए essential certificate दिया गया है और किस किस कार्य के लिये :—

(१) भारत इन्डस्ट्रीज़, जयपुर

(२) श्री पी. दयाल माथुर

(३) श्री मुरलीधर झुन्झुनूवाला

(४) शारदा इन्डस्ट्रीज़, तथा

(५) श्री मानकचन्द गुप्ता एण्ड कं.।

(ख) उपरोक्त व्यक्ति व फैक्ट्रीज़ कहां कहां हैं तथा कब से कार्य कर रही हैं ?

(ग) इनका प्रत्येक का प्रत्येक वर्ष का प्रोडक्शन कितना कितना है और इस प्रोडक्शन का कब कब किस किस अधिकारी द्वारा किस प्रकार से वेरीफिकेशन किया गया है ?

(घ) क्या इनके विरुद्ध कोटे के माल को ब्लेक में बेचने की भी शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) १,२ व ५ का यह जवाब है कि इन नामों से कोई इन्डस्ट्रीज़ नहीं हैं, अलबत्ता (अ) भारत वायर प्रोडक्ट्स, जयपुर, (ब) राजस्थान साइकल एन्ड पार्ट्स इन्डस्ट्रीज़, जयपुर के नाम से है जिससे श्री पी. दयाल माथुर सम्बन्धित हैं।

माणकचन्द गुप्ता नाम की कोई इन्डस्ट्री न तो इन्डस्ट्रीज़ विभाग में रजिस्टर्ड है, न कोई कच्चा माल दिया गया।

नम्बर १,२ व ३ को जो कोटा सर्टिफिकेट व एसेन्शियटी सर्टिफिकेट दिये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

नम्बर ४ को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट जारी किये गये थे लेकिन सरकार की आज्ञा द्वारा रोक दिये गये और आदेश दिये गये कि दुबारा जांच करके जरूरत के अनुसार कच्चा माल दिया जावे।

(ख) नम्बर १ व २ जयपुर में स्थित

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

हैं और क्रमशः सन् ५८ व ५६ से काम कर रही हैं ।

नम्बर ३ इन्डस्ट्रियल एस्टेट जयपुर में है और सन् ५८ से काम कर रही है ।

नम्बर ४ का कार्य आरम्भ नहीं हुआ, लेकिन झोटवाड़े में इमारत बनाई जा रही है ।

नम्बर ५ का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नम्बर १,२ व ३ के उत्पादन का विवरण उपरोक्त सूची में दर्ज कर दिया गया है ।

(घ) सिर्फ नम्बर २ के खिलाफ शिकायत आई थी जिसकी जांच करा ली गई थी और शिकायत निराधार पाई गई ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जो आपने स्टेटमेंट में प्रोडक्शन फिगर्स दिये हैं क्या सरकार ने प्रोडक्शन फिगर्स की इस बात की जांच की है कि जो कच्चे माल का कोटा दिया गया था उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन हुआ है वह पर्याप्त है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सूची देख लीजिये । उसके अन्दर साफ दर्ज है । जितना २ माल दिया गया, प्रोडक्शन हुआ; वह सब सूची में देख लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : पी. दयाल माथुर ने ६,७४० फ्रेम्स का प्रोडक्शन बताया है । जो कोटा उसको कच्चे माल का मिला उसके अनुसार क्या इतना ही प्रोडक्शन होना चाहिये था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैंने निवेदन किया कि कम्प्लीट जांच करा ली गई है और शिकायत निराधार पाई गई है ।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत नहीं कर रहा हूँ । मैं केवल यह जानकारी कर रहा हूँ कि उनको जितना कोटा दिया गया उसके अनुसार जो प्रोडक्शन होना चाहिये था वह प्रोडक्शन हो गया क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा खयाल है कि इन फीगर्स के अनुसार तो करीब २ प्रोडक्शन हो जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : जो साइकल फ्रेम्स उसने बनाये, अब तक जो कुछ भी उसको कोटा कच्चे माल का दिया गया था उसके अनुसार इतने ही साइकल फ्रेम्स होने चाहिये थे ?

श्री अध्यक्ष : उसी का उत्तर दिया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो दिया गया है उसके अनुसार प्रोडक्शन है । जो इन्सपेक्शन रिपोर्ट है उसके अनुसार यह है कि उसने ब्लैक मार्केट नहीं किया है और प्रोडक्शन फिगर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और इतना ही माल मिला है ।

श्री भैरोंसिंह : ये टोटल फिगर्स हैं या सालाना फिगर्स हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जितना

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

माल मिला है उसके पूरे आंकड़े दे दिये गये हैं और प्रोडक्शन हुआ है उसके भी आंकड़े दे दिये हैं। ५८-५६ और ६० में माल मिला उसके आंकड़े दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जाय कि चार वर्षों में जो प्रोडक्शन किया है उसके ये टोटल फीगर्स हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The statement is very clear. You have not tried to look into the statement carefully. The figures are quite clear.

श्री भैरोंसिंह : जो आपने शारदा इन्डस्ट्रीज़ को कैन्सल किया है एसेन्शियल सर्टिफिकेट से, तो वह किस कारण से किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि you yourself came with the complaint. I got it enquired into and I ordered the stoppage of issue of essentiality certificates.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो मैंने शिकायत की थी उसको सरकार ने सही पाया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सही पाने का सवाल नहीं है। उन्होंने मशीनरी ऑर्डर की थी। मशीनरी आजाने दीजिये then we shall assess the actual needs. If it comes to that exen thet essentiality certificates will be granted to that extent.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एसेन्शियल सर्टिफिकेट देते समय जिस कमेटी ने इस मामले की स्क्रुटिनी की थी उसने इन पोइन्टस को नहीं देखा था ?

श्री अध्यक्ष : इन सारी बातों के मामले में जाने से....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Hon'ble member has agitated this question over and over again on the floor of this House. I have so many times replied that these essentiality certificates had been given at that time, but subsequently we have stopped the issue of essentiality certificates.

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जिन जिन फैक्ट्रीज़ को कोटा मिला उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है; उसके फिगर्स दिये हैं केवल साइकल फ्रेम्स के, बाकी के फिगर्स के लिए क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : टोटल प्रोडक्शन के फिगर्स दे दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक फर्म पी. दयाल माथुर के लिए बताया बाकी के लिए क्या कहते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान साइकिल एन्ड पार्ट्स के लिए पूछा है। This unit has been sanctioned for the assembly of the cycles, and they have assembled about 5,000 cycles.

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

जो साइकल पार्ट्स के लिए माल मिला उसके फीगर्स दे दिये हैं। जो फ्रेम्स बनाये वे सारे के सारे दे दिये। They have been utilised for the cycles which he is manufacturing.

श्री भैरोंसिंह : पी० दयाल माथुर इन्डस्ट्रीज़, जिनको कोटा दिया गया उनके प्रोडक्शन फिगर्स नहीं दिये गये, तो क्या यह समझा जाय कि उन्होंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने इसको देखने की कोशिश ही नहीं की। इसमें फिगर्स दिये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप बतलाइये ना ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप दूसरे पेज को देखिये इसमें दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें प्रोडक्शन के खाने में निल लिखा हुआ है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें जहां कोटा सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसके बाद में एसेन्शियल सर्टिफिकेट मुरलीधर झुंझनूवाला का है उसमें दिया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास लिस्ट है उसमें नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्रोडक्शन 186 Tons, 5 Cwts. balance in hand: 10 Tons, 15 Cwts.

श्री भैरोंसिंह : इसमें तो आपने बार्ड वायर का टोटल दे रखा है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बार्ड वायर का प्रोडक्शन सेपेरेट है, आपने जो सामान दिया कितना पाइप....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Hon'ble member has not looked into the list...

श्री श्रीभानसिंह : I know more facts than you are...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : You knonw something which is absolutely incorrect.

श्री श्रीभानसिंह : Would you state before the House whether Sharda Industries were issued the quota first time, and it was second time that the...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Hon' bln Speaker' I have already replied it.

श्री श्रीभानसिंह : This supplementary was not asked.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Hon. 'ble member is asking the same thing again and again.

श्री श्रीभानसिंह : सीधा सा सवाल है कि यह पहली दफा शारदा इन्डस्ट्री को राजस्थान बनने के बाद कोटा अलॉट हुआ है ?

Page No.19

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is a separate question. How are you . . e w.:en I have already said that quota certificate issued to this part y has been stopped ?

श्री श्रीभानसिंह : But my information is that the first quota was already drawn, quota worth Rs. 5½ lakhs was already drawn. It was second time that the question was agitated in the House and this quota was withheld.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Your information is totally wrong.

श्री श्रीभानसिंह : Then you deny before the House.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Your information is totally wrong.

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय यह सूचना दे रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मिला। इनका कोटा कैन्सल कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : कैन्सिल तो अभी नहीं हुआ है, स्टे ऑर्डर दिया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I can only say that if the party has taken steps to import the machinery, we will certainly gsant the quota certificate.

श्री श्रीभानसिंह : Then did he take the steps to import machinery when his case was recommended ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes, he did open a letter of credit and according to that letter of credit the machinery has arrived now.

श्री श्रीभानसिंह : Was the letter of credit produced when his case was recommended ?

श्री अध्यक्ष : Next.

मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण

६७४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय कब किया गया ?

(२) इस निश्चय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये, किन किन रास्तों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है व किन किन रास्तों का राष्ट्रीयकरण किस क्रम से किस किस वर्ष में कौन कौन सी तारीख से किया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान में मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय माह मई १९५९ में किया गया था।

(२) इस निश्चय के फलस्वरूप राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की और उन्हें जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् मोटर विहीकल एक्ट, १९३९ के प्रकरण ४ ए के

(श्री रामकिशोर व्यास)

अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज़ डेवलपमेंट रूल्स बना कर दिनांक १७-११-५६ को प्रकाशित किये गये। इसके बाद इन रूल्स के नियमानुसार राष्ट्रीयकरण की कुछ योजनायें प्रकाशित की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक ११-५-६० को यह कहा कि इन रूल्स को वैधानिक बनाने के लिए आपत्तियों के लिए कम से कम एक माह की अवधि देना आवश्यक है। अतः इस आदेशानुसार आपत्ति-पत्र दिनांक ४-६-६० को पुनः प्रकाशित किए गए। ये रूल्स सरकार द्वारा दिनांक १६-८-६० को स्वीकृत किये गये और उनके अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों के लिए राष्ट्रीयकरण योजनायें प्रकाशित की गई:-

१. जयपुर—अलवर ८-६-६०

२. जयपुर—अजमेर ६-६-६०

३. जयपुर—भरतपुर २३-६-६०

४. अजमेर—कोटा १५-६-६०

इन योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति-पत्रों की सुनवाई लीगल रिमेम्ब्रेन्सर द्वारा दिनांक १०-११-६० से ६-१२-६० तक की गई और योजनाओं को नियमानुसार दिनांक २६-१-६१ व १५-२-६१ को कार्यान्वित किया गया। अभी तक जयपुर-अजमेर, जयपुर-अलवर, जयपुर-भरतपुर, अजमेर-कोटा व जयपुर-कोटा मार्गों पर राष्ट्रीयकरण बसें चालू की गई हैं। जयपुर—कोटा मार्ग का राष्ट्रीयकरण दिनांक ७-४-६१ से किया जा चुका है। इसके अलावा अलवर-दिल्ली, जोधपुर-पाली-सुमेरपुर, जोधपुर-नागोर-बीकानेर, जोधपुर-पाली-सोजत-बर-ब्यावर, जोधपुर-बिलाड़ा-ब्यावर-अजमेर, अजमेर-भीलवाड़ा मार्गों पर राष्ट्रीयकरण करने हेतु नियमानुसार योजनायें प्रकाशित कर दी गई हैं। इस विषय में जो भी आपत्ति-पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी अभी अपील लीगल रिमेम्ब्रेन्सर द्वारा सुनवाई होनी है। उनकी सुनवाई हो जाने पर ही निश्चित होगा कि इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किन किन दिनांक से किया जायेगा।

मोटर विहीकल एक्ट के अनुसार राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व जनरल मैनेजर राजस्थान स्टेट रोडवेज़ द्वारा एक योजना प्रकाशित करनी होती है, उन पर आपत्तिपत्र मांगे जाते हैं। इन आपत्ति—पत्रों की सुनवाई लीगल रिमेम्ब्रेन्सर द्वारा होती है। उनका निर्णय कर देने पर स्वीकृत योजना प्रकाशित की जाती है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि किस किस मार्ग का किस किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। ऐसा निर्णय तो योजना के प्रति वह विरुद्ध आपत्तिपत्रों की सुनवाई करके ही किया जा सकता है।

श्री शंकरलाल : यह आप किस आधार पर तय करते हैं कि पहले कौन सा रास्ता लिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो गवर्नमेंट को अख्त्यार है।

श्री शंकरलाल : जिन नियमों को अवैध करार दिया गया है उनको ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने बनाया या लॉ डिपार्टमेंट ने ?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों के लिये कह सकते हैं। बनाता लॉ डिपार्टमेंट है, कार्य रूप में ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लाता है।

Page No.21

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर

६७५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) अजमेर ट्रेनिंग टीचर्स कॉलेज में गत सेशन में छात्र फण्ड में कितना रुपया एकत्रित हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि वार्षिक सम्मेलन पर दिये गये भोज के समय छात्र–अध्यापकों ने इस बात पर आपत्ति की थी कि उनके पैसे का उपयोग उनके पूछे बिना न किया जावे ?

(३) क्या यह सही है कि इस समय छात्र-अध्यापकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की एक प्रदर्शनी भी लगाई थी ?

(४) क्या यह सही है कि इस प्रदर्शनी में लगाई गई वस्तुओं के सम्बन्ध में यह शिकायत की गई थी कि इनमें से कोई भी वस्तु विद्यार्थियों द्वारा नहीं बनाई गई है; बल्कि सब बाजार से खरीदी हुई हैं ?

(५) क्या यह सही है कि प्रदर्शनी देखते हुए स्वयं मुख्य मन्त्रीजी ने भी कई वस्तुओं की वास्तविकता पर शंका की थी ?

उप–मन्त्री शिक्षा, (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सन् १९५९–६० में छात्र फण्ड में कुल ३,२२५) रु० इकट्ठा हुआ था।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या छात्रों ने लिखित में इस बात की शिकायत की थी विभाग को कि हमारा पैसा काम में हमारे बिना पूछे न लिया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

प्रश्न संख्या ९७६

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

ग्राम काकियां

६७७. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में जिलेवार कुल कितनी ग्राम काकियां हैं ? जिलेवार आंकड़ा देने की कृपा करें।

(ख) इन ग्राम काकियों द्वारा हर जिले में कितने महिला-मण्डल चलाये जा रहे हैं ? महिला मण्डलों पर किसका निरीक्षण है और पिछले ६ माह से इनके कार्य की क्या रिपोर्ट है ?

(ग) जहां कोई महिला मण्डल नहीं है, वहां ग्राम काकियां क्या कार्य करती हैं ? जिला बाडमेर, पाली, जोधपुर, नागोर, सिरोही, जयपुर, सीकर, उदयपुर एवं कोटा की उदाहरणार्थ पिछले ६ माह की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No.22

(श्री अनूपसिंह)

(घ) ग्राम काकियों के प्रशिक्षण पर हर एक विकास खण्ड में कितना व्यय किया गया और किस किस तरह ? कृपा इसकाविवरण दें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) राजस्थान में कुल ग्राम काकियों की संख्या १,५०८ है जिनकी जिलेवार संख्या की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ६२४ महिला मण्डल चलाए जा रहे हैं। जिलेवार सूची (ब) सदन को मेज पर रख दीगई है। इन मण्डलों पर महिला समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी का निरीक्षण रहता है। जहां महिला समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी नियुक्त नहीं हैं वहां समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी निरीक्षण करते हैं। कुल २७ विकास खण्ड से ही पिछले ६ माह के कार्यों की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है। सूची (ग) सदन की मेज रख दी गई है जिसमें इस प्रगति का उल्लेख है।

(ग) ग्राम काकी अपने कार्य के लिए २० परिवारों का चयन करके उनमें १२ सूत्रीय कार्य ६ माह तक करती है। महिला मण्डल स्थापित करना व उसको चलाना १२ सूत्रीय कार्यक्रम का एक अंग है। इस प्रकार ग्राम काकी निरन्तर कुछ न कुछ कार्य करती ही रहती है। जिला बाडमेर, पाली, नागोर, जयपुर, सीकर, उदयपुर और कोटा को १५ पंचायत समितियों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। सदन की मेज पर रखी गई सूची (ग) में प्रगति के आंकड़े दर्ज हैं।

(घ) ६८ पंचायत समितियों से खर्चे का व्यारा प्राप्त हुआ, उसकी सूची (च) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): ग्राम काकियां वहां रहती हैं तो ग्राम काके कहां रहते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे गांव की ही औरतें होती हैं वहीं रहते हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) इनको ग्राम काकी क्यों कहा जाता है ? इस नाम के बारे में भ्रम है; क्या इस नाम को परिवर्तित करने का इरादा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप कोई सुझाव दें। हमने तो यह नाम सोच विचार कर रखा है। अच्छा बुजुर्गों का नाम है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा(किशनगढ़) : अविवाहित को काकी कहना क्या उपयुक्त है ?

डॉ० चन्द्रकला : उत्तर प्रदेश में ग्राम लक्ष्मी बोलते हैं, और स्टेटों में भी कुछ अच्छा नाम है। तो क्या इस प्रकार का नाम नहीं मिलता आपको ?

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : आम तौर से गांव में काकी काकी कहकर पुकारते हैं, इसलिये यह नाम रक्खा है।

डॉ० चन्द्रकला : बीस पच्चीस वर्ष की काम करने वाली को भी काकी कहते हैं और बड़े-बूढ़े लोग गांव के कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है उनको।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी कोई शिकायत हमारे पास पेश नहीं हुई।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह शिकायत पंचायतों में आई है कि उनको काकी न कहा जावे।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : इस नाम के पीछे सही रुप से सिग्निफिकेन्स नहीं है, इसको बदलना चाहिये। काकी नाम से जवान लडकियों को जब पुकारते हैं तो हंसी होती है उनकी एक्वुअली।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें आम तौर से ऊंची उम्र की ही महिलाएं होती हैं, लडकियां नहीं हैं।

श्री अनूपसिंह : क्या इस आम काकियों नाम की संस्था को आप आइन्दा भी कायम रखना चाहते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री अनूपसिंह : इससे वाकई में आपको सन्तोष है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, बहुत सन्तोष है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उनको जो वेतन मिलता है वह उनके जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा कॉमर्स के लेक्चरार्स हेतु निर्धारित योग्यता

६७८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा कॉमर्स के लेक्चरार के पद के लिए सैकन्ड क्लास एम०कॉम० योग्यता निर्धारित की जाकर विज्ञप्ति निकाली गई ?

(२) क्या यह सही है कि हैण्ड बुक ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनुसार यह योग्यता सेकन्ड क्लास एम० काम० तथा सेकन्ड क्लॉस एम० ए० (इकोनोमिक्स) विथ सेकन्ड क्लॉस बी० कॉम० योग्यता निर्धारित की गई ?

(३) यह अन्तर क्यों रखा गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस अन्तर के लिये लेक्चरार्स की कई पोस्टें खाली पड़ी हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह अन्तर नहीं रखा गया। कुछ दिनों पश्चात् दूसरी विज्ञप्ति निकाल कर

Page No.24

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

यूनिवर्सिटी के नियमानुसार योग्यताएं निर्धारित का दी गई।

(४) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पहली बार पी० एस० सी० का विज्ञापन किस आधार पर निकाला गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यहां से रिक्विज़ीशन डाइरेक्टोरेट भेजा गया उसके आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : क्या डाइरेक्टोरेट ने सारी क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब करके भेजी थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब प्रेस्क्राइब कीं तो क्या इस हैंड बुक को पहले नहीं देखा था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, पर मैंने जैसे निवेदन किया गलती रह गई थी, गलती मालूम हुई तो दुरुस्त कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : पर इस गलती के कारण जो सरकार का खर्चा हो गया वह कौन बर्दाश्त करेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक विज्ञापन निकाल दिया, पेपरों में निकालने का खर्चा हो गया, बाद में फिर करेक्ट करते हैं तो कम से कम यह भी फिक्स करें कि यह किसके कारण, किसकी गलती के कारण खर्चा हो गया। इसको सरकार इतनी लाइटली क्यों लेती है ? ठीक है, आपने दुबारा गलती मानकर निकाल दिया। यह अच्छा किया, इसके लिये तो धन्यवाद है। पर साथ ही आप यह जो सरकार का दुबारा व्यर्थ खर्चा करा दिया इसके लिये किसी की रेस्पोन्सिबिलिटी भी फिक्स करिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बोनाफाइडी मिस्टेक थी।

श्री भैरोंसिंह : यहां मैलाफाइडी और बोनाफाइडी का सवाल नहीं है। यह एफीशियेन्सी का सवाल है। क्या इफीशियेन्सी की खामी को आप बोनाफाइडी मानते हैं ? आप क्या इसको भी बोनाफाइडी मानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफीशियेन्सी होनी चाहिये ऑफिसर में या ऑफिस में कि हैण्ड बुक में दूसरा लिखा है और रिक्वीजीशन में दूसरी योग्यता लिखकर भेजते हैं तो क्या यह एफीशियेन्सी है ? क्या यह अनइफीशियेन्सी की सूचक नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक ही शिकायत आई है और कभी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आई। इसका मतलब है हजार में ९९९ तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : हजार में हजार ही गलत हों तो क्या ठिकाना। मेरे ध्यान में तो एक ही बात आई और वही गलत आई।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(श्री रामकिशोर व्यास)

अगर सभी गलत होते तो अन्य भी जरूर आपको मालूम होते।

देखरेख सहकारी संघ

६७६. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा विकास खण्डों में देख-रेख सहकारी संघों का गठन किया गया है ?

(२) यदि हां, तो इन देखरेख सहकारी संघों का जिला सहकारी संघों से क्या सम्बन्ध रखा गया है और इस बारे में विभाग द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं ? सम्बन्धित विभागीय आज्ञाएं और नियम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां; परन्तु सभी विकास खण्डों में नहीं।

(२) कोई नहीं। अतः अन्य बातों का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : What is this...

श्री शंकरलाल : सब विकास खण्डों में नियुक्ति किस आधार पर की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी योजना के अन्त तक ८० विकास खण्डों में ऐसे संघ बने हैं और कुल विकास खण्ड २३२ हैं।

श्री शंकरलाल : एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स जब आप रखते हैं तो उनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून और नियम के दृष्टिकोण से रखा है, जबर्दस्ती नहीं रखा है। फिर उनके उपनियमों में यह प्रोविजन है कि वे ठीक समझें तो डिस्ट्रिक्ट यूनियन के मेम्बर बन सकते हैं और बनना चाहिये उनको मेम्बर; क्योंकि उनका अपना पैटर्न है। एक स्टेट की यूनियन, इसके बाद में सारे जिलों की एक यूनियन और इसके बाद में हर विकास खण्ड में सहकारी संघों की अलग यूनियन। यह इसलिये है ताकि उनको प्रोपर गाइडेन्स, सुपरविज़न और एक दूसरे का समन्वय रखते हुए सब मिल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें और उनका मेन फंक्शन है सही सहकारिता की ट्रेनिंग।

किनशपोल बाजार, जयपुर क्षेत्र में जुआगिरी एवं सट्टे की बाहुल्यता

६८०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि किशनपोल बाजार, जयपुर के निवासियों द्वारा निरन्तर इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं कि उनके क्षेत्र में जुआ-सट्टा आदि बहुत होते हैं ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

Page No.26

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) केवल एक ही नागरिक द्वारा दो ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं ।

(२) स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसी सट्टे व जुऐ होने की विश्वास योग्य सूचना मिलने पर ऐसे अड्डों पर छापा मार कर जुआरियों को पकड़ा जाता है । इस प्रकार दिनांक १–१–६१ से ३१–३–६१ तक स्थानीय पुलिस ने छापे मार कर सम्पूर्ण जयपुर शहर में २६६ अपराधियों को पकड़ा व उनके कब्जे से ६६५८)८७ न. पै की धनराशि प्राप्त की जिसमें से किशनपोल बाजार से ९६ व्यक्ति तथा १२४७) ४५ न. पै. की धनराशि प्राप्त की ।

प्रश्न संख्या ६८१

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई ।

(अनुपस्थित)

पंचायत समिति, नोखा द्वारा अनियमित कर वसूली

६८२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति नोखा, जिला बीकानेर ने दिनांक २८–१०–५६ के प्रस्ताव द्वारा कौन कौन से टैक्सेज़ किस दर से लागू किये तथा कब से वसूल किये जाने शुरू किये गये ? उक्त टैक्सेज़ में से हर टैक्स की कितनी राशि ३१ मार्च, १९६० तक तथा उसके बाद ३१ दिसम्बर, १९६० तक वसूल हुई ? सं० २०१६ व २०१७ के कुल भू-राजस्व पर इस टैक्स की कुल कितनी राशि निर्धारित की गई एवं वसूल हुई ? पृथक् पृथक् आंकड़े देने की कृपा करें ।

(२) क्या पंचायत समिति नोखा के उपरोक्त टैक्सेज़ राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट, सन् १९५९ की धारा ३३ में प्रावधित निर्धारित रीति का पालन किये बगैर लगाये व वसूल किये गये ? अगर हां, तो क्या ऐसे अनियमित टैक्सेज़ की वसूली रोकने के सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? अगर हां, तो क्या वसूल हुए ऐसी अनियमित टैक्सेज़ की राशि को मूल आसामियान को वापिस लौटा दिये जाने का सरकार का विचार है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां, टैक्सों की वसूली रोकने तथा वसूल की गई रकम को वापिस लौटाने का सम्बन्ध पंचायत समिति से है, न कि सरकार से ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : हां, तो पंचायत समिति से सम्बन्ध है, पर अगर वह नियमानुसार वसूली न करे तो सरकार क्या करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार नियम के अनुसार कुछ नहीं कर सकती । जिनसे टैक्स वसूल किया गया है वे दावा करें और फिर वसूल करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी अगर सरकार के नोटिस में यह गलती आ गई है तो क्या सरकार ऐसे आदेश नहीं दे सकती कि उनको पैसा लौटा दिया जाय ? लोग दावा करने कहां जावेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सही है, पर नियमानुसार हम उसमें दखल नहीं दे सकते कि टैक्स वापिस करो ।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार आदेश नहीं दे सकती, मैं मानता हूं; पर क्या जो नियमानुसार काम पंचायत समिति ने नहीं किया उसके लिये सरकार यह भी नहीं कह सकती कि आपने नियमानुसार टैक्सों की उगाई नहीं की है इसलिये आपकी यह कार्यवाही नियमानुसार नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह उनको भी मालूम हो गया था, पर फिर भी उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करने की कोशिश की । पर इसमें अब नियम के अनुसार सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सरकार पर दावा किया जावे तभी इल्लीगल रूप में प्राप्त की गई वसूली लौटा सकती है, पहले रिफण्ड कर देने की स्थिति में नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मालूम होता है, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पढ़ा नहीं । यह सरकार से सम्बन्धित नहीं है, पंचायत समिति से सम्बन्धित है । वह चाहे तो वापिस दे सकती है, पर सरकार उसको बाध्य नहीं कर सकती ।

श्री मुरलीधर व्यास : बाध्य तो नहीं कर सकती, पर जब सरकार को मालूम है और वहां के लोग बराबर लिख रहे हैं तो सरकार की भी कुछ तो जिम्मेदारी है कि अगर कोई मनमानी करे और नियमों के प्रतिकूल चले तो सरकार उनको कह तो सकती है; नहीं तो गांवों के लोग ऐसे ऐसे मामलों में, छोटे छोटे मामलों में कहां दावा करने जाते रहेंगे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नियम के अनुसार ही मैं कहता हूं कि इसको ठीक करने का अधिकार सरकार को नहीं है । पहले जो कानून बना था उसकी ३३वीं धारा के अनुसार कर लगा सकते थे । पर इसके नियम नहीं बने हुए थे । बाद में नियम प्रकाशित हुए थे, पर उसने इससे पहले ही कर लगा दिये थे जो नियमानुसार नहीं थे । पर जब उसने लगा दिये और अब स्वयं कुछ नहीं करना चाहते । तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती । हम ऐसा आदेश उनको नहीं दे सकते और न बाध्य कर सकते हैं कि उनका कर वापिस करदो ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या नियमों में ऐसा संशोधन कर सकते हैं जिससे इसकी त्रुटि न रहे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में नोखा व कोलायत तहसीलों में खुलने वाले नवीन विद्यालय

९८३. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.28

(श्री रावतमल पारीक)

नोखा व कोलायत तहसीलों में इस समय सरकार की ओर से कितने हाई स्कूल व हायर सेकन्डरी तथा मिडल स्कूल हैं? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने कितने अलग अलग दोनों तहसीलों में और नये खोलने का इरादा है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : नोखा व कोलायत तहसीलों में इस समय सरकार की ओर से हाई स्कूल, हायर सेकन्डरी स्कूल व मिडल स्कूल निम्न हैं :—

तहसील	राजकीय पाठशालाएं			
	माध्यमिक शाला	उच्च-शाला	उच्चतर-शाला	योग
नोखा	८	—	१	९
कोलायत	४	—	—	४
	१२	—	१	१३

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार की ओर से कितनी कितनी अलग अलग दोनों तहसीलों में हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल व मिडल स्कूल खोले जायेंगे, यह अभी निश्चित नहीं है क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना समस्त राजस्थान के आधार पर बनाई गई है, न कि जिलों के आधार पर।

प्रश्न संख्या ९८४

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रावतमल पारीक।

बीकानेर से डाइरेक्टर, कॉलेज शिक्षा विभाग के कार्यालय का जयपुर में स्थानान्तरण

९८५. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सरकार ने बीकानेर से संचालक, कॉलेज शिक्षा विभाग के कार्यालय को जयपुर में क्यों स्थानान्तरित किया? क्या अन्य दूसरे शहरों से भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स के कार्यालयों की स्थानान्तरण करके जयपुर में लाए जाने की तजवीज है? यदि नहीं, तो बीकानेर से ही उक्त विभाग क्यों हटाया गया?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : इसका उत्तर जी० ए० डी० विभाग देगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जो कार्य पहले सचिवालय में होता था उस कार्य को करने के लिए डाइरेक्टर, कॉलेज शिक्षा के कार्यालय को जयपुर में रखा गया है। इनको विश्वविद्यालय से अधिक सम्पर्क में रखना पड़ता है, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए भी यह आवश्यक था।

जी नहीं।

कारण ऊपर बता दिए गए हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर जो पहले

Page No.29

(श्री मुरलीधर व्यास)

कई कार्यालयों को हैडक्वार्टर्स के ऊपर रखने की योजना थी जिससे उनकी जो विशेषता है उसको बनाये रखें उस आधार पर रखे गये थे तो यह बात पहले ही थी कि अगर वहां नहीं रखे गये तो असुविधा होगी। लेकिन जब वहां पर डाइरेक्टर का दूसरा विभाग है और यह कॉलेज का इतना सा विभाग यहां लाने से उससे विशेष प्रशासनिक सुविधा आप महसूस करते हैं तो जिस आधार पर निर्णय किया गया था उसमें ऐसा परिवर्तन क्यों किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा-मन्त्री) : जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर आपने स्वयं ने ही दे दिया है और मैं निवेदन कर दूं कि जो डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स के महत्व का प्रश्न है तो वह केवल सेकेन्डरी एज्यूकेशन तक के डाइरेक्टर के दफ्तर का था और कॉलेज एज्यूकेशन को सेक्रेटेरियट लेवल पर पहले डील-विथ किया जाता था। बीच में दो, एक वर्ष पहले हमने इसको अलग किया और अलग करने के बाद शुरुआत में बीकानेर में इसका कार्य चालू कर दिया। अब उसके बाद जैसा निवेदन किया कि इसको यहां लाया गया है तो पहले यह यहां नहीं था और बीच में थोड़े समय के लिए वहां पर रहा और यूनिवर्सिटी की मीटिंग और दूसरे काम-काज यहां रहते हैं। इसलिए हर तरह से यहां रखना सुविधाजनक होता है। उसका सम्बन्ध सेक्रेटेरियट या यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे से नहीं है, इसलिए उस दफ्तर को यहां रखा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब जैसे जोधपुर में एक और यूनिवर्सिटी हो जायेगी तो यूनिवर्सिटी के आधार पर क्या जोधपुर इस कार्यालय को रखा जायेगा ? यह तो कोई दलील नहीं है....

श्री अध्यक्ष : यहां दलील नहीं, सूचना दी जा रही है।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

सीकर जिले में फ्लोराइट के प्रोस्पेक्टिंग व माइनिंग लीज़ के खारिज शुदा आवेदनकर्त्ताओं को मुआवजा

९८९. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला सीकर में सन् १९५९ व १९६० में कितनी पार्टियों ने फ्लोराइट के प्रोस्पेक्टिंग व माइनिंग लीज़ के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये ?

(२) क्या यह सही है कि पत्र इस आधार पर मंजूर नहीं किये गये कि विभाग स्वयं इस खनिज के खनन का कार्य करेगा ?

(३) क्या सरकार द्वारा फ्लोराइट के लिए आरक्षित किये गये क्षेत्रों के लिए पार्टियों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उनको आरक्षित करने की कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ;

(४) क्या सरकार जिन पार्टियों के

Page No.30

(श्री किशनाराम)

प्रार्थना-पत्र रद्द किये हैं उनको कोई मुआवजा देने का विचार रखती है ?

(५) क्या सरकार द्वारा इन आरक्षित क्षेत्रों में फ्लोराइट में खनन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या सरकार को विदित है कि फ्लोराइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज का कार्य प्रारम्भ न किये जाने से सरकार गत वर्षों में होने वाले लाभ से वंचित रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): २ प्रोस्पेक्टिंग के लिए तथा ४ माइनिंग लीज़ के लिए।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां, भौगोलिक सर्वे तथा मानचित्र बनाने का काम चालू है।

(६) चूंकि सर्वेक्षण कार्य चालू है, अतः लाभ से वंचित होने का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि फ्लोराइट जैसे खनिज का खनन का कार्य प्रारम्भ करने के पहले प्राविधिक रीति से खनिज जमाव के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है।

प्रश्न संख्या ६८७

श्री अध्यक्ष : श्री महादेवप्रसाद बंका।

(अनुपस्थित)

श्री रावतमल पारीक।

बीकानेर जिले को प्राप्त बंगाल कोयला तथा नालीदार टीन की चद्दरें

६८८. श्री रावतमल पारीक (नोखा): क्या रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले में बंगाल कोयला तथा नालीदार टीन को चद्दरें दिनांक १–४–५९ से दिनांक ३१–१२–६० तक उद्योग, कृषि तथा नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग कितनी कितनी मिकदार में कितने कितने आए ?

रसद मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): १–४–५९ से ३१–१२–६० तक कोयला तथा टीन की चद्दरें निम्न प्रकार प्राप्त हुई:—

	कोयला	टीन की चद्दरें
उद्योग के लिए	१३० वैगन कोल के पर्मिट दिए गए।	८७८
कृषि के लिए	—	४१ टन, १० ह० १ क्वार्टर १ पौंड
नागरिक आवश्यकताओं के लिए	३८ वैगन	—

श्री रावतमल पारीक : क्या यह टीन की चद्दरें नहीं मिलने का कारण हमारी सरकार की लापरवाही या गलती है ?

Page No.31

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लादूराम।

श्री रावतमल पारीक : मैं एक तथ्य रखना चाहता हूँ। मेरे पास आइरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर की चिट्ठी है। उन्होंने लिखा है कि वहां से इन्डेन्ट नोट नहीं आया है इसी कारण से सप्लाई नहीं किया जा सकता है और जब तक इन्डेन्ट नहीं देंगे हम सप्लाई नहीं कर सकते। यह बहुत ही अनुचित बात है और उसके लिए मैं एक चिट्ठी पेश करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय को दे रहे हैं या सदन में पेश कर रहे हैं।

(पत्र श्री रावतमल पारीक द्वारा मंत्री महोदय को दिया गया)

प्रश्न संख्या ६८६

श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

प्रश्न स्थगित
(दिनांक ७-४-६१)

लीज अथवा लाईसेन्स के आवेदन-पत्रों पर त्वरित निर्णय

८१६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या खनिज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) आज तक खनिज विभाग में कितने लोगों के आवेदन-पत्र, लीज अथवा लाइसेन्स के लिए कब से पेन्डिंग है?

(२) क्या यह सत्य है कि मिनरल कन्सेशन रूल्स में ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए अधिक से अधिक ९ महीनों की अवधि दी हुई है?

(३) क्या प्राक्कलन समिति सन् १९५९-६० ने राजस्थान सरकार को यह सिफारिश की है कि लीज़ अथवा लाइसेन्स के आवेदन—पत्र पर एक निश्चित अवधि में निर्णय दिया जाना चाहिए? यदि हां, तो सरकार ने आज तक क्या कदम उठाये हैं। और अगर नहीं उठाये तो क्यों?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) सन् १९६०, जून से आज दिन तक इस विभाग में कुल आवेदन-पत्र लीज़ अथवा लाइसेन्स ३९६ पेन्डिंग में हैं और १९५५ के बाद से सन् १९६० तक के कुल ६० आवेदन-पत्र पेन्डिंग में हैं।

(२) जी हां।

(३) जी हां, माइनिंग लीज़ व प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स आवेदन-पत्र को जल्दी से जल्दी निर्णय दिये जाने के लिए राज्य सरकार ने संचालक, खनिज एवं भूगर्भ विभाग को नियम १७ व नियम २४ एम. सी. आर. १९४९ के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत करने के अधिकार दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकाबाद को ट्रैक्टर की खरीद हेतु मिली धन राशि

८१८. **रावराजा श्री सरदारसिंह**

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

क्या यह सही है कि जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकाबाद, तहसील देवली, जिला टोंक को ट्रेक्टर खरीदने के लिए कोई धन-राशि दी है ? अगर हां, तो कितनी और क्या वे ट्रेक्टर किराये पर भी चलाये जाते हैं ? अगर हां, तो किन कारणों से ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, ८,०००) रु० का ऋण दिया गया है। जांच करने पर यह मालूम हुआ कि ट्रेक्टर किराये पर चलता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या ट्रेक्टर के लिए लोन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए दिया गया था तो यह ८,०००) रु० लोन देने से पूर्व सरकार को यह सूचना मिली थी कि इतनी बीघा जमीन उनके पास सहकारी समिति में है और उसी को काश्त करने के लिए यह दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां, उसको ऋण एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही दिया गया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मगर उस फार्म में कितनी जमीन थी जिसके लिए ट्रेक्टर दिया गया है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : नियमों के अनुसार जिसके पास १०० बीघा जमीन होती है उसको ट्रेक्टर के लिए लोन देते हैं। तो इस सोसाइटी के पास इससे भी ज्यादा जमीन है और सोसाइटी में ट्रेक्टर से खेती का काम करते हैं और फालतू समय में दूसरा काम भी करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही ट्रेक्टर रजिस्टर्ड होता है सिर्फ। इसलिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही ट्रेक्टर के लिए लोन दिया और वह ट्रेक्टर टैक्सी के तौर पर चलता है, यह क्या बात है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो ट्रेक्टर रजिस्टर्ड होता है वह टैक्स से फ्री होता है। अगर उसको टैक्सी के तौर पर चलाना चाहें तो उसका अलग लाइसेन्स लेना पड़ता है और फीस देनी पड़ती है; फिर उसको टैक्सी के तौर पर भी चला सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यहां टैक्सी में चलाया जाता है तो उस ट्रेक्टर की आमदनी फार्म में जमा होती है या किसी ऑफिसर के प्राईवेट हिसाब में जमा होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सोसाइटी क ट्रेक्टर है इसलिए आमदनी तो सोसाइटी में ही जमा होनी चाहिए।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मन्त्री महोदय इन्क्वायरी करायेंगे कि आमदनी सोसाइटी में जमा नहीं करा कर उसको व्यक्तिगत हिसाब में जमा कराया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सोसाइटी का ट्रेक्टर है, इसलिए कोई व्यक्ति विशेष तो उसको काम में ले नहीं सकता और सोसाइटी के मेम्बरों की कोई शिकायत होगी तो हम उस मामले को देख लेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सोसाइटी मेरे क्षेत्र में है। अब आप बता दीजिए कि उसकी इन्क्वायरी करायेंगे या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके क्षेत्र में सोसाइटी के जो मेम्बर हैं वे कहें कि ट्रैक्टर का दुरुपयोग होता है तो इन्क्वायरी करा सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, बराबर यहां हाउस में यह कहते हैं कि या तो कोई आदमी शिकायत करे या सोसाइटी का आदमी शिकायत करे तो यहां तो हम झक मारने के लिए आते हैं ? आखिर हम किस बात के लिए यहां आपके पास आते हैं और आप यों कह कर टाल देते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जनरल नियम है कि हर एक शिकायत करे तो बड़ा मुश्किल हो जाये। इससे सोसाइटी का मेम्बर शिकायत करे तो उनको अपनी बात को कहना चाहिए, बल्कि तीसरा आदमी कहने लगे तो नाराजगी से सोसाइटी को बिगाड़ने में ही लगे रहेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : बाहर के व्यक्ति का सवाल नहीं है। सदन का कोई सदस्य कहता है तो उसका तो कर्त्तव्य होता है कि इस तरह से कोई मिसयूज होता है तो उसको हाउस के सामने लाये, लेकिन आप यह कहते हैं कि सोसाइटी का सदस्य ही कहे तो यह तो उपयुक्त नहीं है। सदन के सदस्य के कहने के अनुसार इन्क्वायरी आपको करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शंकरलाल।

पंचायत समितियों के क्षेत्रान्तर्गत मडॉल कृषि फार्म

८२७. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा अपने क्षेत्र में अपना खुद का मॉडल कृषि फार्म रखे जाने का निर्णय लिया था ?

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के अनुसार कितने मॉडल कृषि फार्म किन किन पंचायत समितियों द्वारा किन किन स्थानों पर कितने बीघा जमीन पर स्थापित किये गये ?

(ग) क्या ऐसे मॉडल फार्म की प्रगति और लाभ—हानि का अनुमान सरकार के समक्ष विभागीय रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने पढ़ा है कि लास्ट इयर गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में यह कहा था कि गवर्नमेंट इस बात का निर्णय ले चुकी है कि हरेक पंचायत समिति एरिया में मॉडल कृषि फार्म रखेगी। तो क्या यह बात गलत है और गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय नहीं लिया था और ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार निवेदन कर चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : उसका सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म से मतलब होगा जो कि कई जगह शुरू किये गये हैं।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

विभिन्न सूचनाओं सम्बन्धी वाद-विवाद

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस दिया था आयुर्वेद विभाग में गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ प्रमोशन हुए थे उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : उसकी जानकारी नहीं आई है सरकार की तरफ से। मन्त्री महोदय चाहें तो बता सकते हैं।

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न यहां पर पूछा गया था उस पर काफी अनुपूरक पूछे गये थे....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : वह किस नियम के अनुसार है ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): मेरा भी हाफ एन अवर डिस्कशन के लिए नोटिस था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बात करना चाहते हैं और क्योंकि सदन का आखिरी दिन है संभवतया इसलिये कुछ रिलेक्सेशन किया है। माननीय मन्त्री महोदय के पास सूचना हो तो दे दें।

श्री श्रीभानसिंह : एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन मैंने भी पूछा था इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में, उसका भी उत्तर मिल जाय तो ठीक है।

श्री पी० के० चौधरी : All the members will like to have the same relaxation.

श्री अध्यक्ष : आप रिलेक्सेशन नहीं चाहते हैं तो नहीं देंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आयुर्वेद का मसला है इसलिए रिलेक्सेशन दिया है।

श्री भीखाभाई : आयुर्वेद का मसला है इसलिए मैं भी कुछ बता दूं। बात यह है कि....

श्री पी० के० चौधरी : प्लान के जवाब में वे कह दें।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक....

(१२. म.)

ग्राम सूरेचां (पंचायत समिति, लूनी) के तालाब का जल दूषित हो जाने

सम्बन्धीस्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना गांव सूरेचां, पंचायत समिति लूनी,

(श्री अध्यक्ष)

जिला जोधपुर, के तालाब का पानी दूषित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री अनूपसिंह, सदस्य, विधान सभा ने दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर आज विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

मैं यह चाहूँगा कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सरकार की ओर से मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण करना चाहें या उनके पास कोई सूचना हो और देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है कि सूरेचां में तालाब का गन्दा पानी पीने की वजह से १३ लोग मर गये। मैं कुछ दिन पहले जोधपुर गया था। उस वक्त यह शिकायत मेरे सामने आई थी, वहां पर गांव के कुछ लोग भी आये थे तथा वहां के पास के एक गांव के लोग भी आये थे। यह शिकायत कलेक्टर के पास पेश हुई थी और स्वास्थ्य अधिकारी के पास भी पेश हुई थी। वे मौके पर गये थे और उन्होंने पानी को देखा और अमूमन जैसा कि हुआ करता है उस गांव में तालाब का पानी कई साल से भरा हुआ बराबर रहता है, इसलिए पानी कुछ नीला पड़ गया था। तो कलेक्टर ने एस० डी० ओ० को आदेश दिया कि पानी पीने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसकी ओर कोई व्यवस्था की जाय।

वैसे इस गांव के पीने के पानी का हक टीन शिकारपुरा नाम का एक गांव जो कि वहां से ३ मील पर पड़ता है वहां पर है, जो कि उनके (प्रस्तावकर्त्ता) के अधिकार में है। उनकी इच्छा यह है कि सर गांव के कूए पर जाकर पानी पी लिया जाय। सर गांव के कूए में इतना पानी नहीं है कि सर गांव जिसकी आबादी १४००, १५०० है उसको पूरा कर सके और दूसरे गांव के लोगों को दे सके। उन्होंने कहा कि एक दूसरा कूआ जो उसी गांव में है उस कूए पर अपनी खुद को चरस वगैरह लगाकर पानी खींच सकते हैं। और एक बात यह भी है कि सर गांव और सरों वालों के बीच कुछ पंचायत हैडक्वार्टर के बारे में डिफरेन्स था, जिसके कारण पंचायतों के चुनावों के समय में भी दंगा हुआ था।....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : इसीलिए यह है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसमें सर गांव वालों की मारपीट हुई थी और वे उस गांव के उसी कूए पर पानी पीना चाहते हैं और दूसरे कूए पर जाने को तैयार नहीं जो कि पास में है। सर गांव के पास में खीजी गांव में, जिसका कि मैं रहने वाला हूँ वहां ७ मील की दूरी से पानी आता है। वहां पर ३ हजार की जनसंख्या है और पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो यह मारवाड़ के लिए कोई अनहोनी बात नहीं है।

इनके खुद का टीन शिकारपुर गांव है वहां से वे पी सकते हैं। सर गांव वाले कूए का पानी देने को तैयार हैं, वे अपनी चड़स लगा कर भर लें।

श्री अध्यक्ष : इस सारी बहस में कि क्या हुआ, जाना उचित नहीं होगा । आप केवल यह बतादें कि जो माननीय सदस्य ने कहा है वह कहां तक सत्य है और अगर सत्य है तो इसको निपटाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बात बिल्कुल गलत है कि लोग मर गये । मैंने और कलेक्टर ने कई लोगों से बातचीत की थी । वहां पर मरा-वरा कोई नहीं है । पानी की तकलीफ है, जिसके लिए कलेक्टर को कह कर प्रबन्ध किया था कि दूसरे कूएं से पानी पिला देंगे । दूसरा कूआ सर वाले देने को तैयार हैं या वहां शिकारपुर जाकर पियें जहां कि उनका कदीमी हक है पानी पीने का ।

श्री अनूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं कि १२ आदमी तो आज तक यानी पिछली १० तारीख तक मर चुके हैं । मेडिकल रिपोर्ट यह है कि वहां पर पीने के लायक पानी नहीं रहा, वह ह्यूमन कन्ज़म्पशन के लायक नहीं रहा । एस. डी. ओ. ने यह कहा कि सूरेचां वाले वहां पर न जाना चाहें तो सर तो जा सकते हैं और पानी पी सकते हैं, मगर किन्हीं कारणों की वजह से, हो सकता है कि राजनैतिक कारण भी हों, सर वालों ने सूरेचां वालों को पीने के पानी के लिए मना कर दिया । एस. डी. ओ. ने....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): समझ में नहीं आता कि और कूएं नहीं होंगे क्या ?

कई माननीय सदस्य : वह उदयपुर नहीं है ।

श्री अनूपसिंह : वहां पर कोई बेरा नहीं है । अब जैसा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया कि ३ मील पर बेरा है । शिकारपुर वहां से ३ मील है ? और सर एक ही मील है । सर वालों के यहां से पानी की इज़ाजत दी जाय तो मैं समझता हूँ कि एक मील पर ही पानी मिल जायेगा, और वहां की इजाजत दी जायेगी तो ३ मील पड़ता है । वहां पर मेडिकल ओपीनियन भी खिलाफ है कि पीने के लायक पानी नहीं है । उसमें डिसेन्ट्री और कॉलेरा के जो निशानात या सिम्पटम्स हैं वे पैदा हो रहे हैं । १३ आदमी पहले ही मर गये हैं । माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि नहीं मरे हैं तो मैं माननीय मन्त्रीजी को चैलेन्ज करता हूँ कि आप मालूम कर लें कि १३ डेथ्स हुई हैं या नहीं ?

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय उप-मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह उन्होंने सरकार की ओर से जो कुछ कहा जाना चाहिए वह कहा है और वह फुल रेस्पोन्सिबिलिटी से कहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह गांव मेरे निज के गांव से २ मील पर है । वहां सूरेचां से दुगुनी बस्ती है उसको पानी की तकलीफ है । कोई मरा नहीं है ।

श्री तनसिंह : आपके खुद के घर के पास है, या नहीं इससे हमें कोई सरोकार नहीं है । गवर्नमेंट का क्या यही रिप्लाई है ? जो फैक्ट्स आप दे रहे हैं वे फुल रेस्पोन्सिबिलिटी से दे रहे हैं ? इतनी सी बात है ।

श्री अनूपसिंह : एक मील की दूरी पर जहां कि पीने के पानी का इन्तजाम हो सकता है तो ३ मील वाला रास्ता क्यों बतलाते हैं ? जो चीज चली आ रही है वह पहले के जमाने की बात थी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसी गांव में दूसरा कूआं देने को तैयार हैं।

प्रवर समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा

(क) राजस्थान कसारभोम उत्सादन विधेयक, १९६१

श्री अध्यक्ष : Select Committee on the Rajasthan Kasar Bhom Abolition Bill.

1. Ministerin-charge Chairman.
2. Shri Lal Singh.
3. ,, PhoolJi Bhai.
4. ,, Brij Mohan Lal Sharma.
5. ,, Rawal Shri Narendra Singh.
6. ,, Suraj Mal.
7. ,, Ram Narain.
8. Thakur Shri Madan Singh.
9. Shri Nathi Singh.
10. ,, Bal Mukund.
11. ,, Ram Dhan.
12. ,, Devi Lal.
13. ,, Narayan Singh (Diggi).
14. Shri Hazari Lal Bankolia.
15. ,, Mangi Lal.
16. ,, Modu Lal.
17. ,, Kishan Singh Batad.
18. ,, Hari Kishan.
19. ,, Amrit Lal Payak
20. ,, Bhairav Lal 'Kala Badal.'
21. ,, Hari Shankar Siddhant Shastri.
22. ,, Mahadeo Prasad Banka.
23. ,, Ummedi Lal.
24. ,, Tej Mal Bapna.
25. ,, Bhairon Singh (14)

(ख) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१

Select Committee on the Rajasthan Money Lenders Bill, 1961.

1. Minister-in-charge-Chairman.
2. Dr. Chandra Kala:
3. Shri Purushottam Lal Sharma.
4. ,, B. N. Joshi
5. ,, Laloo Ram.
6. ,, Jai Singh Ranawat.
7. ,, Gulab Singh.
8. ,, Jai Chand Mohil.
9. ,, Laxman Hirat.
10. ,, Dharam Pal.
11. ,, Manik Chand Kothari

(श्री अध्यक्ष)

12. Shri Wali Mohammad
13. Shrimati Anandi Devi Jelia
14. Shri Subedar Singh
15. ,, Bhanwar Lal Sharma
16. ,, Gokul Chand
17. ,, Gyan Chand Modi
18. ,, Laxmi Chand
19. ,, Vira Ram
20. ,, Ladu Ram
21. ,, Daya Krishna Vijay
22. ,, Kishna Ram
23. ,, Mahendra Singh Seth
24. ,, Moghji Bhai
25. ,, Arjun Das

(ग)राजस्थान पशु-मेला विधेयक, १९६१

Select Committee on the Rajasthan Cattle Fairs Bill, 1961.

1. Minister-in-charge—Chairman.
2. Dr. Bahadur Singh
3. Shri Gopal Lal Purohit
4. ,, Rawat Ram (Balotra-R)
5. ,, Dhanna Lal Harit
6. ,, Sampat Raj Jain
7. ,, Sugan Chand Jain
8. ,, Manohar Kothari
9. Shri Nathu Ram Bhil
10. ,, Ganpati Lal Verma
11. ,, Narayan Lal
12. ,, Shiv Nath Singh
13. Shimati Gauri Puniya
14. ,, Kamla Shrotriya
15. Shri Rawat Ram (Churu-R.)
16. ,, Tej Pal
17. ,, Dalip Singh
18. ,, RamKaran Singh
19. ,, Chandra Singh
20. ,, Roopa Ram
21. ,, Bena Ram Gahlot
22. ,, Manroop Ram
23. ,, Anope Singh
24. Rao Raja Shri Sardar Singh
25. Shri Hoti Lal

नियम समिति के सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४७ के अन्तर्गत एक नियम समिति मनोनीत की गई है, जिसके निम्नांकित सदस्य हैं:-

१. श्री अध्यक्ष पदेन सभापति
२. श्री मूलचन्द डागा
३. श्री बी० एन० जोशी
४. श्री जनार्दनराय नागर

Page No.39

(श्री अध्यक्ष)

५. श्री मोहब्बतसिंह

६. श्री शिवनाथसिंह

७. श्री भंवरलाल शर्मा

८. श्री भैरोंसिंह (१४)

६. श्री किशनाराम

१०. श्री रघुवीरसिंह

जन-लेखा समिति सम्बन्धी घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम १८३ (१) के अंतर्गत जनलेखा समिति, १९६१-६२ के लिये श्री हरिदेव जोशी को सभापति नियुक्त किया गया है और १४ मई, १९६१ से इस समिति का कार्य काल प्रारम्भ होगा।

प्राक्कलन समिति सम्बन्धी घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १८३ (१) के अंतर्गत प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ के लिये श्रीभोलानाथ को सभापति नियुक्त किया गया है और १४ मई, १९६१ से इस समिति का कार्य-काल प्रारम्भ होगा।

याचिका समिति के सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २२७ के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को याचिका समिति के लिये मनोनीत किया गया है:

१. राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)

२. श्री शंकरलाल

३. श्री श्रीनिवास शारदा

४. श्री लक्ष्मण हीरात

५. श्री अर्जुनदास

६. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

७. श्री शिवचरणदास

८. श्री जयचन्द मोहिल

६. डॉ० चन्द्रकला

१०. श्री सम्पतराज

उक्त नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत उपरोक्त समिति के लिये श्री नारायणसिंह मसूदा को सभापति नियुक्त राव किया गया है।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३४ के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को विशेषाधिकार समिति के लिये मनोनीत किया गया है :—

१. श्री तेजमल बापना

२. श्री भंवरलाल शर्मा

३. श्री बृजमोहनलाल शर्मा

(श्री अध्यक्ष)

४. श्री तेजपाल

५. श्री नाथूराम भील

६. श्री मनरूपराम परिहार

७. श्री फतहसिंह

८. श्री अनूपसिंह

९. श्री मानकचन्द कोठारी

१०. श्री रघुवीरसिंह ।

उक्त नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत उपरोक्त समिति के लिये श्री तेजमल बापना को सभापति नियुक्त किया गया है ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३९ (१) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, १९६१–६२ के लिये मनोनीत किया गया है :

१. श्री चन्दनमल वैद

२. श्रीमती प्रभा मिश्रा

३. श्री सोहनलाल भटनागर

४. श्री घासीराम यादव

५. श्री सम्पतराज

६. श्रीमती गंगादेवी डाटा

७. श्री आबिदअली

८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

९. श्री महेन्द्रसिंह पंवार

१०. श्री जेठमल बरबाड़ा

उक्त नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत उपरोक्त समिति के लिये श्री चन्दनमल वैद को सभापति नियुक्त किया गया है ।

इस समिति का कार्यकाल दिनांक १८ मई, १९६१ से प्रारम्भ होगा ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४५ (१) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, १९६१–६२ के लिये मनोनीत किया गया है :

१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

२. श्रीमती गौरी पूनिया

३. श्री मोहरसिंह

४. श्री धन्नालाल हरित

५. श्री हरिप्रसाद यादव

उक्त नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत उपरोक्त समिति के लिये श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी को सभापति नियुक्त किया गया है ।

इस समिति का कार्यकाल दिनांक १८ मई, १९६१ से प्रारम्भ होगा ।

(श्री अध्यक्ष)

गृह समिति के सदस्यों की घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २४६ (२) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को गृह-समिति के लिये मनोनीत किया गया है :

१. श्री रामदेवसिंह
२. श्री हरिकृष्ण
३. श्री गुलाबसिंह
४. श्री होतीलाल
५. कुमारी शन्नोदेवी

उक्त नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत उपरोक्त समिति के लिये श्री रामदेवसिंह को सभापति नियुक्त किया गया है।

इस समिति का कार्यकाल तुरन्त प्रारम्भ होगा।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की उपस्थापन

श्री चन्दनमल वैद (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : सभापति महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, १९६०-६१ के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

आश्वासन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (सभापति, आश्वासन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति, १९६०-६१ के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार-विमर्श एवं सहमति

श्री तेजमल बापना (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Order, Sir, It cannot be taken into consideration unless it is presented before the House.

श्री तेजमल बापना : It was presented yesterday.

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सर्कुलेट भी इसको इतना लेट किया गया है, हमने इसको देखा नहीं है।

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय, यदि अनुमति हो तो इसमें क्या है, इसके बारे में बता दूं ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि हाई कोर्ट से एक लैटर विधान सभा सेक्रेटेरियट में आया है जिसमें

[redacted]

(श्री तेजमल आपना)

रिट पिटीशन नं. २७ ऑफ १९६१ भागचन्द एण्ड अदर्स वर्सेज़ कलेक्टर, बीकानेर एण्ड अदर्स के अन्तर्गत । पंचायत एक्ट जो हाउस से पास हुआ है उसके कागजात की फाइल हाई कोर्ट ने मंगाई है । इस सम्बन्ध में प्रिवलेज कमेटी को मोशन भेजा गया और प्रिविलेज कमेटी ने १२ अप्रैल की अपनी बैठक में इस केस पर विचार किया और क्योंकि यह राजस्थान के लिये पहला ही मसला था इसलिये हमने जो हाउस ऑफ कॉमन्स और पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उस पर विचार किया और विचार करके यह रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की है । हाउस ऑफ कॉमन्स और पार्लियामेंट में जो प्रेक्टिस है उसके अनुसार सदन की किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में चाहे कोई सदस्य हो, एसेम्बली का कोई ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो या क्लर्क हो बिना सदन की अनुमति के रिपोर्ट के सम्बन्ध में बयान देने और कागज प्रोड्यूस करने का अधिकार नहीं, जनरली ऐसी प्रेक्टिस हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट में पाई गई कि ऐसी कोई रोक नहीं होनी चाहिये ? कुछ मिसालें पेश की हैं । किसी भी कोर्ट ने कागजात मांगे हैं तो उनको भेजे हैं इसलिए हमने भी रिपोर्ट की है कि कागजात भेजे जावें ।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): I have got objection in this.

जहां तक लोकसभा या हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रोसिजर है और प्रिविलेज कमेटी ने सिफारिश की है, सिफारिश ठीक है लेकिन जो हाई कोर्ट का लैटर है और जो कन्डीशन्स लोकसभा ने प्रेस्क्राइब की हैं उनको फुलफिल नहीं करते हैं । लोकसभा का निर्णय इस प्रकार का है : "Whenever any documents relating to the proceedings of the House or any Committee thereof were required to be produced in a Court of Law, the Court or the parties to the legal proceedings should request the House stating precisely the documents required, the purpose for which they were required. It should also be specifically stated in each case whether only a certified copy of the document should be sent or an officer of the House should produce it before a Court of Law." ये तीन चीजें इसमें जरूरी हैं कि जो जो डॉक्युमेन्ट्स रिक्वायर करेंगे पर्पज़ली मेन्शन करेंगे; Purpose for which they are required and the day by which they are required.

अब सिर्फ इस आधार पर हमारी जो सिफारिश है उसमें यह लिखा गया है कि इसमें जो मांगा गया उसको दिया जायेगा । लेकिन जहां तक हाई कोर्ट का लैटर है उसको देखें तो उसमें पर्पज़ मेन्शन्ड नहीं है । इसमें लिखा है : "The file relating to the Rajasthan Panchayat Amendment Act, 1960 (Act No. 25 of 60) and containing in particular the reports of the Select and other Committees, Notes on the Bill in different Readings, the Report of the Evaluation Committee and the relevant Assembly debates of 11-4-60 and other dates regarding the provision finally adopted and Section 6 of the Raja-

(श्री पी. के. चौधरी)

sthan Panchayat Amendment Act, 1960 (Act No. 25 of 1960) substituting new Section for section 9 of the Rajasthan Panchayat Act, 1960 (Act 21 of 1963) may kindly be sent to this office before 10-4-61, for the perusal of the Hon'ble Court." पर्पज़ में पेरूज़ल ऑफ दी ऑनरेबल हाई कोर्ट मंगाया जाता है तो वहांपर जो लोकसभा में, हाउस ऑफ कॉमन्स में है कि स्पेसिफिक पर्पज़, for what purpose they exactly want, हाई कोर्ट के लैटर में होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पर्पज़ के सम्बन्ध में जहां तक मेरा ख्याल है, या तो एवीडेन्स के लिए चाहिये, या क्रोस एक्ज़ामिनेशन के लिए सबोर्डिनेट कोर्ट को चाहिये या बहस के दौरान में बहस करने को चाहिये। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन का मामला होगा, उसमें पेरूज़ल के लिए मांगने का पर्पज़ हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है ?

श्री पी० के० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं उसका इन्टरप्रिटेशन यह करता हूँ। लोक सभा ने इस बात को स्वीकार किया है ? that the court or the parties to the legal proceedings should request the House stating precisely for the documents required, the purpose for which they were required and the date...

श्री अध्यक्ष : Does the Hon'ble member mean to suggest that we should not send this to the High Court ?

श्री पी० के० चौधरी : No. I don't mean this. They should write a second letter and mention the purpose specifically.

श्री अध्यक्ष : They have mentioned for the perusal of the Hon'ble Court.

श्री पी० के० चौधरी : What perusal ?

श्री अध्यक्ष : Document is needed for perusal......

श्री पी० के० चौधरी : This is not the specific purpose for which they require it.

श्री अध्यक्ष : What use they can show then ?

श्री पी० के० चौधरी : Purpose means two-three things. It may be that Certain debates or expressions may be cited. One may be to interprete the law, the other thing may be to look into those amendments which were dropped. So what is the specific purpose for which they require this, that should be mentioned in the letter specifically. If we send it this time next time also we may have to send another file. So it is desirable that when the Lok Sabha has clearly mentioned in its report, we think this is not the sufficient purpose. They might like to have t for interpreting the law, or to know the Legislature's intentions or what

(श्री पी. के. चौधरी)

the Law Minister opined on the Bill. Otherwise I don't think, there is any reason why should the Lok Sabha mention for the specific purpose. Rest of the Report is the same as debated in the Lock Sabha or in the House of Commons.

We should, therefore, make an additional recommendation that the High Court should write a letter clearly specifying the purpose for which they will like to use it. So 11th para of this report may be amended that after obtaining a letter specifying the exact purpose for which they want this file, we may send our file. That much amendment, I want to make in para 11. I have got nothing more to say.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा):Some of the documents must have been publis hed bynow and I think this has been published. They need not be sent.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो आवश्यक डाक्यूमेंट्स सदन से तलब किये हैं उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन यह करना है कि मुझे इस सम्बन्ध में आपत्ति नहीं और मैं समझता हूँ कि इस सदन को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये यदि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को कोई भी कार्यवाही की आवश्यकता होती है। इसलिए इस सदन को सहर्ष इस प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करनी चाहिये, लेकिन उससे पूर्व एक–दो बातें महत्वपूर्ण हैं, जिन पर विचार करना चाहिये। एक बात तो यह कि यह जो पत्र आया है, इस पत्र में लिखा हुआ है : "that all these documents may kindly be sent to this Office before 10th April, 1961, for the perusal of the Hon'ble Court.

अब प्रश्न यह है कि १०-४-६१ की तारीख निकल चुकी है ऐसी परिस्थिति में अब न्यायालय को उसकी आवश्यकता भी है या नहीं ? यदि आवश्यकता नहीं है तो इस प्रकार के प्रतिवेदन पर सहमति प्रगट करें, तो यह हो सकता है कि भविष्य के लिए हम कोई नीति निर्धारित कर दें, ऐकेडेमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से यह हो सकता है कि हम यह मान कर चलें कि अदालत ने फैसला नहीं दिया है। उस स्थिति में, मैं समझता हूँ कि आज १४ तारीख होने के बाद भी हाई कोर्ट से न तो टेलीफोनिक मेसेज सचिवालय को आया है कुछ न और। ऐसी स्थिति में इस पत्र के सम्बन्ध में, जो १०-४-६१ को आया है उस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होगा। इसलिए उस सम्बन्ध में यहां न तो डिसीज़न लेने की आवश्यकता है, न निर्णय लेने की आवश्यकता है, जब कि उच्च न्यायालय से पुन: कागजात के लिए सूचना नहीं आती। अब उसके लिए अगर सदन की कार्यवाही स्थगित भी हो जायेगी तो अध्यक्ष महोदय को पूरे अधिकार हैं। एक बात दूसरी बात है कि जो कागजात मांगे हैं ११-४-६० की इस सदन की कार्यवाही के, जिसमें राजस्थान पंचायत एक्ट पास किया गया है, उससे रिलेवेन्ट डिबेट मांगी गई है। मैं समझता हूँ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि १९६० की डिबेट प्रिन्ट हो चुकी है उन प्रिन्टेड डिबेट्स की कॉपी हाई कोर्ट के पास भी जाती है। इस प्रकार जो प्रिन्टेड कॉपी हाई कोर्ट में अवेलेबल हो सकती है, उस डाक्युमेंट को अलग से हमारे अधिकारी के द्वारा यहां से भेजें, मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इन दोनों प्रश्नों पर विचार करते हुए सदन विचार करे कि इस प्रतिवेदन पर सहमति प्रगट करने की आवश्यकता है या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, जो डॉक्युमेंट हाई कोर्ट ने मांगे हैं उस सम्बन्ध में जो दरख्वास्त दी गई है, वह इस सिलसिले को लेकर दी गई है कि पंचायत समिति के एक्ट में अमेंडमेंट किये गये, उनमें जो बहस हुई वह बहस क्या हुई; उसके बारे में सदन की भावना को समझ कर हाई कोर्ट अपना निर्णय देना चाहता है, उस सम्बन्ध में यह मांगे गये थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : point of order, sir. I would like to draw the attention of the Chair to a particular fact that the document is being summoned in the High Court in a Civil writ coming from Bikaner in which the Hon'ble member is interested and I would like to know whether an interested Hon'ble member cand persuade the House to send the document to the High Court ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं उससे कतई सम्बन्धित नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए जानता हूँ कि बीकानेर के एक गांव का किसान यहां आया था हाई कोर्ट से कागज लेकर आया था यहां पेश करने के दृष्टिकोण से....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : He isa party to the case.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो हूँ नहीं पार्टी....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): पार्टी के हों तो क्या हर्ज है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो बहस हुई, उनकी भावना देखने के लिए मांगे हैं। हमारे यहां कोआॅप्शन के सम्बन्ध में जो गड़बड़ी हुई थी उस सम्बन्ध में इलेक्शन पिटीशन किया था। उस सम्बन्ध में जो बहस हुई उस तारीख को उस क्लॉज़ के सम्बन्ध में, ११ तारीख को, उसके सम्बन्ध में इस हाउस की क्या राय थी, वह जानने के लिए कागज़ मांगना चाहते हैं। तो अभी जैसा सम्माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्रिन्टेड हो चुकी है, प्रिन्ट नहीं हुई है, अगर होती तो फिर जरूरत नहीं होती....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of information, Sir, who delivered this letter of the High Court to the Secretary. Rajasthan Legislatiue Assembly ? Did it come by post or through a learned friend of mine, the Hon'ble member ?

श्री पी. के. चौधरी : I think such

(श्री पी. के. चौधरी)

matters should not be dragged in the floor of the House.

श्री मुरलीधर व्यास : वहां से जो आदमी आया था वह बीकानेर का था मेरा काम था उसको सेक्रेटरी साहब तक पहुँचा देने का।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of information. This is a very vital issue, Sir. Whether the Hon'ble member brought this letter from the High Court or it came by post to the Secretariat ?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दे रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर पश्चिम) : Hon'ble member from Bikaner...

श्री मुरलीधर व्यास : मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि जिस गांव का मसला था, जिस व्यक्ति का था वह हाई कोर्ट गया। उसको जो हुक्म मिला उसको लेकर वह सेक्रेटरी साहब के पास गया। यहां आने के बाद मेरा सम्बन्ध था। उसने मेरे से कहा कि यह कागज पेश करना है। वह खुद आकर इनके पास पेश कर गया।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस कमेटी के मेम्बर थे ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी ! मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। वह कागज पेश कर गया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो बातें कही थी, हाई कोर्ट इस सदन की राय जानना चाहता है। उस धारा के सम्बन्ध में सदन के अन्दर क्या क्या बातें कही हैं कोर्प्रोरेशन के सम्बन्ध में। तो उस सम्बन्ध में जो कागज़ तलब किये गये हैं वे प्रिन्टेड नहीं हैं। जैसा सम्माननीय सदस्य ने कहा कि प्रिन्टेड हैं इसलिए आवश्यकता नहीं हैं। वे प्रिन्टेड नहीं हैं, ऐसी स्थिति में मांगे गये हैं। इसके सिवाय दूसरे कागजात नहीं है, जो पेश किये जा सकते हैं। इसलिए इस पर अपनी सहमति प्रगट करनी चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, जहां तक इसके भेजने का प्रश्न है उसमें तो खैर दो राय हो नहीं सकती कि हाई कोर्ट मांग करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जरूर भेजने चाहिए। मगर उसमें एक बात है, जैसा फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जब तक हाई कोर्ट पर्पज़ न बताये तब तक प्रोसीडिंग्ज़ या कागजात कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं भेजने चाहिए। चूंकि जब तक एक क्लॉज़ या कानून की कोई भी धारा एम्बीगुअस हो और उसका इन्टरप्रिटेशन निकालने के लिये हाउस का इन्टेन्शन जानना चाहें तो सदन की कार्यवाही भेजी जा सकती है; लेकिन अगर एविडेन्स के तौर पर उस भाषण को यूज़ किया जाय तो हमारी यहां पर बोलने की स्वतन्त्रता है, वह स्वतन्त्रता नष्ट न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अभी तक हाउस में जो लैटर आया है उसमें पर्पज़ नहीं लिखा है अगर पर्पज़ लिखते तो यह कह सकते थे कि इसको भेजा जाए या नहीं। लेकिन पर्पज़ नहीं लिखगया है। इसलिये अगर कोई भी पार्टी इसको बतौर एविडेन्सी के

Page No.47

(श्री श्रीमानसिंह)

यूज़ करना चाहे तो मैं इसके भेजने के कतई फेवर में नहीं हूँ।

दूसरी बात यह कि जिस डेट को इसकी जरूरत थी वह डेट तो एक्सपायर हो गई। अब इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसको जानने के बाद सदन अपनी राय पेश करे। इसके अलावा यह जानना चाहिये कि यह किस पर्पज़ के लिए मंगाई जा रही है और जब इसकी डेट एक्सपायर हो गई तो अब भी क्या इसकी जरूरत है ? इसलिये इसकी जानकारी प्राप्त की जावे और बाद में भेजी जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Ona more Point of Order, Sir. In this particular case the proceedings have been summoned by the Rajasthan HighCapourt. Administration of Rajasthan High Capourt is menifested through the Hon. C. J. whose powers are delegated to the Registrar and in the absence of any letter signed by the Registrar that letter of summoning thefile is not treatedas on behalfof His Lordship,the Chief Justice. This letter has been addressed by the Dy. Registrar who has not beendelegated any powers to sign on behalf of the C. J. I have seen so many documents signed by the Registrar on behalf of C. J. Therefore, the letter written by Registrar should be presumef to have been written on behali of C. J. as a summon.

श्री अध्यक्ष : यह पत्र इस प्रकार है :

"The file relating to the Rajasthan Panchayat Amendment Act, 1960 (Act No. 25 of 60) and containing in particular the reports of the select and other Committees, Notes on the Bill in different Readings, the Report of the Evaluation Committee and the Relevant Assembly Debates of 11-4-60 and other dates regarding the provias sion finally adopted and section 6 of the Rajasthan Panchayat Amendmen Act, 1960 (Act No. 25 of 1960) substituting new section for section 9 of the Rajasthan Panchayat Act 1953 (Act 21 of 1953) may kindly, be sent to this office before 10-4-61 for the perusal of the Hon, ble Court."

श्री पी. के. चौधरी : Who has signed this letter ?

श्री अध्यक्ष : By the Deputy Registrar.

श्री पी. के. चौधरी : He is not competent to sign it.

श्री अध्यक्ष : Any more member ?

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष, जो बातें अभी कही गई हैं ....

श्री श्रीमानसिंह : माननीय सदस्य इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं और वे बोल चुके हैं। अगर कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर हो तो उसको कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नई बात हो तो बता दें।

Page No.48

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि किस मुद्दे को लेकर मंगाना चाहते हैं ? जब तक इसका जवाब न आए इसको नहीं भेजा जावे। यह तो पत्र में दिया है। तारीख गुजरजाने का प्रश्न है, आया अब इसकी जरूरत है या नहीं ! इसके एक क्लॉज़ पर जो बहस हुई है उसको देखने के लिये हाई कोर्ट ने मंगाई........

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Sir, the' Hon, ble member is explaining thr purpose for which it is required by the High Court, that purpose we wanted to know from the Court and not from the Hon'

श्री मुरलीधर व्यास ; वह इसमें लिखा है।

श्री अध्यक्ष : जैसा आपने इस लेटर का इन्टरप्रिटेशन निकाला है उसका माननीय सदस्य दूसरा इन्टरप्रिटेशन निकालते हैं और बहस के लिये कह सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर मैंने किसी को थीफ कहा हो और वह थीफ है नहीं, मगर फिर भी मान लें तो वह डिफेमेटरी सूट मेरे खिलाफ फाइल कर देगा । Therefore, it is nery essential that we should know from the High Gourtabout the specific purpose othe,rwise I have the right to defend......

श्री अध्यक्ष : It is very well protected. Don' t worry.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं समझता हूँ कि इसमें पर्प दिया हुआ है। इसमें धारा का जिक्र है। इसके अतिरिक्त सदन आम जनता के लिये कानून बनाता है और इस कानून को बनते समय सदन की क्या राय बनी है उसके आधार पर ही निर्णय करते हैं। जहां निर्णय और न्याय देने का ताल्लुक है मैं कहूँगा कि सदन कानून बनाता है और सदन की राय को जानना जरूरी है। यहां पर बहस आदि सब कुछ हुए हैं। यह होना चाहिये कि सदन को यह अधिकार है कि जो कुछ राय सदन की रही है उसको न्याय के तौर पर अगर हाई कोर्ट मंगाता है तो उसको भेज देना चाहिये। इससे मैं समझता हूँ कि सदन की प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। सदन तो यह चाहता है कि जो निर्णय हमने दिया है उसके अनुसार न्याय हो। सदन ही कानून बनाता है।

श्री पी. के. चौधरी : Certainly not. Our House is Sovereign Our proceedings are not open to High Court.

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये पर्पज़ पूछना जरूरी है, because the House will know whether for that purpose the proceedings are necessary or not ? यह नहीं कि हाई कोर्ट ने मांग लिया है इसलिये इसको भेज दिया जावे। पर्पज़ इसलिये मंगाया जाता है कि किसके लिये चाहिये ? whether that days proceedings will serve this purpose or not. ? lwe feel it is not going to serve that purpose, we will refuse to send themo. तो इसलिये पर्पज तो मंगाना आवश्यक है। अब तो एक सिलसिला हो जावेगा। जब हाई कोर्ट में

(श्री पी. के. चौधरी)

जरूरत होगी तभी प्रोसिडिंग्ज़ मंगाई जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : आप एक बार पहले भी कह चुके हैं।

श्री आबिदअली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त प्रश्न आपके सामने यह है कि जो डॉक्युमेन्ट हाई कोर्ट ने मांगा है उसे हाईकोर्ट को भेजना चाहिये या नहीं? अनफोर्चुनेटली हमारे जो रूल्स हैं उन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिससे इस पर कुछ कहा जा सके। अब देखना यह है कि क्या असेम्बली की प्रोसीडिंग्ज़ पब्लिक डॉक्युमेन्ट है या प्राइवेट? अगर पब्लिक डॉक्युमेन्ट है तो कहा जा सकती है। इस सम्बन्ध में रूल्स को देखा तो वे साइलेन्ट हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : पब्लिक डॉक्युमेन्ट की डेफिनेशन में आती है।

श्री आबिदअली : मैंने रूल्स देखे हैं। मैं एक रिलेवेन्ट रूल आपको रेफर करता हूँ जिससे कुछ मदद मिले। रूल ३०० :

"The Speaker may authorise printing, publication, distribution or sale of any paper, document or report in connection with the business of the House or any paper, document or report laid on the Table or presented to the House or a Committee thereof"

जब इन रूल्स के अन्दर एक अधिकार पीकर को दिया हुआ है कि वह सेल भी कर सकता है, नोटिफिकेशन्स निकलते हैं कि जो सेल होते हैं वे पब्लिक डॉक्युमेन्ट की तारीफ में आते हैं। वे डॉक्मेयुन्ट्स जो सेल नहीं हो सकते वे इस तारीफ में नहीं आते। आप इसको एसेम्बली सेक्रेटेरिएट के मार्फत पब्लिश करा सकते हैं। यह पब्लिश होती है और जब सेल का अधिकार दिया है तो यह पब्लिक डॉक्युमेन्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो........

श्री अध्यक्ष : ये प्रोसीडिंग्ज अभी तक छपी नहीं हैं।

श्री आबिदअली : यह पब्लिक डॉक्यु-मेन्ट की तारीफ में नहीं आता। अब तक अगर ये नहीं छपी हैं तो अभी ये पब्लिश नहीं हुई। इसलिये अभी जितनी प्रोसीडिंग्ज हैं हाउस में रहने की हैं। जब छप जावेंगी तब पब्लिक डॉक्युमेन्ट बन जावेगी। इसका मतलब यह है कि जितने भी वर्डिंग्स हैं कट करने या एमेन्ड करने के उनका अधिकार स्पीकर को है। इसलिये जब तक स्पीकर महो-दय उसको देख न लें और जब तक ऑब्जे-क्शनेबल वर्ड्स हैं उनको स्ट्राइक ऑफ न कर लें तब तक ये पब्लिश नहीं होती और जब तक पब्लिश नहीं हो जावे इसको हाईकोर्ट में नहीं भेजी जावे और जब पब्लिश हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इसको हाईकोर्ट में भेजने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

अब एक सवाल इसमें यह आता है कि वह किस पर्पज़ के लिए मांगी जा रही है? उसके लिए मुझे निवेदन करना यह है कि एप्रिसियेशन के साथ साथ स्ट्रिक्चर या क्रिटिसिज्म की बात आती है तथा कन्डक्ट

Page No.50

(श्री आबिदअली)

ऑफ बिज़नेस में प्रिविलेजेज़ का चैप्टर मौजूद है और हाईकोर्ट उनको देख कर ओपिनियन दे सकता है । हाईकोर्ट ने इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ का किया है और उस सिलसिले में ये तमाम डॉक्युमेन्ट्स मांगे जा रहे हैं । अनफोर्चुनेटली यह क्लियर नहीं है । कई रूलिंग्स हाई कोर्ट की मेरी नजर में आई हैं । कई ऑथोरिटी हाई कोर्ट की मेरी नजर में आई हैं। हाई कोर्ट ने साफ लिखा है कि इन्टेन्शन लेजिस्लेचर का क्या था, यह नहीं देखना है । वर्ड्स से ही उसको निकालना है । दो-तीन रूलिंग्ज़ इस प्रकार की मेरी नजर में आई हैं । हाई कोर्ट ने हमेशा यह कहा है कि जो शब्द यूज़ किये गये हैं उनका क्या कन्स्ट्रक्शन है, यह देखना है । रूलिंग दे दिया । अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट क्यों मांगता है ? उसके लिए मेरा यह मानना है कि यह प्राइमरी इम्पोर्टेन्स की बात नहीं है । जब तक हमारी प्रोसिडिंग्ज़ पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स की तारीफ में नहीं आ जाती हैं तब तक उनको नहीं भेजना चाहिये और जब पब्लिश हो जाती हैं तो फिर उनको भेजने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि जब यह माना जाय कि पब्लिश हो जाने के बाद ही उसको पब्लिक डॉक्युमेन्ट माना जाय और उससे पहले वह पब्लिक डॉक्युमेन्ट नहीं है, मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ । जो डॉक्युमेन्ट्स पब्लिश किये जा सकते हैं, किये जाते हैं, पब्लिश किये जायं या नहीं, पब्लिश हो जायं या नहीं, वे पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स ही हैं और रहेंगे । पब्लिश हो जाने के बाद ही वे पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स होंगे और तब ही उनको पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स मानेंगे, यह मेरी राय में सही नहीं है । हाई कोर्ट में जजमेन्ट्स होते हैं या रूलिंग्स होती हैं । ए. आई. आर. में वे छपते हैं उससे पहले ही वे पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स बन जाते हैं । वे रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट को भेजे जाते हैं और तमाम कोर्ट्स को हाई कोर्ट भेजता है । इसलिए पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स तो पपले से ही बने हुए हैं न कि पब्लिश होने के बाद ही वे होंगे ।

श्री आबिदअली : सदन का समय बच जाय, इस दृष्टि से मैंने जितने रूल्स हैं इस सम्बन्ध में उनको रेफर नहीं किया है । रूल २९८ में यह है, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं पढ़ देता हूँ :—Rule 298 lays down :

"If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House." तो जितने भी ऐसे डिफेमेटरी वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्शनेबल और अनपार्लियामेन्टरी वर्ड्स हैं जब तक अध्यक्ष महोदय उनको देख न लें और प्रोसिडिंग्स में से न निकल जायं तब तक प्रोसिडिंग्स छपती नहीं हैं और पब्लिक डॉक्युमेन्ट्स नहीं बनती हैं और जब तक वे चीजें रहती हैं तब तक पब्लिश नहीं होंगी । इसके लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार से ही भेज दी गई तो खराब पोज़ीशन हो जावेगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह उस

(श्री आबिदअली)

वक्त था, प्रिन्सिपल की बात है।

श्री आबिदअली : यदि आज डिबेट होती है और कल ही उसको भेज देते हैं और भेजने के बाद उसमें करेक्शन्स हों और ऐसे शब्द निकाल दें तो क्या पोज़ीशन होगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की आपत्ति का हल यही हो सकता है कि भेजने से पहले प्रोसिडिंग्ज को एडिट करते हैं और जब वह प्रिन्ट करने की स्थिति में होती है तब ही उसको भेजा जाता है। उसी तरह से उसको बना कर भेज दिया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): बना कर भेज दिया जावेगा तो फिर हाई कोर्ट में रिट हो रही है तो उसका प्रिविलेज क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : बनाने से क्या मतलब है आपका ? बिल्कुल उलट पुलट थोड़े ही करते हैं।

श्री आबिदअली : हमारे रूल्स के अनुसार जो कन्डीशन्स और फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है और उन प्रोसिडिंग्ज़ की ऑथेन्टिसिटी हो जाती है तो उसको हाई कोर्ट में भेजने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जब तक प्रोसिडिंग्ज़ तैयार इस तरीके से न हो जायं तब तक नहीं भेजना चाहिये और जब तैयार हो जायं तो भेजने में कोई एतराज नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : A new point arises, Sir. It appears that the Hon'ble member from Bikaner is very much interested and it will now be an additional factor to be considered whether any Hon'ble member who may get interested in a particular case and then an Hon'ble member can create an atmosphere here and then these proceedings are produced in the Court, this is a very bad precedent. We may state and ask the High Court, what is the specific purpose. The other point raised by Shri Satish Chandra is also sound whether they want this even now. High Court might have given judgment by now.

श्री अध्यक्ष : उसके लिए भी यह हो सकता है कि उनकी ओर से डिमान्ड है तो आवश्यक हुआ तो भेजी जावेगी। अभी नहीं भेजी जा रही है।

(विराम)

श्री तेजमल बापना।

(श्री मुरलीधर व्यास के बोलने के लिए पुनः खड़े होने पर)

माननीय सदस्य तीन चार दफा बोल चुके हैं। अब न बोलें। दूसरों को भी मौका दें।

श्री तेजमल बापना (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई है। कॉमन आपत्ति है, वह यह है कि पर्पज़ इसमें मेन्शन नहीं किया गया है।

(श्री तेजमल बापना)

जहां तक कमेटी ने ऑब्ज़र्व किया है "for the perusal of the Hon'ble Court" का मतलब यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया था बहस में उनके विचारों को देखने का ही मतलब है। "पेरयुज़ल ऑफ हाई कोर्ट", हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है और एविडेन्स एक्ट में भी है कि कोई कोर्ट फाइल मंगाती है तो यही लिखा जाता है कि "For the perusal of the Hon'ble Court" साधारणतया तो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं वे ही होती हैं। जिस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी गई है वह अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि ४ तारीख को भेजे जाने के लिए था, लैटर आया है असेम्बली में ७ तारीख को। तो इसके लिए कमेटी ने दो प्रोसीजर बताये। एक तो हाउस इन सैशन हो तो क्या प्रोसीजर हो और दूसरा यह है कि हाउस इन सैशन न हो तो क्या हो ? जब हाउस इन सैशन नहीं होता है तो अध्यक्ष महोदय को पूरा अधिकार होता है कि जरूरत के माफिक अध्यक्ष महोदय किसी ऑफिसर को इसके लिए डेप्यूट करें और वह फाइल ले जाकर वहां बताये और जब हाउस इन सैशन हो तो प्रिविलेजेज़ कमेटी को वे एन्ट्रस्ट कर दें और उसके लिए वह बताये। सैशन आज समाप्त हो रहा है और अध्यक्ष महोदय को अधिकार दिया है कि किसी अधिकारी को भेज कर इस फाइल के लिए वे आवश्यक कार्यवाही करें। जिस पर्पज़ के लिए फाइल मांगी गई है, तारीख तो उसकी निकल गई है। हो सकता है कि हाई कोर्ट डेट चेन्ज करे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पब्लिक डॉक्युमेन्ट है या नहीं ? पब्लिक डॉक्युमेन्ट तो है। सेल किया गया है या नहीं, यह प्रश्न आता है। यह अध्यक्ष महोदय और सेक्रेटरी महोदय के देखने का काम है। जब वह पूरे प्रेस में जाने के रूप में आ जाय तो उसको भेज दें, सदन को विश्वास रखना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : काम ही तो सदन जानना चाहता है।

श्री तेजमल बापना : किसी भी पर्पज़ के लिए भेजी जाय।

श्री श्रीभानसिंह : 'Perusal' is no work.

Proceedings are not a Novel which they want to read.

श्री तेजमल बापना : कोई फाइल मांगे कोर्ट ऑफ लॉ और डॉक्युमेन्ट को लेने की जरूरत हो तो सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : You are expressing a very wrong opinion. I cannot get even a certified copy of your speech from the House. This is not a Court of Law where a document can be summoned. If I want a copy of your speech, I cannot.

श्री आबिद्अली (सवाईमाधोपुर) : There is a provision in the Rules like this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I have myself tried so many times to get a copy from this

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Secretariat and I have been told that there is no such procedure.

श्री आबिद अली : There is a provision.

श्री तेजमल बापना : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह बता रहा हूँ कि क्या प्रेक्टिस है। कोर्ट ऑफ लॉ कोई फाइल मांगे तो साधारणतया उसको देखने के लिए मंगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : Let the Hon'ble member finish. He is replying to so many points raised by so many Hon'ble members. We should listen to him atleast.

श्री तेजमल बापना : मेरा निवेदन करना केवल यह था कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब दूसरे विभागों से भी फाइल मंगवाई जाती है तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। लिखने का साधारण तौर पर जो तरीका है वह यह है कि: the file is required for the perusal of the Hon'ble Court- यही लिखा जाता है। उसके बाद में पेरुजल होता है। इसमें यह नहीं है कि किसी एक मेम्बर की स्पीच की सर्टिफाइड कॉपी दी जाय। यह एक प्रकार से प्रेक्टिस है कि कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा किसी फाइल को तलब किया जाता है, मंगवाई जाता है तो इसी प्रकार लिखा जाता है....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): You are equating this House with a Department.

श्री तेजमल बापना : Not at all like that. मैं वह नहीं कहता हूँ। जो प्रोसीजर कोर्ट ऑफ लॉ का है वह निवेदन कर रहा हूँ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That does not apply to the Assembly, otherwise we would not have been asked to pass this Resolution.

श्री तेजमल बापना : वह डेफीनिटली एप्लाई नहीं होता, इसीलिये प्रिविलेज कमेटी के सामने वह मोशन मूव हो जाता है। उस पर प्रिविलेज कमेटी विचार करे, सदन विचार करे। अगर मुनासिब हो तो फाइल भेजी जा सकती है। इसके साथ साथ यह भी आपत्ति प्रस्तुत की गई कि इसमें पर्पज़ मेन्शन नहीं किया गया है। इसमें पर्पज़ साफ लिखा है कि पेरुज़ल ऑफ दी ऑनरेबल हाई कोर्ट; यह पर्पज़ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। दस तारीख पास हो गई है, आइन्दा यदि आवश्यकता होगी तो भेजी जायेगी, नहीं तो भेजने की आवश्यकता नहीं। इसके बारे में माननीय अध्यक्ष एवं सचिव महोदय स्वयं विचार कर लेंगे, और कोई खास बात नहीं है। हमने प्रेक्टिस यह देखी है कि पार्लियामेन्ट में, हाउस ऑफ कामन्स में जब भी इस प्रकार के मौके आये हैं हाउस लिबरल रहा है और जहां जहां से भी इस प्रकार की मांग आई है रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई जिसमें रिपोर्ट नहीं भेजी गई हो या फाइल नहीं भेजी गई हो।

श्री आबिद अली : हम नहीं भेजना चाहते हों, यह बात नहीं। यह कोई प्रिविलेज डॉक्युमेंट तो है नहीं जिसे भेजा नहीं जा सकता हो।

श्री पी०के० चौधरी : We treat question of our rights and privileges liberally, but we want them for specific purpose.

अगर वे स्पेसिफिक पर्पज़ बतादें तो हम भेज देंगे ।

श्री अध्यक्ष : पर्पज़ के लिये मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि लोक सभा की जिस व्यवस्था का उल्लेख किया गया है वहां पर एक चिट्ठी एडीशनल फर्स्ट क्लॉस मजिस्ट्रेट, त्रिचनापल्ली से आई थी, उसके वर्ड्स ये थे । उसके सारांश का मुख्य भाग इस प्रकार है :

"Whereas a complaint has been made before this Court that the accused has committed the offence of defamation under Section 500 I. P. C. and it has been made to appear to this Court that the production of the undermentioned documents now in your possession cr power is necessary for the purposes of the trial before this Court, you are hereby summoned to cause to be produced the said documents before this Court at 11 A. M. on the seventh day of September, 1957." यहां पर उन्होंने पर्पज़ ऑफ ट्रायल रखा है ।

श्री पी० के० चौधरी : That shows it was for evidence.

श्री अध्यक्ष : No, इसमें सब्जेक्ट मैटर बताया गया है, 'फोर दी पर्पज़ ऑफ ट्रायल' बताया है ।

श्री आबिदअली : ट्रायल में एवीडेन्स आ गई है । जब इसमें पेरुज़ल आ गया है तो मेरे ख्याल से पर्पज़ आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष : यहां पर एक आपत्ति श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने उठाई है कि इस चिट्ठी पर डिप्टी रजिस्ट्रार के दस्तखत किये हुए हैं, इसलिये इसको मान्य नहीं किया जाना चाहिये । नियमों में ऐसा है कि रजिस्ट्रार के स्थान पर डिप्टी रजिस्ट्रार दस्तखत कर सकता है। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं वे इस प्रकार हैं :

11. "Exercise of powers by other officers : The Chief Justice may authorise the Deputy Registrar or any other officer to exercice such functions, powers and duties of the Registrar under these rules as he may by order assign to him."

सदन के सामने ऐसा कोई ऑर्डर या उसकी कॉपी प्रस्तुत नहीं की गई है कि जिसके अनुसार कहा जा सके कि डिप्टी रजिस्ट्रार को अधिकार नहीं दिया गया हो । चिट्ठी अपने पास ऑफिशियल तरीके से आई है । इसलिये हमें यह मान कर चलना चाहिये कि जिनको पत्र भेजने का अधिकार है उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया है । इसलिये इन आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए मैं सदन के सामने जो विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन रखा गया है उसको सदन के मतदान के लिये रखता हूँ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन विचारार्थ लिया जाय.?

(स्वीकृत)

Page No.55

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री तेजमल बापना (चेयरमेन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की जाय।

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर दू कि अगर माननीय हाईकोर्ट को आवश्यकता हुई तो उसी हालत में डॉक्युमेंट्स भेजे जायेंगे। दूसरी बात यह कि डिबेट्स इत्यादि सामान्यतया एडिट होती हैं उसी स्थिति में भेजी जावेंगी। जिस बारे में सदन में यह लाया गया है उसके लिये हम ऐसा मानते हैं कि हाईकोर्ट ने यह कागजात इसलिये तलब किये हैं कि वे छप नहीं पाये हैं, अगर छप जाते तो यह आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब कभी भी इस प्रकार के डॉक्युमेंट्स भेजने की बात होगी तो जैसा हम छपवाने के लिये भेजते हैं उसी प्रकार से वे भेजे जायेंगे।

राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर मैं अपने विचार प्रगट करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह बात निश्चित है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम पूरा कर चुके हैं; हालांकि प्रथम योजना में हम पूरा काम नहीं कर पाये। दूसरी योजना में करीब करीब योजना के मुताबिक काम कर पाये हैं। अब हमारे सामने तृतीय योजना का प्रस्ताव है। इसको देखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी तरफ से प्रपोज़ल रखे गये थे २१२ करोड़ २२ लाख के उसके बजाय २३६ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है। अगर हम इसको देखें तो यह मालूम होगा कि इसमें कुछ कमी की गई है।

(१. १०. म. प.) ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

२१२ करोड़ का जो हमारा प्लान था उसमें राजस्थान नहर और पोंग बांध की योजना उसमें शामिल नहीं थी। वह क्रमशः ४५ करोड़ और २८ करोड़ की योजना है। इन दोनों योजनाओं को शामिल करके २३६ करोड़ की मन्जूरी हमें दी गई है। इस तरह से ५६ करोड़ की राशि कम मिलती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब राजस्थान नहर और पोंग बांध; ये जो योजनायें हैं इनका फायदा केवल राजस्थान को ही मिलने वाला हो, यह बात नहीं; इससे सारे हिन्दुस्तान को फायदा मिलने वाला है। इसलिये भारत सरकार ने जो यह राशि राजस्थान सरकार की योजनाओं में रखी है वह बड़ी दुखदायक है। आज भारत के सामने खाद्यान्न की कमी है। उसको ठीक करने के लिये ये योजनायें हैं। अगर राजस्थान को

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

लिया जाय तो खाद्य में राजस्थान प्रान्त अब भी आत्म-निर्भर है, लेकिन सारे भारत के हित में सोचने का सवाल है । ये योजनायें सारे भारत के फायदे के लिये हमारे यहां भूमि की अधिकता की वजह से लागू की जा रही हैं । इस योजना को भारत सरकार को अपनी योजनाओं में लेना चाहिये । इसके लिये भारत सरकार को निवेदन करना चाहिये, ताकि इस योजना के लिये हमें इसके अलावा रुपये मिल सकें ।

इसके साथ साथ मैं यह और निवेदन करना चाहूँगा कि लघु सिंचाई योजना में बहुत कम पैसा आपने रखा है । ६ की जगह ६ ही रख रहे हैं । कम है यह । जहां बड़ी बड़ी नहरों की, बान्धों की योजनाएं हैं और जहां उनका महत्व है, पर इसके अलावा छोटी सिंचाई योजनाओं का भी कम महत्व नहीं है । हमारा लक्ष्य जो खाद्य उत्पादन बढ़ाने का है, वह लघु सिंचाई योजनाओं से ही अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकेगा । सरकार आज बड़ी योजनाओं की तरफ काफी ध्यान दे रही है पर छोटी योजनाओं; जैसे तालाबों की मरम्मत कराना, इनकी रपट बंधाना, उनमें सिल्ट आ गया है तो उसे निकलवाना, कूओं को ठीक कराना। तो सरकार इसके लिये कुछ नहीं कर रही है । किशनगढ़ सब-डिविजन में काफी तालाब हैं । पर न उनकी मरम्मत कराई जाती है न उनके फीडर ठीक किये जाते हैं; बल्कि नये बनाने की जितनी चिन्ता रहती है उतनी मरम्मत कराने की और पुराने साधनों को ठीक कराने की नहीं रहती । इसका उत्पादन पर असर पड़ा है । किशनगढ़ में जितनी जमीन में पैदावार पहले होती थी उससे अब ६ हजार बीघा कम जमीन में हो रही है ।

कई तालाब पंचायत समितियों को दे दिये गये हैं, पर उनके पास ऐसा कोई साधन पैसे का नहीं है कि उनको ठीक करा सके । कहा जाता है कि आधा पैसा गांव वाले दें और आधा पैसा विकास खण्ड वाले दें । तो यह भी सम्भव नहीं है क्योंकि इतना पैसा किसी के पास है नहीं, फिर झूठा जमा-खर्च करना चाहें तो यह भी ठीक नहीं । तो इनको सरकार स्वयं अपने पैसे से ठीक करावे । ताकि प्रोडक्शन में जो कमी आई है वह ठीक हो । कहा जाता है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है । पर हम इस प्रोडक्शन को सामूहिक रूप से देखते हैं तभी ऐसा कह सकते हैं । फिर यह भी क्यों बढ़ा; इसका भी कारण यह है कि काफी पड़त जमीन काश्त में आई है, न कि सिंचाई के साधनों के बढ़ने से यह पैदावार बढ़ी है । तो मैं तो यह समझता हूँ कि जिस तरह किशनगढ़ में काश्त की जमीन में कमी हुई है दूसरी जगह भी ऐसा ही हुआ होगा । तो दर असल अगर प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो छोटे छोटे बांधों और तालाबों का निर्माण कराना चाहिये और पुरानों की अच्छी तरह से मरम्मत करानी चाहिये और इसके लिये काफी प्रावधान इस प्लान में रखना चाहिये ।

इसके साथ ही निवेदन करूं कि हम बांध बनाते हैं तो यह ध्यान नहीं रखते कि इसमें कितना नफा होगा और कितना नुकसान, मेरे इलाके में एक रूपनगढ़ बांध बना । चालीस गांव इससे नष्ट हो गये, ऊंटड़ी बान्ध बना इसमें २५ गांव बरबाद हो गये । ऊंटड़ी बान्ध बनाते समय तो जांच के लिये काफी कहा गया था कि यह बान्ध

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हितकारी नहीं हो सकता। पर इन्जीनीयर ने देखा न भाला, कुछ नहीं किया। क्योंकि अजमेर राज्य की यह स्कीम थी। आज उसके आसपास के कई गांव उससे तबाह हो गये हैं। तो नया बान्ध और नई रपट बनाने के पहले यह देखना चाहिये कि यह पानी कहां तक जाता है, इससे दूसरे इलाके को नुकसान तो नहीं होता। अगर होता है तो एक तरफ बरबाद करके और दूसरे को आबाद करके कौनसा लाभ आप प्राप्त करने का सोचते हैं ? एक घर को बरबाद करते हैं और दूसरे घर को आबाद करते हैं और इसको अपनी तरक्की बताते हैं। यह उपयुक्त नहीं है। आप रूपनगढ़ में बांध नहीं बना सकते क्योंकि इसका सांभर में पानी जाता है। अजमेर के इलाके के ऊपर एक बान्ध बना दिया। नीचे के हल्के में पानी आना बन्द हो गया। कूएं सूख गये। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिये। तो इन कुओं को ज्यादा से ज्यादा गहरा कराने में और पुराने तालाबों को ठीक कराने आदि में इस तरह के इन लघु सिंचाई के साधनों में काफी पैसा देना चाहिये ताकि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके।

इसी तरह से सड़कों के बारे में १३ के बजाय पांच करोड़ ही स्वीकार किया गया है ! यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। राजस्थान में यातायात के साधन कम हैं। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से सड़कों के बनाने में आप रुपया लगाइये। अगर जरूरत हो तो अन्य किन्हीं मदों से निकाल कर इनको देना चाहिये। इसी तरह पहली और दूसरी योजनाओं में चालू की गई सड़कें भी अभी पूरी नहीं कर पाये, इनको भी पूरा करना जरूरी है। जैसे करकेड़ी-रूपनगढ़ सड़क पहली योजना में कुछ बनी, दूसरी में बनाने के लिये रखी गई और अब भी इस योजना में पचास, साठ हजार मन्जूर करते हैं। तो यह कहां तक उपयुक्त है ? जो ऐसा इलाका है जहां सड़क नहीं है उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। शहरों में तो वैसे भी पहले से सड़कें बनी हुई हैं, गांवों की तरफ खयाल करना चाहिये।

इसी तरह बिजली में भी कट कर दिया गया है। बिजली के बजट के वक्त भी इसकी कमी की पूर्ति करने के लिये कहा गया था। पिछड़े प्रदेशों में बिजली की काफी जरूरत है। एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिये भी इसकी बड़ी उपयोगिता है। फिर भी तीसरी योजना में कम कर दिया गया इसका प्रावधान यह बहुत गलत बात है। अगर सरकार और रकम मन्जूर करने में असमर्थ हो तो लोन लेकर भी सरकार को बिजली सप्लाई करनी चाहिये क्योंकि भाखरा और चम्बल की बिजली इसके बिना आप पूरी यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे, जब तक कि उसके लिये खम्भे और तार आदि पहले से तैयार नहीं होंगे या बिजलीघर जहां इसके लिये बनाने हों वहां नहीं बना पावेंगे। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो भारत सरकार इसमें पैसा बढ़ावे, नहीं तो बोर्ड को कर्जा देकर भी इस काम को पूरा करना चाहिये।

साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले बिजली देने की लाइन रखी गई थी जयपुर-अजमेर की, वह भी कट कर दी गई। जयपुर-अजमेर लाइन लाकर किशनगढ़

Page No.58

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

को ६१–६२ में बिजली देने वाले थे। तो अब जब काट दी तो कहां से देंगे, यह बताने की कृपा करें।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मन्त्री): कौनसी लाइन कट करने के लिये कहा आपने ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जयपुर–अजमेर।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई कट नहीं हुई है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इस बजट में तो नहीं रखा।

इसी तरह एज्यूकेशन में काफी प्रसार आप कर रहे हैं। लड़कियों के लिये आपने हमारे यहां हाई स्कूल तो खोल दीं, पर उनके रहने के लिये छात्रवासनहीं बनाये। इससे बड़ी कठिनाई होती है। छोटे छोटे गांवों में रहने को स्थान नहीं मिलता, इसलिये लड़कियां कम पढ़ने आती हैं। इसलिये तीसरी योजना में जहां जहां हाईस्कूल आपने छात्राओं के लिये खोले हैं वहां वहां उनके रहने के लिये छात्रालय भी खोलने चाहिये।

इसी तरह से हम अक्षर-ज्ञान के लिये काफी खर्च कर रहे हैं। पर हमें यह भी देखना चाहिये कि हमारे देश के इन भावी कर्णधारों का चरित्र निर्माण कैसे हो ? इसके लिये तीसरी योजना में भी रकम रखी जानी चाहिये थी। इसके लिये हमें आदर्श विद्यालय खोलने चाहिये जिसमें प्राइमरी एज्युकेशन में ही उनके चरित्र सुधारने की ओर ध्यान दिया जा सके और इसके लिये कॉलेज से निकले हुए नये लड़के नहीं, बल्कि अच्छे अनुभवी पढ़े लिखे अध्यापक रखे जाने चाहिये, जो सदाचारी और उपयुक्त हों। इससे चरित्र का निर्माण हो सकेगा। आज मैट्रिक पास लड़के विद्या पढ़ाने चले जाते हैं। खुद के उनके चरित्र का ठिकाना नहीं, वे क्या अपने छात्रों के चरित्र का निर्माण कर सकेंगे ? खुद बीड़ी, सिगरेट और शराब तक पीते हैं, खुद गलत बातें करते हैं, इसका असर बच्चों पर ठीक नहीं पड़ता। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बच्चे देश के पिलर्स हैं, स्तम्भ हैं जिन पर सारे देश की आधारशिला रखनी है जो आगे जाकर देश के योग्य नागरिक होंगे। तो उन पर यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो कठिनाई होगी, इससे देश का नाम आगे जाकर नीचे गिरने वाला है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन्नति चहुँमुखी दिशा में कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के पिलर्स हैं और जिनके ऊपर हमारा देश खड़ा हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि उनके लिए योग्य शिक्षक रखे जाने चाहिए, चाहे उनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वेतन उनको देना पड़े, परन्तु आज हम देखते हैं कि लड़कों को ऐसे मास्टरों को देते हैं जो कि निकम्मे होते हैं। और जो छोटी छोटी स्कूलों में हम मास्टर रखते हैं उनके लिए हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि वहां पर अच्छे मास्टर रखें और इसके लिए आदर्श स्कूल जगह जगह पर स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे हमारे लड़कों का चरित्र–निर्माण हो सके। उसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा....

श्री हरिश्चन्द्र : मैं आपका ध्यान इस पुस्तक के पेज नं० ६ पर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लिखा हुआ है; जयपुर से अजमेर १३२ के० वी० एस० सी०

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसी तरह से जहां साइन्स के कॉलेजेज़ हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पेज ६ पर ध्यान आकर्षित किया उसका क्या हुआ ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंने देख लिया। उसके लिए मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान उस ओर खींचा।

जहां कॉलेजेज़ हैं और उनमें साइन्स की क्लासेज़ हैं लेकिन उनके नीचे जो हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं वहां साइन्स है ही नहीं। तो कॉलेज में उन हायर सेकन्डरी स्कूलों से ही विद्यार्थी जाते हैं उनको कोई लाभ नहीं है। जैसे किशनगढ़ की कॉलेज में तो साइन्स क्लासेज़ हैं, लेकिन वहां की हायर सेकन्डरी स्कूल में साइन्स है ही नहीं। तो उसका लाभ वहां के बच्चे नहीं उठा सकते। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस शहर में कॉलेज है और उसमें साइन्स क्लासेज़ हैं तो उसके नीचे जितने भी स्कूलें हैं उनमें साइन्स पढ़ाये जाने के लिए साइन्स क्लासेज़ जरूर खोली जानी चाहिए।

मैं यह निवेदन करते हुए ज्यादा से ज्यादा जोर उसी पर दूंगा कि जो हमारे एग्रीकल्चरिट्स के लिए लघु सिंचाई योजनायें हैं। उन तालाबों के लिए मैं फिर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गांवों में जितने भी तालाब हैं उनको दुरुस्त कराने के लिए उनको पंचायतों के ऊपर नहीं छोड़ें; बल्कि सरकार स्वयं उनके लिए ध्यान दे और सब तालाबों को अपने खर्चे से दुरुस्त करा दे। तो मैं निवेदन करूंगा कि उससे इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा जो कि नये बंध बनाने से भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी ओर पूरा पूरा ध्यान देकर पुराने तालाबों के मरम्मत के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आधा पैसा तो पंचायत दे और आधा गांव वाले दें; तो इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाये और उन तालाबों की मरम्मत सरकार को अपनी ओर से करा देनी चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में आमदनी बढ़ी है और इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है और मैं आशा करता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद ज्यादा तरक्की होने वाली है लेकिन जो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार की जो योजनायें हैं उनके लिए जो पैसा रखा है यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह सारे भारत के लिए है और भारत सरकार ने जो मदों में कमी की है उसके लिए पुनः मांग की जानी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी आजादी लेने की कोशिश की तो एक बात सोची थी कि हिन्दुस्तान में शोषित लोग, दलित लोग और पीड़ित लोग नहीं रहेंगे और हमारा एक मकसद है कि हम देश की धरती पर साधन-हीन लोगों

(श्री मूलचन्द डागा)

अर्धनग्न, अर्धपेट वाले या कहना चाहिये कि गरीब लोगों को साधनहीन नहीं रहने देंगे। यह हमारा मकसद है और जो हम योजनायें बनाते हैं उन योजनाओं का यही मकसद है कि मनुष्य मनुष्य के अन्दर जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना है। हम विषमता का निराकरण करना चाहते हैं। मनुष्य मनुष्य के अन्दर जो यह अप्राकृतिक भेद है उसको कम करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर केवल यही बात नहीं है कि मनुष्यों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठावें, उनके रहनसहन का इन्तजाम करें और दवा-दारू का इन्तजाम करें; परन्तु इनके साथ ही साथ एक बात और है और वह यह है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर ऐसी अर्थ-व्यवस्था कायम करें और उसका आदर्श ऐसा हो कि जिससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थायें हैं वे व्यापक रूप से फैल सकें। मैं इसकी ओर गौर करता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं; यह ठीक बात है लेकिन कहीं यह खतरा तो नहीं है कि पूंजीवादी जो लोग हैं वे ज्यादा पूंजीवादी हो रहे हों और जो गरीब हैं वे ज्यादा गरीब हो रहे हों। एक खतरा तो मुझे यह नजर आ रहा है और एक यह खतरा नजर आ रहा है कि हमारी बेकारी ज्यादा बढ़ रही है। मेरे दिमाग में एक बात साफ आती है कि अभी तक हम लाखों की तादाद में राजस्थान की भूमि पर उन लोगों को पाते हैं जो अपना जीवन-निर्वाह जमीन पर करते हैं। जमीन पर ८० प्रतिशत लोग काम करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

राजस्थान में आज तक भूमि-सुधार काफी हुये और हमने भूमि-सुधारों में प्रगति की। लेकिन उसको अमली रूप नहीं देने के कारण आज भी राजस्थान में दुख की बात है कि ५० पर्सेन्ट लोग जो दलित जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और जो हरिजन जाति के लोग हैं, जो पहाड़ों में रहने वाले हैं, ऐसे ५० पर्सेन्ट लोग तो राजस्थान में पिछड़े हुये हैं और उन पिछड़े हुये लोगों की हालत सुधारने के लिए हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया। लेकिन पंचायतों और जिला परिषदों में जहां ७५,००० पंचों का चुनाव हुआ मेरी समझ में १ पर्सेन्ट पंच या सरपंच हरिजन नहीं बने हैं। क्या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के अन्दर कोई पंच या सरपंच बना है या जिला परिषद् का प्रमुख बना है ? मुझे तो नजर नहीं आता। हम लोगों में बड़ी बड़ी खाइयां हैं और बड़ा अन्तर है। हम लोग इस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण या देश के अन्दर आर्थिक व्यवस्था को कायम करने के लिए यह बड़ा खतरा है कि देश में इन्कलाब और क्रान्ति फिर आ सकती है। जिस समाज को आप चलाना चाहते हैं वह समाजवादी ढंग का समाज है या नहीं, यह प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन एक प्रश्न है कि ७५,००० पंच और सरपंच आने के बाद भी क्या ५० पर्सेन्ट जो दलित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके घरों में दीया जल नहीं सकता वे लोग हैं वे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या नहीं या

(श्री मूलचन्द डागा)

प

अपनी आवाज को रख सकते हैं या नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है। हम लोगों को और खास तौर से इन ५० प्रतिशत लोगों को कुछ दे पाये हैं या नहीं, इस बात को समाजवाद की जो मूल भावना है उस भावना के आधार पर खड़े होकर सोचें तो निश्चित रूप से इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि हम अभी तक वहां नहीं पहुँच पाये हैं। इसलिए मनुष्य मनुष्य के बीच का जो आर्थिक भेद है और जो उनकी हालत में अन्तर है क्या हम उसको मिटा सके ? उसके लिए एक मजबूत कदम चाहिये, वह हम नहीं रख पाये हैं। हमारा मजबूत कदम तब तक नहीं होगा जब तक कि ५० प्रतिशत लोगों का कल्याण नहीं कर सकते और कल्याणकारी राज्य कायम नहीं कर सकते और वह कल्याणकारी राज्य कैसे हो कि कुछ नगण्य लोग जो कि आंकड़े बताते हैं कि ऐसे लोग १४ पर्सेन्ट हैं और इनके बाद जो ७६ पर्सेन्ट बच रहे वे खेती करने वाले हैं इन सबको आजादी दे दी जाये और कह दिया जाये कि सबको समान अवसर हैं। समुद्र को भी पार कर सकता है, लेकिन समुद्र पार करने के लिए साधन हैं या नहीं ?

मैं कहता हूँ कि कॉलेजेज़ खोल दिये हैं पर कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने के साधन हैं या नहीं ? आपने हमें उद्देश्य बता रखे हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने के साधन हैं ? हमारे यहां राजस्थान में ७५ पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब हैं, गरीबी के सताये हुये हैं और केवल २५ पर्सेन्ट ऐसे हैं जो केवल अपने जीवन को ठीक ढंग से ले जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास वे साधन नहीं हैं। हम सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं। हमारे यहां इतने उद्योग चल रहे हैं, इतनी ट्रान्सपोर्ट चल रही हैं; हम पूछना चाहते हैं कि कितने दलित वर्ग के लोगों के पास इस प्रकार के उद्योग हैं ?

खान में काम करने वाले मजदूर, मिल में काम करने वाले मजदूर, बड़े बड़े कारखानों में काम करने वाले मजदूर; उनका मालिक अभी भी वह किसान नहीं है, वह मजदूर नहीं है, लेकिन वही मालिक है। एक बात आज देश के सामने है कि भारी संख्या में समाज और राजस्थान की गरीब जनता गांवों में रहती है और ८० पर्सेन्ट काश्तकार है............

श्री उपाध्यक्ष: विषय की भूमिका अधिक विस्तृत होती जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूँ कि मूल भावना तीसरी पंचवर्षीय योजना की यही है। कभी कभी हम सोचने वाले लोग, कभी कभी २० प्रतिशत समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसी सीमा तक सोच पाते हैं। और ८० प्रतिशत जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी बाबत सोच नहीं पाते हैं। यही सवाल है कि असंतोष कहां पैदा होता है ? जन कल्याणकारी राज्य में ! कस्बे और गांव के अन्दर ८० प्रतिशत जनता रहती है। उसमें दो तरह का वर्ग है, एक पिछड़ी हुई जनता का और दूसरे में कुछ उच्च घराने के हिन्दू हैं और कुछ जो पहले जागीरदार व जमींदार थे वे हैं। उन लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, काफी मात्रा में जमीनें हैं और गरीब लोग हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

उनके पास अभी भी जमीनें नहीं हैं। और वे जमीनें जो सीलिंग का कानून है उस कानून को जब तक हम लागू नहीं कर पाते तब तक जो हम चाहते हैं कि विषमता को कम करें, गांवों के अन्दर वह, नहीं हो सकती। चुनावों में उच्च घराने के हिन्दू, उच्चकुलीन हिन्दू या वे जो पहले समाज में जागीरदार थे उनके सिवाय गांवों में और कोई लोग दूसरे आये हैं। समाजवादी रूपरेखा को हम तब सही मानेंगे जब कि गांव के ५० प्रतिशत जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व पंचायत समिति में ठीक रूप से हो सके, और वे अपनी भूमि का बंटवारा ठीक कर सकें।

तो पहली बात जो मेरे को ध्यान दिलाने की थी वह यह थी कि मैं देखता हूँ कि गांवों के अन्दर ८ से ६ महीने तक किसान लोग बेकार रहते हैं, और अर्ध बेकारी का भूत अभी भी गांव में काफी मात्रा में है, क्योंकि गांवों में जमीन कम है और किसान का परिवार बढ़ता है, मजदूर का परिवार बढ़ता है और परिवारों के बढ़ने के साथ साथ जमीन का भार बढ़ता है और जमीन नहीं बढ़ती है। उस हालत में जब तक सीलिंग लागू करते हैं या जमीनों पर आगे नये तरीके के औजार काम में नहीं लाते हैं तो वहां देहातों में बेकारी क्यों बढ़ा रहे हैं? सुनार का काम खत्म होता जा रहा है, आज चमार के काम को बड़ी बड़ी कम्पनियों ने ले लिया है। वहां पर बेकारी बढ़ गई है। सुनार का काम करनेवाले, चमार का काम करने वाले सारे बेकार हो गये हैं। बेकारी के कारण गावों में असंतोष आज नहीं, उसके बाद होने वाला है।

तो मैं यह चाहता हूँ कि हमें क्या करना होगा कि आज लोग नौकरी दिलाना चाहते हैं। केवल नौकरी के अन्दर यह सवाल है कि हरेक आदमी की इच्छा होती है कि ज्योंही मैंट्रिक या इन्टरमीजियेट हो जाता है त्योंही सबसे पहले वह यह ढूंढता है कि नौकरी कहीं मिल जाय :—

"Jobs today have changed their pattern tremendously and there is a rising demand for competent craftsmen and a surplus of those looking for white collared occupations. Jobs of tomorrow and of those for years to come will consist of a high percentage of technical occupations. The sooner this is realised the more employable will our educated young men set out to become."

अब हमारे लोगों को क्या सीखना है? हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्निकल एज्युकेशन दें। स्किल्ड लेबर तैयार करना है और स्किल्ड लेबर के लिए ज्यादा इन संस्थाओं को खोलना है। आज एग्रीकल्चर का बी. ए. होकर आता है तो नौकरी करेगा। उसको कहना चाहिए कि लो, यह जमीन लो और आप अपने उपायों से अच्छा धान पैदा करो। राजस्थान में बहुत से पढे लिखे लोग अभी भी उस ओर हैं।

इसके बाद में शिक्षा की बात कहता हूँ। मैंने इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखा है कि हम कॉलेजेज़ और स्कूलें बहुत काफी खोल रहे हैं, लेकिन ६ से १२ वर्ष की उम्र के

Page No.63

(श्री मूलचन्द डागा)

बच्चे हैं। ४ से ६ वर्ष की उम्र तक के बच्चों के ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं उसके लिए मोन्टेसरी शिक्षा पद्धति के आधार पर स्कूल नहीं हैं; छोटी छोटी जगह शिशु-गृह या बाल-गृह खोलने की आपकी योजना नहीं है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के दिमाग की कोमल धारा पर जिस प्रकार के बीज डालते हैं वे उग जाते हैं। गांव गांव में या जिला स्तर पर ४ से ६ वर्ष तक के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए मोटेन्सरी ट्रेनिंग की उस पद्धति के काफी छोटे छोटे बाल-गृह खोलने चाहिए। गांवों में शिक्षा अच्छी होने से बच्चों का शिक्षण या कहना चाहिए बच्चों में नये संस्कार पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां शहरों में, जयपुर और जोधपुर या अन्य शहरी बस्तियों में बसे हुए सरकारी अधिकारी या कुछ लोग अपने बच्चों को ठीक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आखिर उस गांव की क्या हालत है, कस्बों की क्या हालत है, म्युनिसिपैलिटियों की क्या हालत है? जो म्युनिपैलिटीज़ अपने खुद में आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण नहीं हैं वे इस प्रकार की अच्छी २ बालशालाओं या बालकों की पाठशालाओं का प्रबन्ध नहीं कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर हमें शुरू से ही अच्छे संस्कार डालने चाहिये। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए जगह जगह शिशुगृह खोलने की मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार के शिशु-गृह जगह जगह खोलने चाहिए।

तीसरी बात जो है वह लघु उद्योगों के मामले की है। दो तरह की इसमें हम बातें चाहते हैं कि एक तरफ तो गांवों की बेकारी हटे और दूसरी तरफ हम सर्वोदयी नेता विनोबा जी की बातों पर चलना चाहते हैं। एक तरफ तो हम जगह जगह चक्कियां लगा रहे हैं, तेल की घाणियां लगा रहे हैं, इससे एक तरफ तेली बेकार हो रहे हैं, चक्की पीसने वाली बेकार हो रही हैं। इन दोनों तरह की बातों में सरकार खुद साफ नहीं है कि गांवों में आखिर वह क्या चाहती है। एक तरफ लाइसेन्स देते हैं म्युनिसिपैलिटी तेल की घाणियां लगाने के लिए। अभी जमशेदपुर में एक जगह पर २८,००० मज़दूर काम करते थे उस जगह मशीन लगा देने से कितने ही मजदूर बेकार हो गये। गांवों में एक तरफ हम सर्वोदय की विचारधारा फैलाते हैं। एक तरफ जो विनोबाजी की विचारधारा है उसको लेकर जाते हैं कि विनोबाजी के सिद्धान्त को मानना चाहिए; तो विनोबाजी का सिद्धान्त है कि गांव को चीजों को काम में लाओ। दूसरी तरफ हम मशीनों से काम लेना चाहते हैं; घाणी चलाते हैं, तेल की मशीन चलाते हैं और कई तरह के कारखाने खोलते हैं। तो गांव के जो हाथ से काम करने वाले हैं वे मशीनों के कारण बेकार हो सकते हैं। हमें इस प्रकार की बातें करने की आदत है। एक तरफ तो विनोबाजी के लेक्चर की बातें करते हैं। एक तरफ हम गांवों में ग्रामोद्योग बढ़ाना चाहते हैं। न तो हम गांव में सर्वोदयी समाज की पूरी बात करते हैं, न औद्योगीकरण की बात को पूरी कर पाये। दोनों प्रकार की नीतियों से सोचना चाहते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हम गांवों में चाहते क्या हैं, आखिर हमारी रीति-नीति क्या है? हम एक तरफ यह देखते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कर लेते हैं और इससे गांवों में इस रूप में

(श्री मूलचन्द डागा)

बेकारी बढ़ी हुई है।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हम राजस्थान में सबसे बड़े धन, पशु-धन को मानते हैं; राजस्थान में पशु-धन के लिये बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में कहां तक आप गोचर भूमियों का प्रबन्ध करते हैं और कहां तक हर वक्त उनको हरा घास चरने को मिलता है ? जिस तरह से डेनमार्क आदि देशों में जो गोचर भूमियां हैं उनमें बारहों महीने गायों को चरने के लिये हरा घास मिलता है, आप चाहते हैं कि राजस्थान में भी पशु-धन बढे ? लेकिन यहां पर गोचर भूमि रखने आदि के बारे में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई बात नहीं सोची है। हमारे यहां टिनेन्सी एक्ट में भी रखा है कि गोचर भूमि रखी जाय, लेकिन इसकी जो गांवों में आवश्यकता है, मैं देखता हूँ कि जिस भूमि में पशु चरते हैं वहां लोग हल लेकर चले जाते हैं। आज हमारे यहां को आबादी बढ़ रही है ? इसलिये परिवार नियोजन की भी बातें करते हैं। हमारे यहां की आबादी २ करोड़ १ लाख के करीब हो गई है। तो परिवार नियोजन करने की बात दूसरी पंचवर्षीय योजना में सोचते थे, लेकिन अंध विश्वास और धार्मिक विचारों के कारण लोग डरते थे। आज जमाना आया है, लोग बात समझने लगे हैं तो परिवार नियोजन की बात करनी है। जो बेकारी बढ़ रही है, गांवों में ५ और २० बच्चों तक का नम्बर एक एक परिवार में चला जाता है। मजदूरों की जन संख्या बढ़ रही है इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

पशु-पालन के लिये यदि आप कहेंगे कि गोचर भूमि होनी चाहिये, वर्ना पशु किस जगह चर पायेंगे। आज गायों की हालत और जानवरों की हालत इस प्रकार की है कि राजस्थान में पशुधन के द्वारा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं; लेकिन आज उनकी हालत क्या है ? गायें दुबली–पतली हैं। घी के बजाय तो आज डालडा की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दूध की तो सबको आवश्यकता है और अच्छा दूध तभी मिलेगा जब अच्छी गायें होंगी और अच्छी गायों के लिये सबसे बड़ी जरूरत गोचर भूमि की है। जहां नहरी इलाका है वहां बड़ी बड़ी गोचर भूमि बनाई जाय। बड़े बड़े एरिया को लेकर गोचर की व्यवस्था करनी चाहिये। वह इस प्रकार की न हो कि दो–तीन महीनों तक तो गोचर के काम आवे और बाकी समय के लिये यों ही पड़ी रहे। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में काफी बड़ी तादाद में गोचर भूमि की व्यवस्था करनी चाहिये और कानून के अनुसार करनी चाहिये। यह बहुत बड़ा काम है लेकिन इस योजना में इस पर कुछ भी विचार नहीं किया गया है।

एक बात मुझे आई. ए.एस. के सिलेक्शन के बारे में कहनी है। आई. ए. एस. का सिलेक्शन होता है उसमें राजस्थानी कितने निकलते हैं ? बहुत कम या तो राजस्थान के लोगों के दिमाग में गर्मी है या पढ़ने वालों की कमी है। जब हम बाहर से लेकर आते हैं या हमारे यहां दूसरे प्रान्तों से लोग आते हैं तो हमें दुःख होता है। हमने यहां आज भी प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मालूम हुआ कि बहुत कम पर्सेन्टेज में पास होते हैं ? आप समझ सकते हैं कि शिक्षितों की हालत क्या है। हम यह क्यों चाहते हैं कि हरेक लड़का कॉलेज में

Page No.65

(श्री मूलचन्द डागा)

जावे, बी. ए. या एम. ए. पास करे । जिन लोगों का आगे पढ़ने का दिमाग नहीं है उनको रोका जाय और उनको टेक्निशियन बनाया जाय, लेबर में डाला जाय। हमारे यहां ब्यावर वगैरह में जो मिले हैं वहां स्किल्ड लेबर की जरूरत है; लेकिन स्किल्ड लेबर बनाने के लिये, उनको ट्रेनिंग देने के लिये, उनको नई व्यवस्था सिखाने के लिये या नई बातें बताने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये हमारे यहां का लेबर, स्किल्ड लेबर नहीं मिलता है; न पढे-लिखे लेबरर्स मिलते हैं इसलिये वे पूंजीपतियों के इशारे पर चलते हैं और उनकी महरबानी पर जीते हैं।

मेरा बार बार यह कहना है कि हमने आर्थिक विषमता कम नहीं की। एक तरफ तनख्वाहों का सवाल है। मैंने देखा, आपकी सर्विसेज़ हैं, चाहे आप माने या न मानें, जब पढ़ने वाले बहुत होंगे तब एक तरह की क्रान्ति आ सकती है जो जनतन्त्र के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती है। जब वे समझेंगे कि हम लोग भी जीने के हकदार हैं, तब क्रान्ति आयेगी। एक क्लर्क को आप सौ या सवा सौ रुपये देते हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि उसके लड़के इन्जीनियर बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं ? इसलिये हमको उच्च स्तर के लोगों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिये, बल्कि नीचे वालों को आगे बढ़ाना चाहिये। यह क्लॉज़ हटा देना चाहिये। ७५.८० साल पहले कांग्रेस ने यह बात रखी थी कि इस प्रकार के लोगों को नहीं रहने देंगे; लेकिन हम देखते हैं कि आज तक कुछ नहीं कर पाये हैं। हम देखते हैं कि गांवों की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए हम नहीं सोच सकते कि गांव वालों की योजना से निराकरण कर सकेंगे और गांवों में असन्तोष कम होगा। मैं समझता हूँ, असन्तोष और भी बढेगा क्योंकि पूंजी वाले और अधिक पूंजी वाले बन रहे हैं और प्रिविलेज्ड क्लास वाले और अधिक बढ़ रहे हैं । मेरा खास तौर से संकेत है; मेरा ध्येय यह था कि गांवों में ऐसे तत्व पैदा हो रहे हैं जो अपनी पूंजी के आधार पर गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, जमीन और दौलत के आधार पर ज्यादा से ज्यादा अधिकार कर रहे हैं । आपने अरबन इम्प्रूवमेन्ट किया है तो शहरों में भी सीलिंग लागू करना पड़ेगा। एक आदमी बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठ सकता और बहुत बड़ी इमारतें बना कर हजारों-लाखों रुपयों का किराया उत्पन्न कर रहे हैं। या तो यह कहिये कि समाजवाद कायम करना नहीं चाहते और अगर चाहते हैं तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जो योजनाएं रखते हैं और उसको चलाने के लिये जो मार्ग अपना रहे हैं वह मार्ग मंजिले मकसूद तक नहीं ले जायगा और उस जगह तक नहीं पहुँच पायेंगे, पहुंचने में खतरा है, नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन आज तक की जो व्यवस्था है उसमें मध्यवर्गी लोग और पिछड़े हुए लोग गरीब हैं; ये लोग समझते हैं कि समाजवाद का स्वप्न जो है उसको प्राप्ति में बहुत समय लगेगा।

एक बात ठीक है कि हम कहते हैं कि राजस्थान में खनिज पदार्थ बहुत हैं। इसके कण कण में सोना है, इसको लहलहा देंगे, खुशहाली प्राप्त करेंगे। ठीक बात है, लेकिन हम कहां तक सफल हुए हैं ? गांवों में ८० प्रतिशत लोग बसते हैं लेकिन उनके लिये पीने

(श्री मूलचन्द डागा)

के पानी तक की व्यवस्था नहीं है।

अब मैं लेबर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ हमने बहुतसी मिलों की बातें सुनी और देखी हैं। अब तक हमारे यहां पर हम विषमता निवारण की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, पर देखना यह है कि हमारी मिलों में काम करने वालों को कितना मिल चुका है। हमारी मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं। सन् ६० में उनके लिए कानून पास कर रहे हैं। मिनिमम वेजेज़ एक्ट कहां लागू होगा और फैक्ट्री एक्ट का उपयोग कहां हो रहा है। हमने तरक्की करने का उद्देश्य बनाया है; इसका नक्शा बनाया है लेकिन वह नहीं चल पा रहा है तो मैं समझता हूँ तीसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े आंकड़े रखे हैं, सुझाव दिये हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़े हुए इलाके हैं; जैसलमेर वगैरह, वहां पर जो ऑफिसर्स करप्ट हैं उनको भेजा जाता है। अच्छे ऑफिसर्स कहां रहने चाहिये ? अच्छी जगह और जो पिछड़े हुए हिस्से हैं वहां बिगड़े हुए ऑफिसर्स भेजे जाते हैं इसलिये कि तुम्हारे लिये यह सजा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नया कानून है, ऐसी प्रेक्टिस है कि अगर किसी ऑफिसर को सजा दो जाय, तो उनको उस हिस्से में भेजा जाय, जो पिछड़ा हुआ है; सांचोर, जैसलमेर..

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सांचोर कैसे भेज दें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : पानी भेज दें।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, उस अधिकारी को सजा देते हैं जो अधिकारी किसी कारण से करप्ट है, उसमें कुछ कमी है, उस कमी वाले ऑफिसर को उस जगह पर नियुक्त किया जाता है। वहां जाओ, तुम्हें सजा दी जाती है। जरूरत क्या है ? जहां पिछड़ा हुआ इलाका है वहां ज्यादा काबिल आदमी को भेजना चाहिए। यहां उल्टी बात है कि करप्ट आदमी को भेजते हैं। तुम चाहो जैसा कर सकते हो, करप्शन कर सकते हो, तुम्हें कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं आयेगा। काबिल आदमी जयपुर में रहते हैं। मैं कहता हूँ कि काबिल आदमो, योग्य आदमी, इमानदार आदमी हैं, उनको उन इलाकों में भेजें जो पिछड़े हुए हैं और वे वहां रह कर....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ताकि वे ईमानदारी से काम करना छोड़ दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूँ कि जो ईमानदार आदमी हैं, उनमें दूसरी छाप नहीं लग सकती। मैं समझता हूँ कि जो ईमानदार आदमी हैं, उनको वहां भेजा जाय, जिससे उनमें भावना पैदा हो और पिछड़े हुए इलाकों को ऊंचा उठा सकें। करप्ट आदमी वहां वेतन लेकर ऐश करते हैं और जो पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, जो पिछड़े हुए आदमी हैं; जो दिमाग, इज्जत और ईमानदारी से पिछड़े हुए हैं, उनको और पिछड़ा हुआ कर देते हैं....

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय सदस्य का यह अर्थ है कि अब तक जैसलमेर में जितने ऑफिसर्स अपॉइन्ट किये गये वे करप्ट थे ?

श्री मूलचन्द डागा : Not that...

श्री जनार्दनराय नागर : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह सारा डिरकशन इर्रिलेवेन्ट लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : It is not serious.

श्री मूलचन्द डागा : में यह बात सीरियसली कह रहा था कि हम काफी देख चुके हैं कि जो काबिल और योग्य आदमी होते हैं उन आदमियों और ऑफिसर्स को ऐसी जगह पर रखा जाता है जो जगह पहले ही बेटर हैं। ऐसी हालत में, आबहवा की दृष्टि से, मैं चाहता हूँ कि उन स्थानों पर भेजा जाये जो पिछड़े हुए हैं। मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर बहस हो रही है। मैं इन प्रस्तावों को देखने से यह महसूस करता हूँ कि आदमी को पहली जरूरत किस वस्तु की है। सबसे पहले आदमी को हवा और पानी की जरूरत रहती है। तो आदमी की सबसे पहली जरूरत पानी की है। तो उस योजना पर पैसा विशेष ज्यादा खर्च करना चाहिए। आज इस योजना में ज्यादा खर्च न करके जो इस योजना में पहले हमने पैसा दिया था उसको भी कम किया जा रहा है। पहले ग्राम जल प्रदाय पर चार करोड़ का प्रावधान था उसको अब दो करोड़ कर दिया गया है और शहरी जल प्रदाय पर ३.८० करोड़ था, उसको बढ़ा कर पांच करोड़ कर दिया गया है। मेरा यह मतलब नहीं कि आप शहरों में ज्यादा पैसा खर्च क्यों करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिए कि जिससे ग्रमीण जनता का भी विकास हो सके। आज हम ढोंग सिखाने को यह कह सकते हैं, जहां सरकार के मंत्रियों के दौरे होते हैं, जहां भाषण देते हैं, तो यहां तक कह देते हैं कि ग्रामीण जनता के ठेकेदार ये लोग हैं, तो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी ठेकेदारी पर असर पड़ता है।

श्री लक्ष्मीचन्द: आप 'ठेकेदार' शब्द से क्यों डरते हैं? उसमें आप भी हैं। आप शहरों के रहने वाले हैं, इसलिए शहर की ठेकेदारी पूरी निभा दें। मगर ग्रामीण जनता की ठेकेदारी पानी पीने की है, उस ठेकेदारी को क्यों छीना जाता है? आज अगर आप पीने के पानी का पूरा प्रबन्ध नहीं कर सकते और एक तरफ कहते हैं कि ग्रामीण जनता ८० प्रतिशत है, तो जहां २० प्रतिशत के लिए, शहरी जनता के लिए, पानी के खर्च के लिए पांच करोड़ का प्रावधान रखते हैं वहां ८० प्रतिशत जनता के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान रखते हैं। क्या यह योजना कल्याणकारी राज्य में उचित समझी जायगी? आज प्रश्न के उत्तर में कहा हमारे उप शिक्षा मन्त्री ने, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे इलाके के अन्दर सात मील से पानी आता है। मैं कहता हूँ शर्म की बात है, आज आप मन्त्री होते हुए भी जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, ऐसी योजना नहीं बना सकते, पीने के पानी की समस्या को हल नहीं कर सकते, तो हमारे लिए यह शर्म की बात है। हम पीने का पानी नहीं दे सकते, तो खाने के लिए अनाज देने की बात कैसे हो सकती है? तो

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पानी आदमी की जरूरत है, उस योजना पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, दूसरे विकास बाद की बात है। इसके साथ ही हवा की पहली जरूरत होती है, अगर हवा की बात भी आपके हाथ में होती तो शहरी जनता को ज्यादा हवा दी जाती और ग्रामीण जनता को....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आज तो सबको हवा खिला रहे हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : आज हवा खिला रहे हैं; यह दूसरे किस्म की खिला रहे हैं। तो उसकी दूसरी जरूरत, पानी की योजना के सिलसिले में मैं कहूँगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि आप किसी प्रकार से जितना पैसा खर्च कर सकते हैं, करें। अगर और पैसे की आपको जरूरत हो तो भारत सरकार से और भी मंजूर करायें, भारत सरकार नहीं दे तो दूसरी चीजों पर जो खर्च होने वाला है उसमें से कटौती करके पानी की योजना में राजस्थान की जनता के लिए खर्च कर पानी उपलब्ध करें जिससे घर बैठे बैठे पानी मिले और दूर दूर तक सात मील तक पानी के लिए जाने की दिक्कत नहीं आवे। आज राजस्थान में दो सौ फीट गहरा पानी मिलता है। एक तरफ राजस्थान की जनता से स्पीच में कहते हैं, "ग्रामीण भाइयो, हम यह करने जा रहे हैं"; तुम क्या करने जा रहे हो ? देश को बरबाद करने जा रहे हो, देश का पैसा बरबाद करने जा रहे हो। आज जहां ग्रामीण जनता का प्रश्न आता है, वहां चार करोड़ का प्रावधान था, उसकी जगह दो करोड़ का प्रावधान करते हो और जहां शहर का प्रश्न आता है वहां ३.८० करोड़ की जगह पांच करोड़ करते हो। आज इस प्रकार का भेदभाव दिखाना चाहते हो। शहर में बिजली चाहिए, नल चाहिए। आप दूसरी पंच वर्षीय योजना को उलट कर देखिये, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो शहरों में कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं शहर का विरोध नहीं करता हूँ लेकिन ग्रामीण जनता को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, ग्रामीण जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है ? मैं समझता हूँ योजना बनाने के लिए सारी जनता को एकसी निगाह से देखना चाहिए, सबके साथ एक सी दृष्टि रखते। यह नहीं होना चाहिए कि ग्रामीण जनता से ताल्लुक न हो, गांव में रहने वाली जनता कोई पाकिस्तान की जनता नहीं है। ग्रामों में रहने वाली जनता राजस्थान की जनता है, आप उनके मन्त्री महोदय हैं, इसलिए आप ऐसी योजना बनायें ताकि उनको पीने का पानी उपलब्ध हो।

पानी के बाद दूसरी जरूरत होती है कॉम्युनिकेशन की। कॉम्युनिकेशन ठीक हो जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, तो हमें सब साधन उपलब्ध हो सकते हैं, कॉम्युनिकेशन ठीक हो तो जयपुर से सब्जी मंगा सकते हैं, कॉम्युनिकेशन ठीक हो तो विलायत से और कहीं से आवश्यकता की चीजें मंगा सकते हैं। इसलिए जल के बाद कॉम्युनिकेशन को ठीक करना है। अगर कॉम्युनिकेशन ठीक होगा तो उधर मंत्रियों का आना-जाना ज्यादा होगा और लोगों का आना-जाना ज्यादा होगा और उन लोगों से....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): मन्त्री ज्यादा आयेंगे तो आप इलेक्शन में नहीं आ सकेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : मन्त्री ज्यादा आयेंगे तो बिच्छू ज्यादा पैदा कर सकेंगे। तो ऐसी योजना बनानी चाहिए। सड़क के बारे में हमारा लक्ष्य निर्धारित था १८ करोड़ का, वह १८ से १३ पर आ गया है। तो राजस्थान में जो स्टेट के टाइम में सड़क डेवलप हुई, वे ही आज भी डेवलप हो रही हैं, आज नई सड़क नहीं बन रही है। हमारी जो योजना का पैसा है, वह जो बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अन्दर सड़कों का डेवलपमेंट करने के लिए लगना चाहिए। अगर वहां सड़कों का डेवलपमेंट हो गया तो सब किस्म के साधन उपलब्ध हो सकते हैं और जो समस्या है वह हल हो सकती है।

तीसरी समस्या हमारी है, हम चाहते हैं कि ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति का सुधार बिजली से हो सकता है। आप शहरों में बिजली उपलब्ध करें लेकिन ग्रामीण जनता के लिए भी बिजली उपलब्ध करें। अगर और योजना नहीं है तो गोबर की बिजली पैदा की जा सकती है। आप इस प्रकार का उदाहरण देश के सामने रखिये कि हम शहरों को ही डेवलप नहीं करना चाहते हैं, हम ग्रामीण जनता का भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम ऐसी ऐसी चीजों को उपलब्ध करना चाहते हैं, ऐसे साधन जुटाना चाहते हैं कि ग्रामीण जनता चाहे तो हर झोंपड़ी में बैठ कर बिजली के पंखे की हवा खा सके; यह नहीं कि जयपुर में होने पर किसी को ५० रुपया खर्च करके आना पड़े। हमारी योजना पर खर्च होने वाला पैसा आदमियों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, रोड, बिजली पर होना चाहिये. जो कम हो रहा है। इसमें ज्यादा खर्चा होना चाहिये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में इरिगेशन पर यह सोच कर चलते हैं कि जहां के लिये जो खर्च करने का प्रावधान हो वहीं पर खर्च होना चाहिये। हमारे यहां सांचोर में लूनी स्कीम के अन्तर्गत दो करोड़ रुपयों को खर्च करने का प्रावधान है। मैं यह चाहता हूँ कि कहीं यह प्रावधान प्रस्तावित आंकड़ों में ही न रह जावे क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चल रहा है और तीसरी में भी चालू रहे। ऐसा न हो कि किसी जगह के लिये, रखे गये पैसे कहीं दूसरी जगह पर खर्च करें और उनको फायदा न होकर किसी दूसरों को ही फायदा मिल जाए। इसलिये इस बात की स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिये कि जिस योजना के लिये, जिस जगह के लिये योजना बनती है उतना ही पैसा वहां खर्च होना चाहिये, कमती–ज्यादा नहीं होना चाहिये। अगर कमती–ज्यादा होता है तो ठीक तरह से योजना बनाने की नीति है वह ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी अपना नफा–नुकसान लिखता है वह ठीक तरह से लिखे, तभी तो पता लग सकता है अन्यथा कभी दिवाला दिखा देगा और कभी जरूरत की चीजों को कम कर देगा। इस तरह से हमें इस सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित करनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि योजना उसी तरह से बनाई जानी चाहिये जिससे समय पर उसका उपयोग हो सके। आज अगर कहीं पर आवश्यकता पानी की है तो वह पूरी की जानी चाहिये। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि ऐसे मंत्री देश में क्या कार्य कर सकते हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तृतीय पंच-

(२.०० म. प.)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

वर्षीय योजना का प्रस्ताव हमारे सामने है। इस प्रस्ताव को पूरी तरह देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो अपनी योजनाएं तैयार कीं उन योजनाओं को और आज जो योजनाएं स्वीकृत होकर हमारे सामने हैं उनको यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमें काफी अन्तर दिखाई देता है। मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है कि राज्य सरकार फलतः २१२ करोड़ रुपया राज्य के विभिन्न विभागों में सुविधा के विकास कार्यों के लिये खर्च कर रही थी और उसमें दो बड़ी राज्य की योजनाएं जिनको हम राष्ट्रीय योजना भी कह सकते हैं, एक तो राजस्थान कैनाल और दूसरी पौंग बांध की योजना, इन दोनों योजनाओं को निकाल कर राजस्थान सरकार ने २१२ करोड़ की तृतीय पंचवर्षीय योजना का आयोजन बनाया; और इस उम्मीद से कि राजस्थान कैनाल और पौंग बांध की जो राष्ट्रीय योजना है उसके लिये अलग धन-राशि जो ३५ करोड़ और २३ करोड़; कुल मिला कर ५८ करोड़ थी, मिलनी चाहिये। परन्तु केन्द्रीय सरकार से जो प्लानिंग कमीशन का अंतिम निर्णय करने का सम्बन्ध है, ज्यों ज्यों निश्चित होता गया त्यों त्यों ऐसा मालूम होता है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में काफी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। हमारे पास जो तालिकायें आईं उनमें एक तरफ २१२ करोड़ का है, जिसमें राजस्थान नहर और पौंग बांध के लिये राशि सम्मिलित नहीं थी, अब उसमें राजस्थान नहर और पौंग बांध के लिये ३८ और २५ करोड़ की राशि सम्मिलित है, वह स्वीकार कर ली गई है। इस धन-राशि को निकाल कर देखें तो यह बात स्पष्ट होगी कि काफी परिवर्तन कर दिया गया है।

मुझे यह बात कहनी चाहिये कि कुल मिला कर राजस्थान सरकार को २३६ करोड़ की राशि मिली है और वह बाहर के दूसरे राज्यों को देखते हुए संतोषजनक है और राज्य सरकार यह मानती है कि जो धनराशि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये मिली है वह उचित और ठीक है; लेकिन मैं यह कहूँगा कि जैसा राजस्थान सरकार समझती है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में काफी उचित धनराशि प्राप्त होगी, मगर मेरा मत यह है कि जो अन्तिम चित्र तृतीय पंचवर्षीय योजना का हमारे सामने प्रस्तुत है और हमारा प्रस्तावित चित्र भी हमारे सामने है उसको देखने से हमें बड़ा अन्तर मालूम पड़ता है। मैं देखता हूं कि कई प्रकार के वर्किंग को इससे ठेस पहुंची है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूंगा और मेरे माननीय सदस्यों ने भी संकेत किया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि कुछ ५ या ७ आइटम्स को छोड़ कर बाकी के सभी आइटम्स ऐसे हैं जिनमें अंत में कुछ रकम घटाई है। ५ या ७ आइटमों में रकम बढ़ाई गई है। बाकी जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे सहकारिता तथा सामुदायिक विकास की हों, या लोकतान्त्रीय विकेन्द्रीकरण की हों, चाहे सिंचाई को हों, चाहे उद्योग की, चाहे यातायात की, सामाजिक सेवा में सामाजिक शिक्षायें, प्राविधिक शिक्षा, शहरी जलप्रदाय, आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, ग्रामीण जलप्रदाय आदि

(श्री जनार्दनराय नागर)

जो भी हैं हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारी योजनाएं अधिक विकास मांगती हैं और जिसके लिये पब्लिक की अधिक मांग है, जो कमाने के काम हैं, जो थोड़े दिन के लिये स्थगित किये जा सकते हैं ऐसी जिनको नीड नहीं हैं उन पर हम कम रकम रखते। लेकिन आज हमारी फीडिंग नीड है उसमें भी काफी रुपया कम किया है। आप देखेंगे कि कहीं तो लाखों रुपयों की कमी की गई है। इस तालिका में जो दूसरे और तीसरे पेज पर सूचना दी गई है उसको देखें तो हमारी मूलतः प्रस्तावित योजना जो ५६ करोड़ ८४ लाख की थी और अब ४५ करोड़ ६० लाख यानि ४६ करोड़ रखी गई है। करीब करोड़ों रुपये, सभापति महोदय, काट दिये गये हैं। इसका असर हमारी योजना पर पड़ा है।

मैं आपका ध्यान कुछ योजनाओं पर दिलाना चाहूंगा जिनमें ग्रामीण जल प्रदाय योजना में जहां मूलतः प्रस्तावित राशि ४ करोड़ की थी वहां पर दो करोड़ रखा है और इसके माने यह कि दो करोड़ रुपयों का विकास हम करना चाहते हैं वह अब हम नहीं कर पावेंगे। इसी तरह से अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना में ३ करोड़ रुपया रखा गया था मगर अब २ करोड़ १५ लाख ही रखा है। यानी ८५ लाख इसमें भी कम मिलेगा।

औद्योगिक आवास में एक करोड़ का प्रस्ताव था उसमें ७० लाख रखे हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद में १ करोड़ एक लाख था, उसमें से सिर्फ ७० लाख मिले हैं। गंदी बस्तियों की सफाई के लिये ४० लाख का प्रस्ताव भेजा था, उसके बजाय १० लाख रखा है।

आज सभी लोग ऐसा मानते हैं कि उचित बस्तियें बसाने का एवं राष्ट्रीय सेवा का यह कार्य है इसके लिये मूल प्रस्ताव में ४० लाख रखे हैं उसको कम करके १० लाख कर दिये हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि पांच वर्षों में गंदी बस्तियों को आप खुशहाल बस्तियें बनाना चाहते हैं उसमें इतनी सी धनराशि से क्या मदद मिलेगी। जहां श्रम एवं श्रम कल्याण में १.६८ करोड़ का प्रस्ताव था उसमें से ६८ लाख काट दिये तो मैं यह कहूँगा कि कोई ऐसा मद नहीं जिसमें कटौती नहीं की गई हो। किसी में २० लाख, तो किसी में दो करोड़, तो किसी में ७५ लाख व किसी में २५ लाख और किसी में १ करोड़ १० लाख। समाज कल्याण के लिये १.५० करोड़ रखा था उसमें से एक करोड़ १० लाख काट दिया और केवल ४० लाख ही रखा है। यह जो चित्र हमारे सामने है उसमें से २३६ करोड़ की योजना में राशि आती है और हम यह समझते हैं कि हमें उचित हिस्सा मिला है। लेकिन यह जो तीसरी योजना का प्रस्ताव हमारे सामने आया है, उस चित्र को देखें, इसकी गतिविधियों को देखें तो हमें मालूम होगा कि सैकड़ों उचित मांगें जो हमारी थीं, हमारी फीडिंग नीड थीं, जिस पर हमारी योजना थी उनको कार्यान्वित करने के लिये हमारे सामने आए दिन मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जो डिटेल्स हमारे सामने आये हैं उनको देखने से मुझे उदासी है।

मैं कहना चाहता हूँ कि समाज कल्याण

Page No.72

(श्री जनार्दनराय नागर)

व श्रम कल्याण व जल प्रदाय को आप ले लें; आप किसी विकास को ले लें, कोई ऐसा मद नहीं है जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा शहर और कस्बों में आज और कल के विकास के लिये लोगों में भावना नहीं रही। वे समझते हैं कि वे लोग कुछ करना नहीं चाहते । मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो मूल प्रस्ताव बताया था वह उचित था। यहां को गतिविधियों और यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए वह उचित था और जो चित्र हमारे सामने आया उसको मैं उचित नहीं मानता। यह ठीक है कि राज्य सरकार इस बात में संतोष मनाये, हम और आप इस बात में संतोष मनायें । दूसरे राज्यों के अनुपात में हमारी योजनाओं का ढांचा ठीक बन पड़ा है और उनको सम्मान देना चाहिये।

तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में व्यक्तिगत कुछ आय बढ़ जायगी, जैसी दूसरे आयोजन में कुछ बढ़ी थी। यह जो हमारी योजनाओं का चित्र है उससे हम संतोष कर सकते हैं। जहां तक इसकी डिटेल्स का सम्बन्ध है, जो योजनायें आरम्भ की गई थीं या आरम्भ होने वाली हैं और भविष्य में जो आरम्भ होंगी उन सबका यह चित्र हमको इस प्रस्ताव के द्वारा दिया गया है वह निराशाजनक ही है और मेरा ऐसा ही मानना है क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय आयोजन काल में बहुत सारी योजनायें या तो आरम्भ नहीं की जा सकती हैं और यदि उनको आरम्भ करेंगे तो जो संतोष हम प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे। मैं एक–दो आइटम्स पर कह कर यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हमको असंतोष मिलता है।

मैं कुल मिला कर यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार के सामने दृढ़ता से अपना केस रखना चाहिये था । राजस्थान सरकार ने रखा है, लेकिन जो प्रस्ताव छपा है उससे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि राजस्थान को अधिक धन–राशि क्यों नहीं दी गई। लेकिन अखिल भारतीय दृष्टिकोण से एक चित्र बनाया गया है।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजन काल में यह कहा गया है इस प्रस्ताव में कि पानी, बिजली और उद्योग, इन तीन बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजन विद्युत का आयोजन है, खनिज का आयोजन है। पहला आयोजन कृषि का था, दूसरा आयोजन कृषि का न होकर आर्थिक और सामाजिक सेवाओं का था और तीसरा आयोजन यदि हम कहना चाहें तो विद्युत औरऔद्योगीकरण का कह सकते हैं। जितनी इसके लिए हमको धन–राशि की आवश्यकता थी उतनी धन–राशि हमको नहीं मिली । यह बात इसके निश्चय में बिल्कुल स्पष्ट है । भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक राशि हो सकती है। सिंचाई के लिए एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ नहीं है। हमें यह प्रस्ताव कहता है कि सारे भारतवर्ष में २ पर्सेन्ट अनुपातित खर्चा करने का है वहां राजस्थान में ३६ प्रतिशत से अधिक करेंगे। दूसरे राज्यों की तुलना में और समस्त भारत के अनुपात की दृष्टि से देखें तो हम सब सेवाओं में अधिक खर्चा कर रहे हैं। २३६..

(श्री जनार्दनराय नागर)

करोड़ की राशि को देखना होगा। हमारे द्वारा निश्चित की हुई धन-राशि में विभिन्न राज्यों की तुलना में अधिक खर्चा कर पायें। बड़े राज्यों की तो आप बात छोड़ दीजिये। जिनका अनुपात दो-तीन गुना अधिक है। जहां तक आधारभूत विकास के सिद्धान्तों का सवाल है संतोषजनक है। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय आयोजन में हमारी मांगों की पूर्ति में यदि इस चित्र को देखें तो उसमें आशा की झलक नहीं है, किन्तु निराशा है। १८ करोड़ रुपया हमको सड़कों के लिए चाहिये था उसमें से ६ करोड़ तो हमारा कमिटेड एक्सपेन्डीचर ही है जो हमको तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में खर्च करना पड़ेगा। ६ करोड़ रुपया राजस्थान भर की सड़कों के लिए हमने अपने प्लान फ्रेम में प्रोवाइड किया था। लेकिन हमको कुल मिला है १३ करोड़ रुपया। उनमें से ६ करोड़ रुपया तो हमारा कमिटेड एक्सपेन्डीचर है ही और उसके बाद हमारे पास केवल चार-पांच करोड़ रुपया रह जाता है और उनमें राजस्थान भर की सारी सड़कों का निर्माण करना है। राजस्थान में गांव गांव में, हर दस मील के फासले पर सड़कों की मांग है। सारी सड़कों की इतनी मांग है, और आपको यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि कोई भी ऐसी पंचायत समिति नहीं होगी जिसने दो करोड़ रुपयों की सड़कों का चित्र सरकार के सामने न रखा हो। सड़कों की कितनी मांग है आज राजस्थान में और ज्यों ज्यों औद्योगिक विकास हो रहा है त्यों त्यों राजस्थान में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का विकास हो रहा है। मैं इस बात को मानता हूँ कि आने-जाने के लिए, मुसाफिरी के लिए यातायात के साधन हों। सड़कों की अधिक आवश्यकता पड़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र हैं। गन्ना उत्पादन जोन हैं। सड़कें नहीं हैं। पहले पंचवर्षीय आयोजन में कुछ नहीं कर पाये, दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में इसके लिए कुछ नहीं कर पाये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गन्ना उत्पादन जोन में सड़कों के लिए जो रुपया ला सकते थे उसके लिए कोई प्रावधान इस प्रस्ताव में नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज इसके लिए बड़ी आवश्यकता है। कहते रहे हैं कि हम अपने योजना-काल में तहसील को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से और गांवों को तहसील हैडक्वार्टर से जोड़ना चाहते हैं। जहां एप्रोच रोड का सवाल आता है तो ३३ हजार रुपया एक पंचायत समिति को मिलेगा। मैं जनता की ओर से आज पूछना चाहता हूँ कि ३३ हजार रुपये से आखिर पांच वर्षों में एक पंचायत समिति क्या सड़कों का निर्माण कर पायेगी? २०० तहसीलों में पचास फी सदी तहसीलें ऐसी हैं जहां बैलगाड़ी को भी चलने में तकलीफ है, दूसरों को तो छोड़ दीजिये। कृषि के विकास के साथ साथ कॉमर्शियल क्रॉप्स का विकास हो रहा है। इधर हम यह कहते हैं कि हम कोऑपरेटिव्ज़ बनावेंगे, मन्डियां, बाजार कायम करेंगे और उधर आपकी एप्रोच रोड का पता नहीं है। इसका केवल मात्र एक कारण यही होगा कि जो आपका विकास का क्रम है सड़कों के बारे में और एप्रोच रोड के बारे में, तीसरी पंचवर्षीय आयोजन तो छोड़िये, चौथे और पांचवें पंचवर्षीय आयोजन तक भी पूरा नहीं कर पायेंगे और यह जो चित्र आपने हमारे सामने रखा है उस दृष्टि से १,२००, १,३०० मील लम्बी सड़कों से अधिक राजस्थान

Page No.74

(श्री जनार्दनराय नागर)

में हम नहीं कर पायेंगे । वे सड़कें बनेंगी, निर्माण होंगी, विकास के कार्य होंगे । लेकिन एम्फेसिस का सवाल है । तृतीय पंचवर्षीय आयोजन–काल में वह एम्फेसिस नहीं है और गांव में जहां एप्रोच रोड का सवाल आता है, राजस्थान का जहां विकास हो रहा है, प्रत्येक गांव में एप्रोच रोड होनी जहां आवश्यक है और यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है और एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है क्योंकि गांवों से तहसील और तहसील से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को मिलाना है । इसके लिए लोग अधिक देर तक रुक नहीं सकते । तृतीय पंचवर्षीय आयोजन में अनिवार्य रूप से यातायात को विकसित करने के लिए सड़कों की पूर्ण आवश्यकता है और एप्रोच रोड की पूर्ण रूप से आवश्यकता है और यदि इसकी पूर्ति शीघ्र न हुई तो राजस्थान पीछे रहने वाला है विकास की दृष्टि से भी ।

इसी तरह से सभापति महोदय, मैं आयुर्वेद के लिए कहना चाहता हूँ । आधुनिक चिकित्सा जो नाम दिया गया है वह गलत नाम दिया गया है और कम से कम मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ । इसमें कहा गया है कि आधुनिक चिकित्सा के लिए ५ करोड़ ८५ लाख रुपया रखा था पहले और नया जो निर्धारित चित्र है उसके अनुसार उसको ३ करोड़ ३२ लाख किया है । आयुर्वेद के लिए केवल १ करोड़ १ लाख रखा गया था, चिकित्सा और अनुसंधान सब के लिए था; लेकिन उसको घटा कर ७० लाख कर दिया गया है । आधुनिक चिकित्सा यों भी कहिये कि उसमें बढ़ाना पड़ेगा । उसमें तो ३ करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया और जहां आयुर्वेद का सवाल आता है तो उसमें ३० लाख और कम कर दिया जाता है । इसके रीज़न्स मुझे समझ में नहीं आये । तीसरे. मेडिकल कॉलेज के लिए प्रावधान मौजूद है । फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आधुनिक चिकित्सा में तो ३ करोड़ की बढ़ोतरी करना चाहते हैं और जहां आयुर्वेद का प्रश्न आता है तो उसमें बढ़ाना तो दूर रहा है उसकी प्रस्तावित धनराशि में से भी ३० लाख रुपया कम कर दिया जाता है । इतना ही, एक तरफ तो ४० प्रतिशत की वृद्धि कर दें और एक तरफ ३० लाख रुपया कम कर दें । आखिर आप क्या कहते हैं इसके लिए ? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कारण समझ नहीं पा रहा हूँ । आयुर्वेद के प्रति सरकार का यह सरासर अन्याय है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले जहां डिस्पेन्सरीज़ का सवाल था हम बराबर यह कहते रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, बंगाल से आवेंगे । बंगाल से आये नहीं, आये तो क्या कबूतर की तरह उड़ गये ? एलोपेथी में आप करोड़ों रुपयों की योजनायें रख लेते हैं, आप उनको पूरा कर नहीं पाते हैं । आप अदान्ज लगायें तो मेरा यह मानना है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में कितनी धन-राशि आपने रखी थी आधुनिक चिकित्सा में और उसमें काफ़ी खर्च नहीं की जा सकी है ।

ठीक है, कारण हो सकते हैं, अन्य मुसीबतें और मजबूरियां हो सकती हैं तो फिर आप इस प्रकार की योजनायें क्यों बनाते हैं ? आपकी मजबूरियां तो सामने आने वाली हैं आपके पास डॉक्टर्स नहीं, नर्सेज़ नहीं; तो फिर इतनी बड़ी विचित्र योजना बनाते क्यों हैं ? जहां आप आधुनिक चिकित्सा के लिये करोड़ों रुपये का प्रावधान करते हैं वहां

(श्री जनार्दनराय नागर)

आयुर्वेद का गला घोंटने की कोशिश की जाती है और दूसरी प्रकार की सामाजिक सेवायें हैं उनकी प्रगति को रोका जाता है। जहां तक चिकित्सा का सवाल है राजस्थान में आयुर्वेद का विकास करना चाहते हैं; क्योंकि यह कुछ सदस्यों को प्रिय है कुछ की नसों में आयुर्वेद चला गया है; लेकिन उसके लिये राज्य सरकार केवल ७० लाख रुपये का प्रावधान करती है। आधुनिक चिकित्सा से इसका मुकाबला किया जाय तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के समकक्ष स्थान नहीं दिया है। वह यह मान कर चलती है कि आयुर्वेद कोई विज्ञान नहीं। यह मानते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इसके विकास और विस्तार के लिये ७० लाख रुपया रख दिया है, यह एक आग्रह है, जिद् है, मनोभावना है इसलिये सत्तर लाख रुपया रख दिया है। उधर आप तीन करोड़ रुपये का इजाफा करते हैं। हो सकता है इसमें एक मेडिकल कॉलेज के खोलने का भी प्रावधान सम्मिलित है। एक मेडिकल कॉलेज हमने बीकानेर में खोला है और दूसरा कालेज उदयपुर में खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिये हम एक करोड़ रुपया अलग भी निकाल दें, फिर भी ७.२५ लाख रुपया हम आधुनिक चिकित्सा के लिये रखते हैं। एक तरफ तो ८ करोड़ २५ लाख की योजना है दूसरी तरफ जहां आयुर्वेद के लिये मांग की गई १ करोड़ १ लाख रखे थे वहां उसके लिये ७० लाख मन्जूर किया गया है और आधुनिक चिकित्सा के लिये ५.८५ करोड़ की मांग थी वहां तीन करोड़ और बढ़ा दिये गये हैं। तो यह क्या आयुर्वेद की योजना के साथ खिलवाड़ नहीं है ? मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद को चूंकि थोड़े बहुत सदस्यों का आग्रह है उनको आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है इसलिये उसके लिये इतना रख दिया है। मैं यह चाहता हूँ कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के साथ जिस प्रकार का अन्तर रखा गया है मैं उस बारे में सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के मामले में जो राशि रखी गई है उस राशि पर पुनर्विचार किया जाय।

इसी प्रकार से संस्कृत के मामले को लीजिये। संस्कृत के विकास के लिये जहां हमने आठ लाख रुपये का प्रस्ताव रखा था वहां सिर्फ पांच लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। संस्कृत का बोर्ड हमारे यहां अलग है, इसका डाइरेक्टोरेट अलग है। इतना होते हुए भी पांच सालों में इसके खर्च के लिये पांच लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो साल में एक लाख रुपया पड़ता है। इस तरह से संस्कृत के विकास के लिये हम साल में एक लाख रुपया खर्च करेंगे। आखिर यह क्या है? मखौल नहीं तो और क्या है संस्कृत के साथ ? जहां हम संस्कृत के विकास के लिये आठ लाख रुपये की मांग करते हैं और दिया जाता है केवल पांच लाख रुपया, यह जो चीज है दर असल तकलीफ देनेवाली चीज है। लेकिन जहां हम संस्कृत के प्रसार और प्रचार की बातें करते हैं वहां उसके लिये जो निधि रखी गई है वह निधि बहुत ही थोड़ी है। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ अकेडेमीज़ के साथ भी यही व्यवहार हुआ है; हालांकि एक एकेडेमी से मेरा सम्बन्ध है इससे कोई असर नहीं पड़ता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एकेडेमी का मेम्बर होने के नाते उसके क्या प्रचार के लिये इस असेम्बली के फ्लोर को काम में लिया जा सकता है ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : इन्डिवीज्युअल केपेसिटी में वे बोल सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे एजीटेट कर सकते हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : किसी पोइन्ट को एजीटेट नहीं किया है।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय मित्र ने एकेडेमी को मेरा जेब का रूमाल समझ लिया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मेरी तरफ मुखातिब होकर कहिये, आपने क्या फर्माया ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): चेयर को एड्रेस करके कहा जाता है, न कि किसी सदस्य की तरफ मुंह करके।

श्री जनार्दनराय नागर : आपका मुखारविन्द सूर्य के समान तेजोमय है। मैं उस तेज के सामने कैसे बोल सकता हूँ ?

हां, तो मैं अर्ज कर रहा था कि एकेडेमीज़ के लिये जो प्रावधान किया गया है, आठ-आठ लाख और एक को दस लाख दिया जायेगा। उसमें से काट कर किसी को ६-६ लाख और किसी को ७ लाख कर दिया है। हम यह उम्मीद करके चलते थे कि आने वाले पांच वर्षों में हालांकि दूसरे योजना-काल में इन एकेडेमियों की स्थापना हुई है, वैसी हालत में तीसरी योजना में इनको ज्यादा रुपया मिलेगा, लेकिन यह आशा हमारी निराशा में रही। कुल मिला कर सब को २५ लाख रुपया पांच सालों में खर्च के लिये मिला है। राजस्थान में खेल-कूद की दृष्टि से हमें विचार करना है। साहित्य, संगीत, नाटक आदि में जो हमारे प्रान्त की प्रतिभा रही है उसके विकास को सोचना है, उसका विकास करना आवश्यक है। अगर सारी पंचवर्षीय योजना में ही केवल सब के लिये २५ लाख रुपया रखते हैं तो यह कहां से हो सकता है? आखिर आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, बिजली के मामले में काफी बड़ी योजना को सामने रख कर आप चलते हैं, विद्युत शक्ति का उत्पादन करना राजस्थान की तृतीय योजना का लक्ष्य है। औद्योगिक क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है इस योजना में भी वह प्रगति विस्तृत होती चली जायेगी। लेकिन सामाजिक सेवाओं का सवाल है, सोशियल सुविधाओं के विकास का सवाल है, राज्य की चिकित्सा नीति का सवाल है, देश के ज्ञान विज्ञान की प्रतिभा का सवाल है, उनके लिये धन राशि देने का सवाल है उसमें हमें निराशा ही होती है। हो सकता है इसके लिये हमें निराशा हो, हमारे माननीय मित्रों को निराशा हो लेकिन फिर भी कुल मिला कर मैं मानता हूँ चाहे हमारी सामाजिक सुविधाओं में करोड़ों रुपयों की कमी कर दी गई हो लेकिन यह हमारी तीसरी आयोजना जो है उससे निश्चित रूप से राजस्थान में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। इसलिये सामाजिक

(श्री जनार्दनराय नागर)

योजनाओं में मुख्तलिफ कमी की गई हो, उस पर निराशा व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा, तृतीय आयोजन राजस्थान में विद्युत प्रकाश का आयोजन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का आयोजन है और लक्षावधि जनता की सुख-समृद्धि की ओर ले जाने का आयोजन है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। सभापति महोदय, इससे पहले भी हमने तीसरी योजना के विषय में इस सदन में विचार प्रगट किये थे। सबसे पहली बात जिस समय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस समय योजना २७६ करोड़ रुपये की थी। इसके पहले भी जब सदन में यह योजना विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी उस समय यह योजना २१२ करोड़ रुपये की रखी गई थी, जिसमें राजस्थान केनाल और पोंग डेम के खर्चे को उनमें शामिल नहीं किया गया था। जिस समय योजना आयोग के समक्ष हमारी इस योजना को प्रस्तुत किया गया था उस पर योजना आयोग ने राजस्थान केनाल और पोंग डेम के खर्चे को मिला कर २३६ करोड़ रुपये की योजना निर्धारित की। इस कटौती के बारे में सदन में पिछली बार भी आलोचना हुई थी। कई माननीय सदस्यों ने उस पर रोष भी प्रगट किया था, कइयों ने इसका समर्थन भी किया था; लेकिन माननीय मुख्य मंत्री की ओर से जो इस सम्बन्ध में उत्तर दिया गया उस उत्तर के अन्दर केवल यह था कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में सिवाय जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर राजस्थान को पर केपिटा एलोकेशन ज्यादा हुआ है। इसलिये नहीं कहा जा सकता था राजस्थान के साथ कोई अन्याय हुआ हो और यह भी नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान ने कोई प्रभावशाली तरीके से योजना आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव के ऊपर राय प्रगट नहीं की हो। मैं ऐसा समझता हूँ हमारी राज्य सरकार को पर-केपिटा अलॉटमेन्ट के आंकड़े उत्तर प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के मसले के ऊपर जिस समय योजना आयोग के समक्ष विचार चल रहा था, उत्तर प्रदेश की हमारे देश के अन्दर सबसे बड़ी योजना है; जिस समय अलॉटमेन्ट किया जा रहा था उत्तर प्रदेश का दावा था कि हमारी जन संख्या सबसे ज्यादा है और उस जन संख्या के अनुपात से हमारा पर केपिटा एलोकेशन होना चाहिये। पर जहां तक समाचार-पत्रों से जानकारी मिली है, मैं कह सकता हूँ कि योजना आयोग ने इसको आधार नहीं माना और यह उसकी राय थी कि पर केपिटा के बेसिस पर योजना का सीलिंग फिक्स अप नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि यह जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां ४६७ करोड़ की योजना है वहां पर-केपिटा एलोकेशन ७८.६ है। तो यह अगर आधार होता तो मैं समझता हूँ कि यू. पी. की सरकार और वहां का मन्त्रि-मण्डल और उसके सदस्य इतने प्रभावहीन नहीं हैं कि पर-केपिटा के आधार पर उनको एलोकेशन नहीं मिलता और इतनी कम उनकी योजना स्वीकार की जाती। यही नहीं; पर जब सारे आंकड़े मैंने देखे तो स्पष्ट लगा कि हमारी राज्य सरकार ने इस

(श्री भैरोंसिंह)

बात का लाभ उठाया है कि हमें जन संख्या के अनुपात में जम्मू काश्मीर को छोड़—कर ज्यादा पैसा मिला है, यह हमारे लिये गौरव की बात है। पर जहां जन—संख्या की बात देखने से पता लगता है जम्मू काश्मीर की ४४ लाख की है, उनका एलोकेशन हुआ है १७०.५ का, तो इस आधार को लेकर चलें और कहें कि १४७.५ का हमारा हुआ है, तो इसमें जन—संख्या का अनुपात नहीं है। जन—संख्या और राज्यों की भी कम थी; जैसे आसाम में ९७ है, जम्मू काश्मीर में ४४ लाख और उड़ीसा में १.४६ लाख है। तो इन सारी स्टेटों में जो एलोकेशन किया गया है वह जन—संख्या के अनुपात पर नहीं है। फिर वे कितने रिसोर्सेज़ जुटा पाये हैं या जुटा पावेंगे यह भी अनुपात नहीं था, न यह अनुपात था कि कितना उन्होंने मांगा है। इनमें से कोई अनुपात नहीं था। अगर था तो केवल यह था कि किस राज्य में डेवलपमेंट पोटेन्शियलिटी कितनी है। जिसकी ज्यादा डेवलपमेंट की पोटेन्शियलिटी थी उसी आधार पर इस योजना के प्रारूप को योजना कमीशन द्वारा स्क्रीन किया गया है और उसी के आधार पर एलोकेशन किया है।

मुझे ऐसा लगता है कि जो राज्य सरकार अपना दावा इस आधार पर जोर से रख सकी उसको ज्यादा अलोकेशन मिल गया। राजस्थान सरकार का भी यह दावा सही हो सकता है कि राजस्थान में औद्योगीकरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा पोटेन्शियलिटी है। जहां हम खनिज विभाग के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं हमारी राज्य सरकार के मन्त्री महोदय सरकारी अधिकारी और विधान सभा के सदस्य इस बात को स्वीकार करके चलते हैं कि भारत में राजस्थान पहला राज्य है जिसके अन्दर सबसे ज्यादा खनिज सम्पत्ति है और उस खनिज सम्पत्ति के आधार पर राजस्थान सरकार यह दावा कर सकती है कि उस खनिज सम्पत्ति के आधार पर चलने वाले उद्योग—धन्धे दूसरे राज्यों के मुकाबले में रखे जावें तो राजस्थान का सबसे अच्छा औद्योगीकरण हो सकता है और इसका सीधा अर्थ होता है कि इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी बाकी के राज्यों के मुकाबले में राजस्थान की कम नहीं है। अगर इस आधार पर पर—केपिटा एलोकेशन को उठा कर देखा जावे तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी को भले ही सन्तोष हो जावे कि जन—संख्या के आधार पर राजस्थान का एलोकेशन सबसे ऊंचा है; पर मैं इतना कह सकता हूं कि इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियलिटी के बेसिस पर अगर एलोकेशन हुआ है; जैसा कि साबित होता है तो राजस्थान के एलोकेशन के आंकड़े कम हैं और इस कमी के कारण का इस बात से भी संकेत मिलता है कि इन्डस्ट्रीज़ में हमने जितने आंकड़े प्रस्तुत किये थे उनमें भी कटौती की गई है। यह इस बात का संकेत है कि हमारे राज्य के औद्योगीकरण के सम्बन्ध में हम जो दावा करते हैं और जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं पोटेन्शियलिटी के बारे में और जो जानकारी इन आंकड़ों के आधार पर देना चाहते हैं तो या तो हमारी जानकारी कम है या हम प्रभावशाली तरीके से उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते या योजना कमीशन को कनविंस नहीं कर सकते या वे हमारे प्रस्तावों पर विश्वास नहीं करते। जिस स्थिति में यह सब कुछ हुआ उससे औद्योगीकरण के मामले में कटौती हुई और इस कटौती का असर राजस्थान के

Page No.79

(श्री भैरोंसिंह)

पर–केपिटा पर पड़ा ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने और इस रिपोर्ट के अन्दर इस बात का उल्लेख किया है कि पर–केपिटा इन्कम बढ़ गई और तीसरी योजना में और बढ़ेगी । पर ऑल इण्डिया एवरेज में कम हुई । आज दूसरी योजना के अन्त में ऑल इण्डिया एव-रेज ३०८ का आता है और राजस्थान का २७५ का आता है । इस आधार पर २७ की कमी रहती है । इस कमी के आधार पर सदन पूछना चाहे कि आपने अपनी स्टेट के बाकी आंकड़े इकट्ठे करके रख दिये पर यह जान-कारी नहीं दी कि बाकी की और स्टेटों में आमदनी पर–केपिटा कितनी बढ़ी है और इसके अनुपात में किन किन स्टेटों ने कितने कितने रिसोर्सेज़ जुटाये हैं; तो ये आंकड़े उन्होंने नहीं रखे जिसके आधार पर हम जज कर सकें कि हम अपनी स्टेट की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक कर सकते हैं और यहां के लोगों का आर्थिक स्तर किस तरह ऊंचा उठा सकते हैं । मैं कह सकता हूं, वे इसकी जानकारी देंगे तो विश्वास होगा कि जम्मू–काश्मीर के मुकाबले में उनका पर–केपिटा एलोकेशन हो सकता है अच्छा हो, पर दो रियासतों को छोड़ कर जितनी पर–केपिटा इन्कम बढ़नी चाहिये राजस्थान की वह नहीं बढ़ी है । उस सारी स्थिति के अन्दर में माननीय मुख्य मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि वे....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : अपनी जानकारी के आधार पर । आपने तो कोई सर्वे नहीं कराया है । पर प्लानिंग आस्पेक्ट में फिगर दी हुई है और दूसरे आधारों पर मैंने यह जानकारी प्राप्त की है । मैं चाहता हूं कि मेरे इस तथ्य को मुख्य मन्त्रीजी कन्ट्राडिक्ट करेंगे । मैं सबसे ज्यादा सुखी उस वक्त होऊंगा जब वे सब राज्यों के मुकाबले में यह बता देंगे कि पर-केपिटा हमारे राज्य की आय बढ़ी है । जैसे जम्मू काश्मीर की बात कहते हैं वैसे यह भी घोषणा कर दें कि २ को छोड़ कर हमारी ज्यादा पर–केपिटा इन्कम बढ़ी है । मैं समझता हूँ वे नहीं करेंगे; क्योंकि उनके पास फिगर्स एन्करेजिंग नहीं हैं ।

जहां रिसोर्सेज़ में तीसरी योजना–काल में हमें ८० करोड़ के रिसोर्सेज़ बढ़ाने हैं वहां अब अगर ये अनुपात के आधार पर पर–केपिटा से तुलना करना चाहें तो जो फिगर्स ड्राफ्ट प्लान में दिखा रखे हैं वे कहीं नहीं टिकते हैं ।

ऐसा लगता है, लोगों की इन्कम के अनु-पात के अनुसार नहीं; बल्कि जो योजना का प्रारूप बनाया है उसके अनुरूप इसके अन्दर रिसोर्सेज़ किस तरह से इकट्ठे कर सकेंगे, इस सम्बन्ध का बिना विचार किये, एक प्रकार से ऐसा कहना चाहिये जैसे टेन्टेटिव फिगर्स बना लेते हैं, वैसे फिगर बनाये हैं ।

अब अगर कर्जे के सम्बन्ध में जिक्र किया जावे तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं कि कर्जे की चिन्ता नहीं करनी चाहिये, लाए-बिलिटी की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । राज-स्थान सरकार ने असेट्स बनाये हैं । पर मैं इन सारे आंकड़ों के आधार पर, अगर मान-नीय मुख्य मन्त्रीजो मुझे समय दें तो बताऊं

(श्री भैरोंसिंह)

कि जिनको वे असेट्स बनाना कहते हैं उन असेट्स को प्लान के खर्चे में शामिल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में तीसरी योजना की समाप्ति होने तक जिन असेट्स के आधार पर वे लाएबिलिटी को दूर करना चाहते हैं उसका काफी पर्सेन्टेज तीसरी योजना के खर्च में शुमार कर लिया जावेगा और तीसरी योजना के बाद लाएबिलिटी बढ़ती रहेगी और उसको घटाने की व्यवस्था नहीं होगी।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में यदि मैं यह कहना चाहूँ कि जो प्लान प्रस्तुत हुआ है तीसरी योजना का उसका और दूसरी योजना जो थी उन दोनों को समानान्तर दृष्टि से देखें तो स्पष्ट रूप से एक चीज हमारे सामने प्रकट होगी कि हम इस प्रकार की योजनाओं से जन-जन के मानस में राष्ट्रीय योजना के भाव पैदा नहीं कर सकते। इसका कारण यह हो सकता है कि इसके लिये अपेक्षित जैसा फीलिंग जनता में पैदा किया जाना चाहिये था वैसा फीलिंग हम डेवलप नहीं कर पाये। या यह हो सकता है कि लोगों में जैसा इनीशियेटिव पैदा होना चाहिये वैसा पैदा नहीं कर पाये। इसका कारण मैं यह समझता हूँ कि जिस तरह प्लानिंग कमीशन ने इस सारी योजना के सम्बन्ध में कहा है और अपने विचार प्रकट किये हैं कि चाहे हम कितनी ही योजना को बड़ी बनावें लेकिन योजना को कार्य रूप में परिणत करने की मशीनरी, गवर्नमेन्ट का एडमिनिस्ट्रेशन इतना साउन्ड होना चाहिये कि जिस आधार पर योजना के प्रति लोगों में विश्वास पैदा कर सकें। अगर यह मशीनरी साउन्ड नहीं हुई तो हम कितनी ही बड़ी योजना बनावें, व्यर्थ है। हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पावेंगे।

तीसरी योजना में योजना कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार किया है। उसमें भी इस बात का विशेष रूप से संकेत किया है। पेज ५९ पर लिखा है: "This will rest very largely on the efficiency with which it is implemented." तो इस प्रकार का संकेत इस बात के बारे में मिलता है कि राज्य सरकार या कोई भी सरकार जिसने पहली योजना और दूसरी योजना के सम्बन्ध में कार्यवाही की है उसके अन्दर और एफीशियेन्सी लाने की आवश्यकता है और जब तक इस प्रकार की एफीशियेन्सी नहीं आती है तो हम चाहे कितने ही टार्गेट्स हमारे सामने रखें उनको सफलता पूर्वक एचीव कर सकेंगे, इस प्रकार की सम्भावना नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस तरह से इस तीसरी योजना में हमने २१२ करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की थी उस योजना में और आज का जो ड्राफ्ट प्रस्तुत हुआ है इन दोनों के आंकड़े देखें तो यह पता लगता है कि २३६ करोड़ की योजना में से ७३०.८२ लाख की योजना भारत सरकार के योजना कमीशन ने ड्रोप कर दी है और उसके स्थान पर ८३४.३७ की नई योजनायें शामिल की हैं। वह इस बात पर संकेत करती है कि योजना के सम्बन्ध में हमारा कोई डेमोक्रेटिक एप्रोच नहीं है। यह कहा जाये कि योजना कोई डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के आधार पर बनी है, या राज्य सरकार ने इस विधान सभा द्वारा पारित करवा कर यह योजना बनाई है या प्लानिंग कमीशन ने लोक सभा की अनुमति से इस प्रकार की योजना बनाई है, मैं समझता हूँ कि ये तीनों ही चीजें सही नहीं

Page No.81

(श्री भैरोंसिंह)

उतरती हैं। कौनसी पंचायत समिति से वहां के कामों के बारे में मांग की है, कौन सा प्रोफॉर्मा बना कर भेजा है ? मेरे ख्याल से योजना के बारे में पंचायत समिति से नहीं पूछा गया। पंचायतों में किस काम की जरूरत है, कितने रुपयों की जरूरत है इस सम्बन्ध में उनकी राय नहीं ली गई, बल्कि रुपयों का एलोकेशन किस तरह से करते हैं वह आइटम्स की हेरफेर भी कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में भी कोई राय नहीं ली गई। यह जो कमीबेशी और एडीशन्स किये गये हैं और कुछ आइटम्स को ड्रॉप किया गया है यह इस बात का संकेत करते हैं कि भारत सरकार ने हमारी राज्य सरकार को मोटा सा प्रोफॉर्मा बना कर भेजा है कि इस इस आइटम में इतना इतना खर्च हो सकता है और य ये स्कीमें लाई जा सकती हैं। यही कारण है कि कुछ आइटम्स ड्रॉप किए और कुछ नये रूप से शामिल किये।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सारी स्थिति में पिछले अनुभव को काम में लाना पड़ेगा। पहली योजना, दूसरी योजना और इस समय जो नया सेन्सस हुआ है इसके आधार पर जो परिवर्तन की आवश्यकता है इन तीनों को एक साथ मिला कर देखें तो इस सम्बन्ध में जितने भी आंकड़े राज्य सरकार ने प्रस्तुत किये हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने जो योजनायें बनाई हैं, पोपुलेशन के बेसिस पर जो सेन्सस की रिपोर्ट है उसके आधार पर राजस्थान की आबादी २ करोड़ १ लाख के करीब बताई गई है। अब माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने, कितने लोगों को शिक्षा मिली उसके आंकड़े बता दिये और पर–केपिटा इनकम बता दी और मैं समझता हूँ कि जोड़–तोड़ कर आंकड़ों को वह सही बैठा सकते हैं क्योंकि यह तो आंकड़ों का जाल है और इसको आसानी से समझाना बड़ा मुश्किल है, सरकार चाहे जैसे आंकड़े बना ले........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके सामने भी तो सब आंकड़े मौजूद हैं और वे भी सब हमारे ही दिये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपके आंकड़ों से ही कह रहा हूँ कि आपने जितने आंकड़े दिये हैं वे सही हैं या नहीं, उसके जांच करने की मशीनरी तो मेरे पास नहीं है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसके बावजूद भी उनको गलत कहने की आदत बना ली है।

श्री भैरोंसिंह : वह मैं इस आधार पर नहीं कह रहा हूँ; बल्कि आपको जानकारी है और माननीय सदस्य जानकारी करना चाहें तो सेन्सस विभाग के ऑफिस में चले जायें। वहां देख लें कि कितने व्यक्तियों को शिक्षा मिली और कितने एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं, कितने बिज़नेसमैन हैं इसके आंकड़े देखें तो वहां चले जायें ! वहां उनको स्थिति के बारे में अपने आप से पता चल जायेगा। राज्य सरकार ने जो योजनायें बनाईं उनमें शुरू से अंत तक देखा जाये तो हमें पिछले अनुभवों को काम में लाना पड़ेगा। राजस्थान में जिस समय पहली योजना बनी उसमें हमने यह व्यवस्था की है कि राजस्थान में ७० परसेंट एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं और जिस समय सेन्सस ने

(श्री भैरोंसिंह)

अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि राजस्थान में ८० पर्सेंट एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं । जहां ७० और ८० का डिफरेन्स आ सकता है वहां सेन्सस रिपोर्ट के आधार पर सरकारी आंकड़ों का अन्तर देखा जाये तो हमारे दिमाग में फौरन सन्देह पैदा होता है । हमारा जो ऑक्युपेशन का पैटर्न था और जिस ऑक्युपेशन के पैटर्न को हमने बदलने की व्यवस्था करनी चाही थी और ऑक्युपेशन में हम कोई तरमीम लाना चाहते थे और यह करना चाहते थे कि ७० पर्सेन्ट के बाद जितने भी लोग बचते हैं वे सरप्लस बाकी के व्यवसाय को अपनायें । यह इस बात का सुबूत है कि जहां ७० पर्सेंट एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं वहां ८० पर्सेंट हुए हैं और जो ऑक्युपेशन पैटर्न हम बदलना चाहते थे उसको हम नहीं बदल पाये हैं; बल्कि वह बढ़ता गया है । यह वह साबित करता है कि लोगों को रोजगार देने के संबंध में, लोग किस प्रकार के व्यवसाय को अपनायें, हमारे जितने भी लक्ष्य थे, जितनी भी हमारी योजनायें थीं वे सफल नहीं हो पाई हैं । मैं यह कहना चाहूँगा कि इतना ही नहीं; यदि इस विषय में मैं यह भी कहूँ कि राजस्थान के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक ऐसा इम्पोर्टेन्ट फैक्टर है यदि वह इफेक्टिव है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चाहे योजना किसी प्रकार की हो, चाहे हमारे लक्ष्य कैसे भी हों वह योजना सफल होगी । लेकिन जिस समय पहली योजना हमारे सामने आई उस समय सरकार ने यह कहा कि स्टेट के इन्टीग्रेशन में, सर्विसेज़ के रेशनलाइजेशन के अन्दर, सर्विसेज़ के यूटीलाइजेशन के सम्बन्ध में हम व्यस्त थे इसलिए योजना में जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली । दूसरी योजना के बारे में कहा तो सरकार यह कहती है कि दूसरी योजना में हमने इन्वेस्टमेंट किया है और जिसके फल हमें तीसरी योजना में मिलेंगे । मैं कहता हूँ कि इस प्रकार के आश्वासनों से भूखी जनता को काम नहीं दिया जा सकता । इन आश्वासनों में कुछ नहीं रखा है ।

पिछले दिनों में, पिछले दिनों में नहीं; बल्कि ७ वर्षों से हमारी सरकार यह कहती आ रही है कि हम हनुमानगढ़ में फर्टीलाइज़र फैक्टरी कायम करेंगे । लोग कहते हैं कि उससे ५ लाख टन फर्टीलाइजर राजस्थान के अन्दर प्रोड्यूस किया जायेगा और जो राजस्थान के अन्दर खाद की समस्या है वह भी दूर कर दी जायेगी । राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री विश्वास दिलाते हैं, भारत सरकार विश्वास दिलाती है, राजस्थान की जनता उसमें विश्वास करती है; लेकिन पिछले दिनों से जब समाचारपत्रों में सुना कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रकार की राय दी है कि राजस्थान में ५ लाख टन फर्टीलाइज़र की खपत नहीं है इसलिए उस स्थान के ऊपर इस प्रकार की फर्टीलाइज़र फैक्टरी की आवश्यकता नहीं है । मैं कहता हूँ कि आज राजस्थान का किसान नहीं कह सकता कि उसके पास काफी खाद है बल्कि आज लोगों के अन्दर फर्टीलाइजर की मांग है। उस सारी मांग की स्थिति में राजस्थान में केवल १२ हजार टन फर्टीलाइजर इन ५ वर्षों के अन्दर खर्च किया है । वह इसलिए किया है कि हम इतना ही कर पाये हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसको यूज़ करने की जिम्मे-

(श्री भैरोंसिंह)

दारी पब्लिक की नहीं है। हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री महोदय ने इस विधान सभा में कई बार इसका संकेत किया है कि कृषि विभाग ने इतना खाद किसानों को दिया है। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो कृषि विभाग है उसे लोगों के अन्दर जो इनीशियेटिव पैदा करना चाहिए वह नहीं कर पाया है। फर्टीलाइज़र के प्रति जो विश्वास जागृत कृषकों के अन्दर करना चाहिए वह नहीं कर पाया है कि फर्टीलाइज़र से प्रोडक्शन बढ़ता है और इस प्रकार की मान्यता को हमारा कृषि विभाग घर घर में किसानों के पास नहीं पहुँचा पाया है और हमारी राज्य सरकार ने भी कृषि विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए जो फर्टीलाइज़र फैक्टरी कायम होने वाली थी वह फैक्टरी हमारे कृषि विभाग की अव्यवस्था के कारण हमारी राज्य सरकार के सामने समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री–जी से निवेदन करूंगा कि कोई चाहे जितनी भी आलोचना करे इस सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी के सम्बन्ध में हमारे मुख्य मन्त्रीजी अपने प्रभाव को काम में लें और विधान सभा का विश्वास प्राप्त करें और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में सारे राजनैतिक दल उनके साथ हैं। फर्टीलाइजर फैक्टरी के सम्बन्ध में हमारे डिपार्टमेंट की अव्यवस्था के कारण कोई भी एक्सपर्ट कमेटी उसके विपरीत रिपोर्ट देती है तो हम सरकार का साथ देंगे, इसके लिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी संघर्ष करें। यदि संघर्ष में असफलता मिलती है तो राजस्थान की सेवा करने का अवसर आप अपने हाथ में लें और इस प्रकार का उदाहरण पेश करें कि जनता की मांग के बनिस्बत मुख्य मन्त्री पद का भी ज्यादा महत्व नहीं है; बल्कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी ज्यादा महत्व रखती है; इससे हमारे उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। इस प्रकार से मुझे जहां तक जानकारी मिली है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): सूचना के लिए, सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूँगा कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी का सम्बन्ध इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है?

श्री भैरोंसिंह : फर्टीलाइज़र फैक्टरी क्यों नहीं बन रही है, इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी दी थी कि फर्टीलाइज़र को किसान यूज़ नहीं कर पाये हैं, उसको यूज़ करने की जिम्मेदारी और उसके प्रति प्रेम पैदा करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की थी।

ऐसी स्थिति में अब दूसरा प्रश्न पलाना लिग्नाइट का आता है। हमारी सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम ओपन कास्ट माइनिंग करने वाले हैं, लेकिन जो अभी मुझे ताजा जानकारी मिली है उसके आधार पर इस मसले को फिर ऐसी समस्या के अन्दर फंसा दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स की भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो समितियां नियुक्त की गई थीं उन समितियों की यह राय है कि १६) रु० पर टन के हिसाब से आपने कहा कि माइनिंग की व्यवस्था करेंगे। अभी जानकारी मिली है कि जर्मनी के कुछ एक्सपर्ट्स ने इस सम्बन्ध में राय दी है कि ६) रु० प्रति टन के हिसाब से माइनिंग के बारे में व्यवस्था करेंगे और मैं समझता हूँ कि दूसरे और मुद्दे इस प्रकार के उठाये गये हैं जिनके बारे में न राज्य

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार कोई डिसीज़न ले सकी और न भारत सरकार कोई डिसीज़न ले सकी। राजस्थान किस स्थिति में है, मैं नहीं कह सकता हूँ। जानकारी जो अभी मिली है उसके अनुसार राजस्थान सरकार और अन्य लोगों से टेन्डर इन्वाइट करेगी और मैं समझता हूँ कि एक्सपर्ट ओपीनियन लेकर आगे बढ़ने वाली है। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि १० वर्ष से जिस चीज की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा भी की है, मैं समझता हूँ कि अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है और निर्णय नहीं लेने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना भी इसी तरह से समाप्त हो जायेगी और जो चीज पहली पंच वर्षीय योजना से चली आ रही थी उस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई एचीवमेंट कर सकें, यह संभव नहीं है।

सभापति महोदय, अब मैं यह कहना चाहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आधार हमने रूरल डेवलपमेंट के लिए पंचायत समितियों को माना है। यह बात सही है कि पंचायत समितियां यदि ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो राजस्थान का रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन पंचायत समितियों के सम्बन्ध में जिस प्रकार का एक्ट बना था और एक्ट के समय यह विश्वास दिलाया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में डेवलपमेंट के जितने वर्क्स होंगे उनको एग्ज़ीक्यूट करने में किसी भी प्रकार का राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं रखा जायेगा और इसी राजनैतिक दृष्टिकोण की पूर्ति के लिए हमारे राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने इस बात की घोषणा की थी कि पंचायतों में राजनीति नहीं घुस पाये, इसलिए पंचायत समितियों के इलेक्शन राजनैतिक आधार पर नहीं किये जायं। बाकी के कई राजनैतिक दलों ने इस बात को निभाया लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था और उसकी घोषणा की थी लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही इस प्लान के विपरीत डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के विपरीत, रूरल डेवलपमेंट के लिए चलने वाली स्कीम के विपरीत आचरण सबसे पहले सत्तारूढ़ दल ने किया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद् के स्तर पर चुनाव राजनैतिक आधार पर होगें। सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि पंचायत समितियां और रूरल डेवलपमेंट को जहां तक मैं समझता हूं राजनीति से दोनों चीजों को ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन खेद है कि हमारी सरकार राजनीतिक पचड़े में फंस कर रूरल डेवलपमेंट के काम में राजनैतिक दृष्टि से विचार करने लगी है कि कौन सा काम किस गांव के अन्दर किया जाय, किस व्यक्ति को कितना रुपया दिया जाय। इस सम्बन्ध में हमारा केवल राजनैतिक दृष्टिकोण रहा है कि कौन कितने वोट देगा, कौन कैसे इस प्रकार से इस सम्बन्ध में प्रचार करेगा। यह जरूर महत्वपूर्ण आइटम है। इसके आधार पर पंचायत समितियों से आज यह आशा करके चलें कि राजस्थान के विकास के अन्दर उनका प्रमुख भाग रहेगा? आज जिस प्रकार की स्थिति के अन्दर पंचायत समितियां चल रही हैं उनमें जितनी भी राजनैतिक बातें हैं, जितनी भी जातीयता की बातें हैं और जितनी और इस प्रकार की बातें हैं जो कि कन्डेम करने के लायक हैं इस प्रकार की बातें पंचायत समितियों में चल रही

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, उनके अन्दर इफेक्टिव चेन्जेज़ नहीं लायेंगे, और इसी आधार पर पंचायतें चलती रहीं तो पंचायतों के कारण देश का विकास नहीं होगा; बल्कि इन पंचायतों के कारण राजस्थान का विनाश हो जायेगा, चाहे वे इस चीज़ को स्वीकार करें या नहीं करें। मैं आज राजस्थान के मुख्य मन्त्री को चुनौती देता हूं कि आप मेरी इस चीज़ को गलत समझते हैं तो राजस्थान की ५ पंचायत समितियों के आप नाम बता दें और मैं अपनी तरफ से ५ पंचायत समितियों के नाम बता देता हूं कि जो इस बात को सिद्ध करेंगी कि २ अक्तूबर, १६५६ से पहले एक वर्ष का जो टार्गेट था जिसको कि गवर्नमेंट मशीनरी ने एचीव किया था और २ अक्तूबर, १६५६ के बाद में आज तक जितने जितने टार्गेट्स उनको एचीव करने चाहिये थे वे टार्गेट्स फील्ड में एचीव नहीं किये गये हैं, कागजों में पूरे हो गये हैं। जो कुछ हुआ है कागजों में हुआ है, कागजों में प्रोडक्शन बढ़ा है। फील्ड में न पानी जा रहा है व फील्ड में न कुंए हैं। वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि जितनी भी एन्क्वायरीज़ कमेटी बनती हैं उन कमेटियों के अन्दर जो इस प्रकार के विचारों को लेकर चलती हैं, जो सही जानकारी रखते हैं और जितने सदस्य हैं उन सदस्यों से इस प्रकार की जानकारी करेंगे। चूंकि एक बहुत बड़ा नारा लगाया उस नारे के आधार पर चेन्ज नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं और जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को चलाते जायेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का विकास करें या स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करें, लेकिन हमें राजस्थान का जो रूरल डेवलपमेंट करना है हमारी इच्छा होते हुए भी हम इस प्रकार की परिस्थिति में फंस जायं कि जिस परिस्थिति में राजस्थान के अन्दर समूचा विकास नहीं कर सकेंगे और उसके कारण राजस्थान के विकास में कई प्रकार की बाधाएं हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, माननीय सदस्य ने कहा था कि ५ पंचायतों के नाम बतायेंगे वे नाम नहीं बताये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनका बताना इस सम्बन्ध में आवश्यक नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : वर्ना सारी बात विफ्ह्रा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : विफ्ह्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी समझ में नहीं आया, मैंने जो कुछ कहा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : फैक्ट्स पर बेस्ड हो।

श्री भैरोंसिंह : फैक्ट्स पर सब बेस्ड है। कोई जानकारी करने के लिए तैयार हो।

ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें इन रूरल डेवलपमेंट के विषय में गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। जितने भी मुद्दे इस सम्बन्ध में उठाये जाते हैं, जितनी भी शिकायतें सरकार के सामने आई हैं उनकें ऊपर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। अगर विचार नहीं करते हैं तो ऐसी

Page No.86

(श्री भैरोंसिंह)

परिस्थिति आ सकती है कि जिन परिस्थितियों के आधार पर आगे चल कर नुकसान उठाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, प्लानिंग कमीशन ने जब इन कन्स्टेक्शन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि कन्स्ट्रक्शन के काम जो एन करीब हैं उन पर साधनों को लागू किया जाय, इसके ऊपर नहीं किया जाय। लेकिन आज का जितना खर्चा देखते हैं तो डिपार्टमेंट के आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में किये गये कामों और बाद में किये गये कामों में कोई अन्तर नजर नहीं आता है। जितना खर्चा आता है उसमें वृद्धि हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि नजर आती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, चूंकि टैक्सेशन अब समाप्त हो रहा है उस स्थिति में रिसोर्सेज़ का सवाल आपके सामने आयेगा। उन रिसोर्सेज़ के बारे में और कन्स्ट्रेक्शन के जो मसले हैं उन कन्स्ट्रेक्शन के सारे मसलों के बारे में एक कमेटी अपोइन्ट करके जांच करें कि कौन से कन्स्ट्रेशन के मसले आवश्यक हैं और उन आवश्यक मसलों को हमको पूरा करना है।

अब मैं दूसरी और तीसरी सारी पंच वर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। राज्य सरकार चाहे पहली योजना के बारे में कुछ कहे, चाहे दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन राज्य सरकार राजस्थान में कोई मोडल विलेज ऐसा बता दे, वे यह कहते हैं कि हमने कॉम्युनिटी डेवलपमेंट किया है, हमने ब्लॉक्स खोले हैं, हमने नाना प्रकार के कामों में रुपया खर्च किया है, राजस्थान में एक मोडल विलेज ऐसा बता दें जिस विलेज के आधार पर हमारी राज्य सरकार यह कह सके कि वे रूरल डेवलपमेंट इस आधार पर करना चाहते हैं, यह हमारा नक्शा है, यह हमारा मोडल विलेज है? इस मोडल विलेज के आधार पर सब काम कर सकते हैं। राजस्थान में कोई एग्रीक्लचर फार्म ऐसा बता दें जिस एग्रीक्लचर फार्म के आधार पर राज्य सरकार यह कह सके कि एग्रीक्लचरल प्रोडक्शन बढ़ा है और यह कह सके कि यह मोडल फार्म है? इस मोडल फार्म के आधार पर एग्रीकल्चर फार्म बनाने पड़ेंगे। राज्य सरकार कोई पॉलट्री फार्म ऐसा बता दे जिस पॉलट्री फार्म के आधार पर हमारी सरकार कह सके कि वे पॉलट्री का इस तरह से विकास करना चाहते है? मैं यह कह सकता हूँ कि राज्य सरकार किसी डिपार्टमेंट का नाम लेकर यह बता दे कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर करप्शन नहीं है। इस डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियेन्सी इतनी है कि जिस एफिशियेन्सी की नकल दूसरे विभाग करें तो उस नकल के आधार पर उन डिपार्टमेंट्स में भी एफिशियेन्सी आ सकती है।

मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी दुनिया भर की बातों में योग्य और सबको मुग्ध करने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को मान कर चलना पड़ेगा। हमारी सिविल मशीनरी का एडमिनिस्ट्रेशन दिन प्रति दिन लज़ होता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। करप्शन की चर्चा करते हैं तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह कहा करते हैं कि बार बार करप्शन की चर्चा करने पर ऑफिसर्स का इन्डिपेन्डेन्ट इनीशियेटिव मारा जाता है। मैं समझता हूं कि

Page No.87

(श्री भैरोंसिंह)

इससे इनीशियेटिव नहीं मारा जायेगा; बल्कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर नहीं रही। उसके कारण इनीशियेटिव नहीं मिलता है।

अब मैं इन्डिस्ट्रियल डेवलपमेंट की चर्चा करता हूं। उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं केवल ५ मिनट और लूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : बोलने दें, साहब।

श्री भैरोंसिंह : लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ में कौन से आइटम्स लिये जायेंगे, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में कौन से लिये जायेंगे, और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ में कौन से लिये जायेंगे; इसके बारे में कोई निर्धारण नहीं है। किस तरह के, कौनसे आइटम्स किस में मिलाने हैं, इसके बारे में कोई निर्धारण नहीं है।

अब मैं आगे इस प्लान में देखता हूं तो राज्य सरकार कहती है कि हम कोऑपरेटिवाइज़ेशन के पक्ष में हैं।

(३. म. प.)

मैं नहीं समझता हूं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को छोड़ कर यदि राज्य सरकार कोऑपरेटिवाइजेशन के पक्ष में जाती है तो सरकार का समर्थन होना चाहिये। लेकिन अजीब सी स्थिति है। राज्य सरकार कोऑपरेटिवाइज़ेशन को मूलभूत आधार समझ कर अर्थ-व्यवस्था बना कर चलती है लेकिन इसके विपरीत आचरण करती जाती है तो उसके आचरण का विचार नहीं है। वह आचरण किस प्रकार से खादी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग और भारत सेवक समाज में इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन की ओर संकेत करते हैं कि राज्य सरकार कोऑपरेटिवाइज़ेशन में विश्वास नहीं करती है। राज्य सरकार अपनी खुद की इन्डस्ट्री में विश्वास करती है, कांग्रेस की इन्डस्ट्री चालू रहे। यदि राज्य सरकार कोऑपरेटिवाइज़ेशन करती है तो मैं कहूंगा कि खादी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग इन्डस्ट्री को भंग किया जाय और जितना उत्पादन वहां होता है वह कॉटेज इन्डस्ट्री के द्वारा होता है उन सब को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संभला दीजिये। यदि नहीं संभलाते हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि जो राजनैतिक क्षेत्र में सिद्धि हासिल नहीं कर सकते वे कांग्रेस का प्रचार करने के लिये खादी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा जनता के पैसों से करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं उनको सौंप दीजिये। आप यदि यह समझते हैं या महसूस करते हैं कि पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति खराब है और उसको ठीक करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार के निर्णय के अनुसार खादी के सारे मसले पंचायत समितियों को दे दीजिये और फिर देखा जाय कि खादी बोर्ड और ग्रामोद्योग आदि जितने चलाने वाले हैं उनको सफलता मिलती है या इनको मिलती है।

अन्त में, मैं यह कहता हूँ कि सरकार यदि

(श्री भैरोंसिंह)

मितव्ययता नहीं लाती है, सरकार यदि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी नहीं बढ़ाती है, लोगों की जो मांग है उसको ठुकरा कर अपनी ओर से इम्पोज़ करना चाहती है तो कभी विश्वास नहीं रखना चाहिये। जैसे राजा महाराजा जनता पर टैक्स लगने की बातें करते हैं और कहते हैं कि जनता पर इतना टैक्स लग गया लेकिन जो प्रिवी पर्स लेते हैं उनकी दलीलों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनके शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से यदि सरकार इन बातों को नहीं करती है तो कितना ही आश्वासन दें या विश्वास दिलावें उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, कल से थर्ड फाइव इयर प्लान पर बहस चल रही है। मैं समझता हूँ, यह थर्ड फाइव ईयर प्लानिंग इस सदन में कई मर्तबा बहस में आ चुका है! आज हम अपना ज्यादा वक्त इस बात पर लगा रहे हैं कि इसका प्रारूप क्या था, उसके बाद कितनी कटौती हुई और उसके आंकड़े जो स्वयं सरकार ने उनके सामने पेश किये हैं उन पर ज्यादा चर्चा चला,कर आज दिन इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे हमको कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्पलेक्स पैदा हो। मैं बताना चाहता हूँ कि वे क्या चीजे हैं। ऑब्जेक्टिव कन्डीशन्स हैं जिनके ऊपर प्लानिंग देश में चलता है। उसके लिये अर्थ की व्यवस्था करना खाली देश की स्थिति पर मुनस्सर नहीं करता, प्रान्त की स्थिति पर मुनस्सर नहीं करता; बल्कि सारी दुनिया की स्थिति पर और दुनिया के दूसरे देशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा पर मुनस्सर करता है और हम यह बात कहें कि राजस्थान का डेवलपमेंट किस रूप में होना चाहिये, इस आधार की बात को लेकर हम ऊंचे स्वप्न ले सकते हैं, लेना भी चाहते हैं। आप जो बात कहते हैं वह भी गलत नहीं है; लेकिन उसके लिये सारे साधन इकट्ठे करना, देश को इकट्ठे करना; सरकारी मशीनरी को तैयार करना और आगे बढ़ना और कितना आगे ले जाना जिसको करना होता है उसी को मालूम होता है। विरोधी दल से आवाज आती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितने शिकायत करने वाले हैं उनको चैलेन्ज करके कह सकता हूं कि रुपये में आठ आना, दस आना या बारह आना आज़ादी की लड़ाई से देश को बनाने के लिए किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : मुल्क को बर्बाद किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुल्क को बर्बाद करने वालों को मौका भी हमने दिया है....

श्री सभापति (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब ऐसी चुभती हुई बात कहीं जाती है और उनकी शक्ल पिछली तरफ दिखाई जाती है तो जोश आता है। सच्चाई की बात सुन नहीं सकते। आज देश अच्छी तरह से जानता है कि आज सरकार ने जो आंकड़े पेश किये हैं और खुद मेहनत करके जिस तरह से वक़नफ-वक़न

Page No.89

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सदन में आंकड़े सरकार की तरफ से दिये जा चुके हैं, दिये जा रहे हैं, राजस्थान में वे आंकड़े कौन देता है; सरकार देती है जिससे कि प्रचार है, आत्म-विश्वास है और गरीबी से लड़ने का जो मौका मिला है उसके जरिये आगे बढ़ने की तैयारी करें वहां आप उसके पीछे इस प्रकार से लग जाते हैं। यह कोई मशीन नहीं है, सोचने का मौका नहीं, जहां सारी की सारी कोशिश करके सरकार की मशीनरी तैयार करती है आंकड़े उनकी ५ मिनट में धज्जियां उड़ा देते हैं; जिन पर असर नहीं होता है। इस तरह से गुमराह करना गलत होगा।

सोचना यह है कि थर्ड प्लान पर चर्चायें चलने लगीं उस समय देखा गया कि मुल्क की जो स्थिति है, स्टेबिलिटी है, कांग्रेस की ताकत है, मुल्क में कांग्रेस जितना स्थायित्व रखती है उससे हमारी इज्जत दूसरे मुल्कों में है और उन मुल्कों से हमारी इज्ज़त पर न कि तुम्हारी इज्जत पर प्लानिंग के लिये रुपये मुहैया होते हैं और इस स्थिति में हम चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उस वख्त तुम इस प्रकार से पैर खींचना चाहते हो, सही तौर से देश का नुकसान करते हैं। दूसरे देशों में इस तरह की बातें करके देश की साख गिराते हैं, विकास में आड़े आते हो इस तरह की बात कह कर। जिस तरह से आपने रखा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हनुमानगढ़ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है उसके लिये चीफ मिनिस्टर दाव लगा रहे हैं। आपकी किस तरह की सिन्सियरिटी थी वह जानते हैं। इसके सिवाय कोई मकसद नहीं था, फैक्ट्री लगे न लगे, सी.एम. कहे न कहे। लेकिन आप में इस रूप में बात करने की मजबूरी है। जो भूमिका आपने बनाई है वह नहीं है। इससे आपके दिमाग कामान मालूम होता है। मैं इन शब्दों के साथ अदब के साथ सदन में कहना चाहता हूँ कि जो चीजें पिछड़ गई हैं उन चीजों को बार बार करना नहीं चाहिये। थर्ड फाइव ईयर प्लानिंग का जो नक्शा रखा है वह बन चुका है, भारत सरकार उसे मान चुकी है, राजस्थान में उसका रूप सामने आ चुका है। इस रूप में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। आज जो बहस हो रही है उसमें कई चीजें कन्स्ट्रक्टिव रूप में प्रोस्पेक्टिव ढंग से महसूस करते हैं थर्ड प्लान के सम्बन्ध में तो फ्लेक्सिबिलिटी से फायदा उठा सकते हैं। सरकार को बता कर पर्सुएसिव ढंग से राजस्थान के हित में करें तो अच्छी बात होगी, सरकार उस पर गौर कर सकती है। लेकिन जिसमें कोई तुक न हो उस चीज को खड़ी कर दें जैसे पर। केपिटा इन्कम क्या है, इससे कोई फायदा नहीं है। कोई साहब फरमाने लगे रुपये की कीमत दो आना हो गई। पुराने रुपये दो आने में मैं खरीदने को तैयार हूँ, देना चाहे तो दे दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ४७ के बाद से अब तक उतनी ही कीमत रह गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ४७ के ही लाईये। वे तो और भी चांदी के बने हुए थे, विक्टोरिया के सिक्के तो।

तो अर्ज मैं यह कर रहा था कि हम उस दायरे के अन्दर उस बहस को छोड़े और ज्यादा सही रूप से सोचें, ज्यादा व्यवहारिक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

रूप से सोचें। आज उस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसी नई चीजें जरूर आई हैं जिनके ऊपर विचार करना जरूरी है। जैसे कि हमारे राजस्थान में दो करोड़ एक लाख की पोपुलेशन निकली, उसमें हमारी गलती पांच पर्सेन्ट या ढाई पर्सेन्ट के करीब हुई, जिन लोगों के लिए हमें प्लानिंग करना था। यह दस साल के बाद सेन्सस हुई है। शायद इनके पास गणितज्ञ या ज्योतिषी होंगे। लेकिन कोई भी सरकार इन सेन्सस के पहले उन फिगर्स का अन्दाज कैसे लगा सकती है ? लेकिन सही तरीका वह यह समझती है कि इस राजस्थान की पोपुलेशन २ करोड़ एक लाख के हिसाब से लगा कर चलें। मेरे ख्याल से आज दुनियां में ऐसी बात नहीं है जिसका अन्दाज लगा सकें। आज हमारा प्लानिंग चलता है, वह फिगर्स पर नहीं चलता है, वह अन्दाज पर चलता है। यह सही बात है कि हमारा थर्ड फाइव इअर प्लान सरकार ने बनाया, उसमें ढाई पर्सेन्ट पोपुलेशन ज्यादा बढ़ी है, इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि इसमें लोगों के लिए राजस्थान में प्लान किया गया है, उनकी तादाद ज्यादा है और उन ढाई पर्सेन्ट के लिए और प्लान करना होगा, उतना ही मकसद नहीं है; बल्कि ढाई पर्सेन्ट की प्लान में गलती होने से स्थिति यह बनेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े और दूसरे आंकड़े गलत हो जाते हैं। इसलिए जो सेन्सस की है उससे सरकार के प्लान पर असर पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। अब उससे समाज के अन्दर स्थिति क्या पैदा हुई है ? यह उससे पता चलेगा कि अभी आंकड़े अनएम्प्लायमेंट के एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से से आते हैं, अखबारों में कभी जोधपुर से आते हैं, कभी किसी दूसरी जगह के आते हैं। हम देख रहे हैं कि वे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सही तौर पर अन्दाज लगावें कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आज किन किन कारणों से बढ़ रही है। उसकी तरफ हमें सोचना होगा। मैं धर्म के नाम पर यह बात नहीं करता, जैसे दूसरी पार्टी वाले करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमें फेमिली प्लानिंग और दूसरी चीजों पर सीरियस तरीके से विचार करना पड़ेगा। जो पर्सेन्टेज बढ़ा है। वह हमारे अन्दाज से ज्यादा बढ़ा है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए राजस्थान में इस तरफ ज्यादा जोर देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि केवल जोर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एम्प्लॉयमेंट के साधन ढूंढने होंगे जिससे समाज में शांति पैदा हो। हम कुछ चीजों को इस प्रान्त में इसलिए चालू करना चाहते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़े। मैं उन चीजों की तरफ इशारा करूंगा जिससे एम्प्लॉयमेंट के साधन हमारे यहां उत्पन्न हों और राजस्थान की जो आज सही स्थिति है उससे वह थोड़ी भिन्न हो जाय। मैं कहना चाहता हूं कि इस रूप में सबसे बड़ी जो बात है वह गरीबों को एम्प्लॉयमेंट देने की, सब्सिडी देने की है। उसके लिए जो प्लानिंग के अन्दर चीज है वह सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सारे देश के अन्दर हमारा प्लान २१२ करोड़ का है, उसमें से ६३ करोड़ इस प्रान्त के अन्दर....

Page No.91

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप कब तक नाम लेंगे इसका ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जिन्दगी भर नाम लेते रहें, इस नाम को लेकर ही आप बढ़े हैं........

(हंसी)

इस खादी नाम पर हंसने की बात नहीं है। यह वास्तविकता है। खादी की बात उड़ाने की बात नहीं है। मैं खादी की बात तब तक कहता रहूंगा जब तक खादी में शुद्धता नहीं आयेगी। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसका सारा जस्टीफिकेशन प्लानिंग के अन्दर रखा गया है। हमने मिल के कपड़े पर गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सेस लगाया है और सेस लगा कर लोगों को खादी पहिनाते हैं। हम जो खादी पहिनने वाले हैं उनके लिए रियायत नहीं है, वह रियायत खादी पहिनने वालों के लिए नहीं है; बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए खादी के ऊपर दो पैसा ज्यादा देकर खादी खरीदनी पड़ती है। एक वक्त था जब अंग्रेजों ने खादी को दबाया। उस समय भी खादी पहिनी सिर ऊंचा उठा कर। आज भी खादी पहिनते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारे देश के अन्दर मिल के ऊपर सेस लगा दिया गया है। साथ ही यह भी उद्देश्य है कि देश के अन्दर खादी का प्रचार हो और हाथ को कती–बुनी खादी मिले। उसके लिए हमने प्रयत्न किया है। अब मैं राजस्थान के लिए कहता हूं कि यहां पर एक इवेल्यूशन कमेटी बैठानी चाहिए। जो सबसे बड़ा लक्ष्य है देश में सब्सिडी देने का, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं विलेज इन्डस्ट्री के मातहत

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उससे हमारे खादी बनाने वालों की गाढ़ी कमाई....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय सदस्य के खादी पर विचार सुन लिये, लेकिन खादी वालों पर विचार नहीं सुने।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां, मैं कह रहा हूं। आप धैर्य रखिये।

मैं अर्ज कर रहा था कि उस स्थिति के अन्दर इन्डस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कच्चे माल का अलोकेशन होता है, कुछ भी लिहाज से, आंकड़े बनाने के लिए जो कच्चा माल मिलता है उसके लिए उद्योग शुरू हो जायं राजस्थान के अन्दर। अभी जो कच्चा माल मिलता है वह लोग खरीद कर ले जाते हैं, यह गलत है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप एक इन्डिपेंडेंट ढंग की इवेल्यूशन कमेटी बनायें जो यह देखे कि राजस्थान के अन्दर धीरे धीरे दरें कम की जा रही हैं उनका असर किस किस बात पर पड़ता है। हम सही तौर पर समझ लें कि राजस्थान की आर्थिक हालत कैसी है, हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कैसी है और होम इन्डस्ट्री खादी के ऊपर कितना खर्चा होता है

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आप घंटी कितनी बजायें, मैं आपकी घंटी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

से बंद नहीं होऊंगा, इस बात को कह कर ही खत्म करूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं सरकार को आगाह करता हूं कि आप इवेल्युएशन कमेटी बनायें और वह कमेटी जहां जहां पर बोर्ड लगा रखे हैं वहां जाये और स्वावलम्बी खादी के नाम से जिनके यहां खादी रखी हुई है, उसका कपड़ा अच्छा है क्या, और सब बातों की जांच करे ? क्योंकि यह सरकार का, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इस तरह की खादी आज कलकत्ते और बम्बई में धीरे धीरे घर घर में बेची जा रही है, और पैसा उतना ही वसूल करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसको रोका जाय और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो रखा गया है वह सही रूप में खर्च होना चाहिए। मैं एक राय से इत्तिफाक करता हूं, हमारी कांग्रेस को और सरकार की पॉलिसी है लेकिन आज जनसंघ को भी जोश चढ़ा है वे भी कोआपरेटिव मूवमेंट को मानने लगे हैं; मुझे इसकी खुशी है। मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव मूवमेंट के हित में जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में इन्डस्ट्रियल चेरिटेबल एक्ट है उसको बन्द कर देना चाहिए क्योंकि चेरिटेबल एक्ट के अन्तर्गत सोसाइटीज़ का निर्माण होता है, उसमें बाप बेटे आदि मिल कर एक सोसाइटी बना लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं और सब्सिडी खाते हैं। यह जो रुपये का दुरुपयोग होता है यह और कहीं नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार कहे कि जिन सोसाइटीज़ में इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं उनको जेल में भेज देंगे। इस तरह की जो मनमानी सोसाइटी बन जाती हैं और रुपये का दुरुपयोग होता है यह गलत है। इस तरह जो

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

रुपया बांटते हैं, यह गलत है ! मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट को उठाना चाहिए। जो इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट को कच्चा माल मिलता है वह इसलिए है कि इन्डस्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। यह नहीं कि वह कच्चा माल पंजाब में चला जाय....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, कुछ सदन के नियमों के अनुसार घंटी का मूल्य है या माननीय सदस्य बोलने वाले व्यवस्था दे सकते हैं ?

श्री सभापति : He is incluuing.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा आगाह है कि एक इवेल्यूएशन कमेटी इस तरह की होनी चाहिए। जिससे थर्ड फाइव इअर प्लान में हमारी सरकार के सामने जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकें। नहीं तो हम अंधेरे में बढ़ रहे हैं और हमें दिक्कत में फंसना पड़ेगा। इसलिए लघु उद्योग और खादी विभाग की इन इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर एक कमेटी बैठायें तो यह देखें कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, कितना कच्चा माल आता है, जिससे कितने मजदूरों को मजदूरी मिलती है या वैसे ही आपस में मेनुपुलेट करके ऊपर से कमाई लूटते हैं और कमाई करते हैं।

श्री सभापति : Shri Sohanlal Bhatanagar Only fifteen mindtes.

(दो राज्य पक्ष और एक विपक्ष के माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

Page No.93

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि हमारी साख बढ़ती जा रही है, हमारी दुनिया में इज्जत बढ़ती जा रही है; मैं इस सम्बन्ध में यह कहूँगा कि इज्जत तो तब बढ़ती है जब आप एम० एल० ए० से एम० पी० होते हैं और अगर एम० पी० से एम० एल० ए० होते हैं तो इज़्जत बढ़ती हुई नहीं मानी सकती है।

श्री जनार्दनराय नागर(मावली): माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यह वाक्य जो माननीय सदस्य ने प्रयोग किया है बहुत ही एतराजपूर्ण है और माननीय सदस्य को वापिस लेना चाहिये।

श्री सभापति : Such reflections should not be made.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं समझता हूँ कि वाकई जो माननीय सदस्य ने कहा है कि साख एम० एल० ए० से एम० पी० में बढ़ती है और एम० पी० से एम० एल० ए० होने में नहीं होती, बहुत ही एतराजपूर्ण है और माननीय सभापति, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को इन शब्दों को वापिस लेने के लिए कहा जाये। मैं समझता हूँ कि इज्जत की तुलना एम० पी० और एम० एल० ए० से नहीं की जानी चाहिये और नहीं की जा सकती है।

श्री सभापति : Such personal observations should not be made.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैंने कोई पर्सनल बात नहीं कही है; एक तो एक लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा १० लाख का प्रतिनिधि होता है। तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं सभी बातों को सदन के सामने नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत सी बातों पर पहले कहा जा चुका है; अतः उनको मैं दोहरा कर सदन का समय नहीं लूंगा। लेकिन आंकड़ों के सम्बन्ध में कहा गया है उसके लिये मैं कुछ कहूँगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने एक बात का चैलेंज दिया। उसके लिये मैं यह कहूँगा कि हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है जितनी कि उनके पास है जिससे कि आंकड़े हम उपलब्ध कर सकें लेकिन फिर भी कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा जिनके आंकड़े प्राप्त किये हैं।

अब राज्य की पंचवर्षीय योजना के विकास के बारे में सफलता की बातें कही जाती है और उसके लिए आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। सभापति महोदय, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी बढ़ोत्तरी हुई, यह आंकड़े कितने गुमराह करनेवाले हैं, भ्रम में डालने वाले हैं। इसमें जो आंकड़े दिये हैं उस सम्बन्ध में मैं एक बात सदन के सामने कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इसमें लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पर-केपिटा २५६ रु० का था उसके बजाय दूसरी पंचवर्षीय योजना में पर-केपिटा २७८ रु० हो गया। इस प्रकार १.७२ पर्सेन्ट इन्क्रीज़ हुआ। इसके बाद यह लिखा है कि आज पर केपिटा ३०५ है और वह डिफरेंस २७ का है; इसके आधार पर १.९ पर्सेन्ट रहेगा।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जब हम सेकन्ड प्लान के बिगिनिंग में १०.२ पर्सेन्ट पीछे थे तो इस प्रकार हमारा पर्सेन्टे १.३० किया है । मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो २७८ दिया है । प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट जो १८ अगस्त, १९६० की है जिसमें उन्होंने कहा था कि १९६१ में २६४ होगा । प्लानिंग कमीशन की पुस्तक में २६४ छपा है और यहां पर २७८ के आंकड़े हैं । ये दोनों जो आंकड़े हैं उनमें किनको सही मानेंगे ? मैं इन २७८ पर एक बात कहूंगा कि ऑल ईण्डिया केपिटा ३०५ मानें और उसमें २७ का डिफरेन्स निकाला है उसको केलकुलेट करने से ३०५ और १.१ पर्सेन्ट लैस रहेगा । मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि २७ का डिफरेन्स है, उन्होंने ३०५ पर केलकुलेट किया है, ८.६ पर्सेन्ट कम है । मैं यह निवेदन करूंगा कि २७८ आल इण्डिया का ३०५ मान लिया जावे तो हमारा यह डिफरेन्स है उसका पर्सेन्टे कितना आता है ? इसको मैं कुछ हिसाब उदाहरण के रूप में रख कर समझाऊं कि किसी के पास १०, रु० हैं, दूसरे के पास १५, रु० हैं । दोनों के बीच का डिफरेन्स ५ का है । वह इस हिसाब से ५० पर्सेन्ट का डिफरेन्स एक दूसरे का है; १० के प्रोपोर्शन में आता है । मगर इसको १५ पर केल्कुलेशन किया जाए तो वह ३३ पर्सेन्ट कम है । लेकिन हमें जो एडवान्स एचीवमेंट करना है वह ५० पर्सेन्ट करना है । वह तो १०) रु० पर ही होगा लेकिन हमको इस तरह से केल्कुलेशन नहीं करना होगा । अगर इस तरह से २७ पर यह डिफरेन्स देखें तो ६.६ पर्सेन्ट आता है । जब आल इण्डिया का ६.६ पर्सेन्ट हुआ तो यह १.६ बढ़ा है । दूसरी पंच वर्षीय योजना में सेकिन्ड प्लानिंग में १०.२ पर्सेन्ट पीछे थे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं आपका हिसाब नहीं समझ पाया । आप कहते हैं कि ६.६ पर्सेन्ट है और मैंने कहा कि ८.६ पर्सेन्ट था ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It makes no material difference.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is a difference. मैंने कहा, सेकण्ड प्लान के बिगिनिंग में १०.२ पर्सेन्ट का डिफरेन्स था । अब आप कहना चाहते हैं कि ८.६ पर्सेन्ट रहा । तो यह १.३ पर्सेन्ट हो गया । इसलिए आपने जो केल्कुलेशन किया वह गलत है और राजस्थान का ६.६ पर्सेन्ट ही ठीक आता है । सेकण्ड फाइव इयर में १०.२ पर्सेन्ट के हिसाब से दूसरी पंचवर्षीय योजना में १.३ पर्सेन्ट की वृद्धि आती है । यह तब आता है जब, माननीय सभापति महोदय, आपने २७८ के फिगर्स माने हैं । अगर २६४ को मान लिया जावे तो यह बहुत कम हो जावेगा ।

इसके अलावा आज दो करोड़ एक लाख के लगभग नई सेन्सस है । मैं समझता हूं कि उसकी जो दूसरे प्लान में इन्क्रीज़ हुई है उसे लें तो वह .००१ पर्सेन्ट आवेगी । मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो आंकड़े बताये हैं वे गलत रहेंगे । इसलिये मैं इसके आधार पर माननीय चीफ मिनिस्टर को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बताना चाहता हूँ कि हमारा यह डिफरेन्स था वह गलत है और हमारा पर्सेन्टेज आता है वह .००१ हुआ है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : I would like to know whether they relate to the today's date. ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेकन्ड प्लान पीरियड में इस पोपुलेशन के हिसाब से और भी कम हो जावेगा। कुछ बढ़ी हुई पोपुलेशन शामिल है, कुछ को शामिल नहीं किया है। आपने १ करोड़ ६६ लाख का बेसिस तीसरी पंचवर्षीय योजना का माना है। इसके आधार पर भी केल्कुलेशन को मान लिया जावे तो पर-केपिटा के आधार पर यह जो बात कही वह उचित नहीं है। इसलिये मैंने इसे सदन के सामने रखा है।

योजना आयोग की श्रम व रोजगार शाखा ने विभिन्न राज्यों की रोजगार की स्थिति के सम्बन्ध में जांच करवाई थी। उसकी जांच के आधार पर हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू होने के समय बेकारी के बैक-लॉग का अनुमान १.६६ लाख था। उस समय यह भी अनुमान लगाया गया था कि द्वितीय योजना काल में नये श्रमिकों की संख्या में ४ लाख की वृद्धि हुई। द्वितीय योजना काल में राजस्थान में अतिरिक्त रोजगार के अनुमान के अनुसार योजना कार्यों के फलस्वरूप २.१६ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, १.२३ लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में कुल मिला कर ३.४२ लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा और यह स्थिति शेष भारत की स्थिति से ठीक है। अतः सेकन्ड प्लान में बैक लॉग का इन्क्रीज़ नहीं हुआ।

उन्होंने लेबर के बारे में कहा कि ७.६ लाख का इन्क्रीज़ हुआ है। प्लानिंग बोर्ड में था, उन्होंने लिखा है : "If the addition of the labour force is calculated the population of Rajasthan for 1966 may be 7.6 lacs." जैसा कि उन्होंने लिखा है उसके साथ में उन्होंने यह भी लिखा है : "If the addition is calculated on the assumption that it will constitute 40 percent, it will be worked out to 9.2 lacs in Rajasthan."

६.६ लाख उसमें लिखा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ७.६ लाख लिखते हैं। इतना ही नहीं; मैं यह निवेदन करूंगा कि आज लेटेस्ट सेन्सस २ करोड़ १ लाख की आई। यह ५ लाख की लेबर इन्क्रीज़ होगी उसको एडजस्ट कहां करेंगे ? सभापति महोदय, यह कन्फलिक्ट है। मैं समझता हूँ कि आंकड़ों के आधार पर तथ्यों को छिपाने की जरूरत नहीं है। सही आंकड़ों को ही रखा जाना चाहिये।

मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि प्लानिंग बोर्ड का डिसीज़न हुआ उसमें यह महसूस किया कि ऑल इण्डिया बेसिस की दृष्टि से हमको ५०० करोड़ रुपया चाहिये। प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट में लिखा है :

"It is evident that the investment of minimum order or 5 hundred is the much modest estimate of the requirements during the 3rd plan."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ये तो वेरी मौडेस्ट एस्टीमेट्स थे ५००करोड़ के, वे घटते घटते २३६ करोड़ के रह गये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कटौती हुई है, जिस जिस प्रकार से जिन जिन सैक्टर्स में कटौती हुई है, पॉवर, कोऑपरेटिव, उद्योग, यातायात इन सब में कटौतियां हुई हैं। ऑल इन्डिया की दृष्टि से जो दूसरी स्टेट को सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिला है और जिस प्रोपोर्शन में है उसकी दृष्टि से राजस्थान को जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिला है वह कम मिला है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा कि उड़ीसा, मध्यप्रदेश यू. पी. इनको जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिला है उसके मुकाबले में राजस्थान को सबसे कम मिला है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा क्लियर हो जाऊं कि क्या कम मिला है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेन्ट्रल असिस्टेन्स। मैंने आपको पांच स्टेट्स बताये: Assam, Orissa, U. P., Madhya Pradesh and Rajasthan.

मैंने इन पांच स्टेट्स के फिगर्स आपके सामने रखे हैं। जो राजस्थान को सेन्ट्रल असिस्टेन्स का अलोकेशन है वह उन स्टेट्स के मुकाबले में कम मिला है। इसके साथ साथ सेकन्ड फाइव इयर प्लान की बात कही जाती है। एलोकेशन शुरू में था ६० करोड़ का और उसको रिवाइज़ किया गया और १०० करोड़ का कर दिया गया और जो फिगर्स दी गईं वे ६६ करोड़ की थीं। फाइनेन्शियल टार्गेट्स अचीवमेन्ट की दृष्टि से भी उसमें ६ करोड़ का लोस रहेगा। सेन्कड प्लान में सेन्ट्रल असिस्टेन्स ७१ करोड़ का मिलने वाला था जो मिला नहीं। ४१ करोड़ के रिसोर्सेज़ पूल किये। ६० करोड़ का मिला और इस दृष्टि से ११ करोड़ के सेन्ट्रल असिस्टेन्स का नुकसान हो गया। यह सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान पीरियड में ११ करोड़ कम मिला। ७१ करोड़ मिलना चाहिये था, लेकिन ६० करोड़ ही मिले और ११ करोड़ कम हो गये।

जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता का सवाल है, सदन में इसकी काफी चर्चा हुई है। किसी विभाग के टार्गेट्स को, उसके आंकड़ों को उठा कर देख लीजिये राजस्थान की जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं हो सकी है। जो टार्गेट्स निश्चित किये थे वे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। राजस्थान के ऑल राउंड डेवलपमेन्ट की आवश्यकता थी और यह एक मुख्य बात थी। राजस्थान का बेलेन्स्ड रीजनल डेवलपमेन्ट करें। राजस्थान का हर डिविजन, राजस्थान का हर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान का प्रत्येक भाग और राजस्थान की हर तहसील और गांव का समुचित रूप से डेवलपमेन्ट हो और वे हर तरह से बढ़ते जावें। जिन क्षेत्रों में विकास अधिक है, जो क्षेत्र अधिक विकसित होते जा रहे हैं क्या उसी प्रोपोर्शन में दूसरे भाग भी बढते जा रहे हैं? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा और निवेदन करूंगा कि जो पोपुलेशन और एकरेज बढ़ रहा है, जैसलमेर में ७ पर्सेन्ट पर स्क्वायर मील है जब कि मैक्जिमम १६५ हैं इन भरतपुर, इन जयपुर २७७ पर्सन्स पर स्क्वायर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मील और मिनिमम है जैसलमेर ७ पर्न्सस पर स्क्वायर मील। आज राजस्थान राज्य में डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन के बारे में यह हाल है। पोपुलेशन ऐसे ही नहीं रुकती है, वृद्धि को रोकने के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। जिस राज्य में जनसंख्या बढ़ती है तो बेलेन्स्ड रीजनल डेवलपमेन्ट नहीं कह सकते। १६१६ में गंगानगर में १७०० की पोपुलेशन थी। आज वहां पर ४० हजार की पापुलेशन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : ४० हजार नहीं ६४ हजार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां पोपुलेशन १७०० की थी वहां ६४ हजार हो गई है। हरा भरा क्षेत्र है, मन्डी अच्छी है, पैदावार अच्छी है। साधन अच्छे हैं। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान का समुचित और सर्वांगीण विकास होना चाहिये। आज वह नहीं हो रहा है। सारे प्लान का जितना पैसा है उसका अमाउन्ट एलोकेशन इस दृष्टि से करना चाहिये कि राजस्थान के समुचित भागों को मिल सके, हर व्यक्ति को मिल सके और हर भाग आगे बढ़ सके। एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करना चाहिये जिससे घोटाले कम हों, गबन कम हों। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार कार्यवाही करेगी तो हर दल का, हर व्यक्ति का, सारे सदन का बल मिलेगा। आप इस योजना को कांग्रेस पार्टी की या सरकार की बपौती समझ कर न चलें। इसको इलेक्शन का मेनीफेस्टो बना कर न चलें। नसीराबाद से आये माननीय सदस्य का भाषण सुना। जिस प्रकार उन्होंने इन योजनाओं को कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मेनीफेस्टो बना रखा है उस तरह का न बना कर सदन के सब दलों और माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त करें। कांग्रेस पार्टी के अचीवमेन्टस कह कर न चलें। सही दृष्टिकोण से पब्लिक योजना का

(घंटी)

और विकास का लक्ष्य रख कर चलेंगे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इन सारी योजनाओं का एक राष्ट्रीय रूप बना सके, सब का सहयोग मिल सके। प्रशासन में सख्त' कड़ाई आज बरतने की आवश्यकता है, यह बरती जावे, इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना पर पहले वाद-विवाद हो चुका था। मगर उस टाइम पर जो तृतीय पंचवर्षीय योजना राज्य सरकार ने सदन के सामने रखी थी उसको यह कहा जाय कि वह एक उत्साहजनक थी और राजस्थान की जनता के जीवन स्तर को ऊपर करने वाली योजना थी, लेकिन अब बदल कर राज्य सरकार ने इस सदन के सामने जो योजना रखी है मैं उस योजना को यह कहूँ कि न तो वह रीयल है, न उसके अन्दर जो एक डेक्टेनायर एप्रोच होना चाहिये वह उसमें नहीं है और यह भी कहा जाय कि यह क्यों रीयल योजना न बन सकी उसका कुछ अंश या उसकी कुछ बुराई हम सेन्टर पर रख सकते हैं। क्योंकि हम इस बात के लिए यह कैसे मान लें कि सिविल एलोकेशन के अन्दर पर्सेन्टेज ज्यादा है ? मेरी सारे गवर्नमेंट से यह अपील है कि जो अगर इस पर्सेन्टेज के चक्कर से बाहर

(श्री श्रीमानसिंह)

निकल गये तो योजना को सफल बना लेंगे और पर्सेन्टेज के चक्कर में फंस गये तो सफल नहीं हो सकेंगे । पर्सेन्टेज़ राजस्थान को ज्यादा मिल सकता है, लेकिन सेन्ट्रल एलोकेशन के जो क्राइटेरियाज़ हैं वे इतने डिफेक्टिव हैं कि एक स्टेट की क्या नीड है उसको कन्सीडर नहीं करते हैं । पर्सेन्टेज में ज्यादा कर सकते हैं, चार–पांच स्टेट्स से पर्सेन्टेज जो हो करें, लेकिन राजस्थान की नीड क्या है एलोकेशन से नहीं देखते हैं । सेन्ट्रल कॉन्ट्रिब्यूशन का जो क्राइटेरिया है उसको चेन्ज करवा कर यह रखवाना चाहिये था कि जो राज्य की नीड्स हैं उनके मुताबिक एलोकेशन होना चाहिये, पोपुलेशन बेसिस नहीं होना चाहिये । पोपुलेशन राजस्थान की कम है । एरिया भी नहीं होना चाहिये और सेन्ट्रल में जो हमारा कॉन्ट्रिब्यूशन है यह भी नहीं रखना चाहिये । ज्यादा पोपुलेशन जहां है वहां एलोकेशन ज्यादा होगा । इसलिए राजस्थान को एकॉर्डिंग टु इट्स नीड एलोकेशन नहीं हुआ इसीलिए जिसको एक रियलिस्टिक प्लान कहा जाय वह नहीं हुआ है । जब देश में पंचवर्षीय योजनायें शुरू की थीं तो एक निर्धारित लक्ष्य रखा था और स्टेट गवर्नमेंट के सामने तो कम से कम यह था कि एक तरफ तो प्रोडक्शन बढ़े और दूसरी तरफ पर केपिटा इनकम बढ़े । शोर्ट में यह कहा जाय कि राजस्थान की जनता का स्टेन्डर्ड बढ़े, यह लक्ष्य था । जो समाजवादी समाज लाने की व्यवस्था है उसके विषय में मैं नहीं कहना चाहता । जिन दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनको एचीव नहीं कर सके हैं । क्यों ? जैसा कहा गया था कि स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, पर-केपिटा इन्कम बढ़े, वह प्रोडक्शन बढ़ाने से ही बढ़ सकती थी । पर-केपिटा इन्कम कैसे बढ़ सकती है ?

जो हमारे पास साधन हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रीज़ के जरिये बढ़ा सकते हैं । जितने भी साधन हैं ह्युमेन डेवलपमेंट के, ह्युमेन इन्वेस्टमेंट के अन्दर उन साधनों को जुटायें । हमने पहली योजना में एग्रीकल्चर के सारे साधन जुटाये । दूसरी योजना में भी एग्रीकल्चर के साधन जुटाये और उसी तरह से तीसरी योजना में भी एग्रीकल्चर के साधन जुटा रहे हैं । यह आखिर हम मान कर चलते हैं कि राजस्थान का कृषि उत्पादन बढ़ा है और उसके कारण जितने टार्गेट्स हमने रखे थे उनको हमने एचीव कर लिया । दूसरी योजना में हम टार्गेट्स से भी आगे बढ़ गये और तीसरी योजना में भी वह टार्गेट १६ लाख टन का रखा है। आशा है, हम इससे भी आगे बढ़ जायेंगे, मगर प्रश्न यह आता है कि अन्न का उत्पादन तो हमने बढ़ाया है लेकिन जितनी पोपुलेशन के बढ़ने का अनुमान था पहली पंचवर्षीय योजना में वह गलत निकला और दूसरी में भी गलत निकला और मैं यह आशा करता हूँ कि थर्ड प्लान के बाद भी हमारा पोपुलेशन बढ़ने का जो अनुमान है वह गलत निकलेगा । आपने जिस प्रकार से पहली और दूसरी योजना में जितने अनुपात से पोपुलेशन बढ़ने का अन्दाज किया था वह गलत निकला । जहां आपने अन्न के उत्पादन में अपने टार्गेट्स को एक्सीड कर लिया है लेकिन उसके साथ साथ जो पोपुलेशन की वृद्धि हुई है उसमें हमारे टार्गेट्स गलत निकले । इसके साथ

(श्री श्रीभानसिंह)

साथ पर-केपिटा इन्कम बढ़ाने का अनुमान भी गलत निकला। हम अब जब कि तीसरी योजना की शुरूआत करने जा रहे हैं तो हमें कुछ पोपुलेशन का मार्जिन रखना चाहिये, जैसे मेडिकल फेसीलिटीज़ में वृद्धि हो रही है वैसी हालत में महामारियां नहीं होंगी, रोगों की उत्पत्ति कम होगी उस हिसाब से पोपुलेशन का रेश्यो बढ़ने जा रहा है उसी हिसाब से हमें प्रोडक्शन के टार्गेट्स को ज्यादा रखना चाहिये। जहां प्रोडक्शन टार्गेट्स ज्यादा रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट टार्गेट्स भी ज्यादा रखने चाहिये। उस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं यह कहूँ कि हमें एक नेशनल प्लान इसके लिये रखना होगा। नेशनल प्लान के अन्दर एग्रीकल्चर के लिये एलोकेशन ज्यादा हुआ करता है। लेकिन जहां हम दूसरी योजना को देखते हैं वहां हमने स्टील प्लान्ट्स को लगाने की ओर विशेष ध्यान दिया है। अगर हम उस समय इन स्टील प्लान्ट्स की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और फूड प्रोब्लम को दूर करने में लग जाते तो वह फूड प्रोब्लम ग्रो हो जाती। हमने जहां अपनी योजनाओं में फूड प्रोडक्शन के बारे में जो टार्गेट्स एचीव करने थे उनको हमने एक्सीड किया है। मेरा यह विश्वास है कि अगर हम सेकन्ड प्लान को फूड प्लान बना लेते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम उस प्लान को पूरा कर लेते और थर्ड प्लान हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्लान रहता। मगर राजस्थान के अन्दर कुछ हमारा प्लानिंग अजीब तरह का रहा है। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सरप्लस हैं, सारी पोपुलेशन के कन्ज्यूम करने के बाद भी काफी सरप्लस हमारे यहां रहता है फिर भी हम इसमें डबल इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। हमने हालांकि अपना प्रोडक्शन डबल तो नहीं किया, फिर भी वहां तक पहुंचे हैं लेकिन वह सारा फूड प्रोडक्शन सरप्लस पोपुलेशन में कन्ज्यूम हो गया। दूसरी तरफ नेशनल इन्कम में यदि किसी प्रकार से बढ़ोत्तरी हो सकती है तो वह इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट से हो सकती है।

राजस्थान में दो योजनाओं में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नहीं सका है। हम जब इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं तो हमें डिसअपोइन्ट ही होना पड़ता है। इसमें हमारी डिस-अपोइन्टिंग पोज़ीशन है, हम देखते हैं। हरएक साइड के अन्दर चाहे स्टेट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो हम जब इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं तो हमें निराश होना पड़ता है। माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में रीजनल डिस्पेरिटीज़ कम होनी चाहिये और प्लानिंग कमीशन का भी ध्यान इस ओर दिलाया जाय कि जो स्टेट्स में डिस्पेरिटीज़ हो रही हैं उनको कम किया जाय। आखिर राजस्थान जब आपको फूड सरप्लस दे रहा है, केवल आप इसे एग्रीकल्चरल स्टेट ही रखना चाहते हैं तो आप इसके लिये एक पीरियड निर्धारित कर दीजिये ताकि तीन—चार प्लान्स तक आप इसको एग्रीकल्चर स्टेट ही रख दें। लेकिन जब आप यह नहीं करते हैं तो अदर फेसीलिटीज़ दूसरी जगह चली जाय इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग यू० पी ले जाय और अन्य अन्य प्रकार की सुविधायें दूसरी स्टेट्स को दी जाती हैं तो वैसी हालत में जब यहां सेन्टर कोई इन्डस्ट्रीज़ खोलता नहीं, प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट को आप आने देना नहीं चाहते और

(श्री श्रीभानसिंह)

आ भी नहीं सकते क्योंकि यहां इलेक्ट्रिसिटी का उतना प्रबन्ध नहीं है तो मेरा तो यह निश्चित मत है कि राजस्थान गवर्नमेंट के साथ सेन्टर द्वारा स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट किया गया है, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इन्डस्ट्रीज़ हम देख रहे हैं पंजाब में, मध्य भारत में, यू० पी० में हो रही हैं। वह देखते हुए मुझे तो यह भी लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहां आने वाली है वह भी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके लिये यह कहने को हो जायेगा कि जब आपकी सरकार इन्डस्ट्रीज़ नहीं खोल रही हैं तो केवल लोकल कन्ज़म्पशन के लिये बिजली की व्यवस्था क्यों की जाय ? जितनी ज्यादा इन्डस्ट्रीज़ हमारे यहां होंगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमें बिजली मिल सकती है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान के रहने वाले दूसरी जगह जाकर इन्डस्ट्रीज़ खोलते हैं। हमें चाहिये कि हम उन पर प्रेशर डालें और उनसे कहें कि हम पब्लिक सेक्टर के अन्दर इन्डस्ट्रीज़ नहीं खोलेंगे और प्राइवेट सेक्टर को सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करेंगे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, क्या अब टाइम निर्धारित किया गया है ?

श्री सभापति : So that more speakers may take part.

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमें सेन्टर पर प्रेशर डालना होगा कि जिन जिन स्टेट्स को आपने ज्यादा एलोकेशन दिया है उन स्टेट्स ने अभी तक सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं किया है। हमने अपने टार्गेट्स अचीव करके उसमें सरप्लस उत्पादन किया है इसलिए राजस्थान का क्लेम होता है इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इसलिए राजस्थान को इन्डस्ट्रीज़ के बारे में ज्यादा सुविधायें मिलनी चाहिये।

इसी तरह से मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान के बिजनेसमैन का कन्वेन्शन होने जा रहा है उनसे हमें यह कहना चाहिये कि आप लोगों ने राजस्थान से बाहर इन्डस्ट्रीज़ खोली हैं अब आपको राजस्थान की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। हमें पब्लिक सेक्टर में मदद नहीं मिल रही है तो राजस्थान सरकार के सामने यही ऑल्टरनेटिव है कि वह प्राइवेट सेक्टर को तरजीह दे। प्राइवेट सेक्टर को मदद देकर आउट ऑफ वे जाकर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देना चाहिये और उनके द्वारा इन्डस्ट्रीज़ खुलवानी चाहिये। आखिर जहां हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं दूसरी तरफ पोपुलेशन बढ़ती जा रही है इसलिए जितना ज्यादा प्रोडक्शन हम करते हैं पोपुलेशन उसको कन्ज्यूम करती चली जा रही है। जब तक हमारे पास इन्डस्ट्रीज़ नहीं होंगी तब तक हम ऑक्युपेशनल पेटर्न है उसको चैन्ज नहीं कर सकते।

इतना ही मैं कहूँगा कि थर्ड प्लान के अन्दर जो अलोकेशन किया गया है उसमें कम से कम राजस्थान के अन्दर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ह्यूमेन इन्वेस्टमेंट जिसे हम कह सकें। राजस्थान के अन्दर सड़कों का काम, बिजली का काम, राजस्थान

Page No.101

(श्री श्रीभानसिंह)

में एम्पलॉयमेंट का काम और राजस्थान के अन्दर जिसे कहा जाय औसत लोग ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी कन्डीशन बहुत खराब है उनके लिए इन्वेस्टमेंट का काम, इन सारी तीन-चार-पांच कमियों में हमें इन्वेस्टमेंट करके इन कमियों को पूरा करना चाहिये तभी हमारा प्रोस्पेक्टिव प्लान हो सकता है, तभी हमारी नेशनल इन्कम बढ़ सकती है। उसके साथ साथ पर केपिटा हमारे यहां भी इन्कम बढ़ सकती है। मेटीरियल फेक्टर को छोड़ दें और ह्युमेन फेक्टर को इन्सिस्ट करें। हमारे यहां टैकिनकल एक्सपर्टस की जरूरत है वर्कस की जरूरत होगी, साइन्टिस्ट एवं टेक्निकल एक्सपर्टर्स के लिए तैयारी करेंगे तब जाकर हमें चौथी प्लान में ये सब लोग मिल पायेंगे तभी हम चौथी प्लान को इन्डस्ट्रियल प्लान को पूरा कर पायेंगे। हमें प्लान का अलोकेशन इस प्रकार से करना चाहिये जहां हमने एग्रीकल्चर में टार्गेट्स एचीव कर लिये वहां हम १६ टन का टार्गेट और रखते हैं तो यदि हमने यह एचीव कर लिया और उसी रफ्तार से पोपुलेशन की वृद्धि होती गई तो उस अचीवमेंट का मतलब क्या निकलेगा ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापतिजी, तीसरी योजना के बारे में बहस करने से पूर्व मैं जरूरी समझता हूँ कि पहलो और दूसरी योजना के टार्गेटस अचीव करने के बारे में भी कुछ कह लूं। इससे तीसरी योजना को समझने में हमें आसानी होगी।

हमें खुशी है कि दूसरी योजना के फाइनेन्शियल और फिजिकल टार्गेटस हमने करीब करीब ९० प्रतिशत अचीव कर लिये हैं और इस तरह से देश को और प्लानिंग कमीशन को हमने बता दिया है कि राजस्थान को, जिसे पिछड़ा प्रदेश समझा जाता था उसमें भी यह क्षमता है कि वह दूसरे राज्यों के मुकाबले में अपने टारगट्स अचीव करने में किसी से पीछे नहीं है।

इसके बाद तीसरी योजना के निर्माण काल में हमने एक नारा दिया था कि प्लानिंग फ्रोम बिलो। पहली दो योजनाओं का निर्माण हमने ऊपर से किया था, पर तीसरी को बनाने में हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों का पूरा पूरा सहयोग लिया और जो राजस्थान के करोड़ों लोग योजना के बारे में कुछ नहीं समझते थे उन्होंने भी इसे समझ कर इसमें अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। यह मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज है।

पिछले वक्त जब सदन में इस पर वाद-विवाद हुआ था तो दो चीजें स्पष्ट होनी चाहिये कि एक तो तीसरी योजना में राजस्थान केनाल और दूसरी रीजनल बेलेन्स ग्रोथ के बारे में केनाल को प्लान के सीलिंग से बाहर रखा जावे और रीजनल बेलेन्स ग्रोथ को देखा जावे। पर दुःख है कि हमारे मुख्य मन्त्रीजो के काफी प्रयत्नों के बावजूद इन दो बातों में हमें कामयाबी नहीं मिली।

फिर यह भी हमारी सूझबूझ की प्रतीक थी कि हमने अपना प्लान का प्रारूप न बहुत बड़ा न बहुत छोटा बल्कि काफी सन्तुलित बनाया और इसके लिये राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिये कि जहां

(श्री सोहनलाल भटनागर)

दूसरे राज्यों का प्रारूप काफी कटा, जहां हमारी योजना का यह प्रारूप केवल १६ प्रतिशत कम हुआ। हमने पहले ही अपने रिसोर्सेज़ को देखते हुए इसे बनाया था, जब कि दूसरे राज्यों के प्लान में किसी में ५० प्रतिशत की, किसी में ४० और किसी में ६० प्रतिशत तक की भी कटौती हुई।

यह बात सही है कि हमारा पर केपिटा एक्सपेन्डीचर बढ़ा है। यह दी गई पुस्तिका में भी बताया गया है। पर साथ ही निवेदन करना चाहूँगा कि जहां दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और दूसरी कितनी ही राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं को प्लान के सीलिंग से बाहर रखा गया इसी तरह राजस्थान नहर योजना को भी अगर बाहर रखा जाता तो पर केपिटा एलोकेशन ज्यादा होता और राजस्थान के आम लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सकता था। और दूसरा हमें इस बात का दुख है कि हमारे रीजनल बेलेन्स ग्रोथ के बारे में जो विचारधारा व्यक्त की गई और जो हमने अपना केस रखा उसे प्लानिंग कमीशन ने नहीं माना।

सेन्ट्रल सेक्टर में हम अपने यहां केवल एक रेल-पथ देखते हैं उदयपुर से हिम्मतनगर और एक देखते हैं तांबे का स्मेल्टर। इसके अलावा कोई भी काम सेन्ट्रल सेक्टर में नहीं आता।

तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो विदित होता है कि हमारी तीसरी योजना भी कृषि प्रधान ही रहेगी और यह सभी जानते है कि जो कृषि प्रधान प्रदेश रहेगा वह इकोनोमी के लिहाज से पीछे रहेगा और जब तक इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की ओर हम न बढ़ेंगे तब तक प्रगतिशील इकोनोमी हमारी नहीं हो सकती। इस दृष्टिकोण से मैं मानता हूँ कि पहली और दूसरी योजनायें हमारी ठीक थीं और इस दृष्टि से भारत सरकार को चाहिये था कि हमारी प्लान को कृषि प्रधान से धीरे धीरे उद्योग प्रधान की ओर ले जाते और जब कि बड़े और लघु उद्योगों में सारे देश का हिस्सा १.४ आता है उसके कम्पेरिज़न में राजस्थान का ०.०१३ आता है। यह बहुत बड़ी डिस्पेरिटी है। अगर हमारे इस प्रान्त का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना है, लोगों की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो यह फर्क हमें ठीक करना होगा और अतिशीघ्र करना होगा।

जब कृषि प्रधान हमारा प्लान है तो स्वाभाविक है कि इसमें राशि ज्यादा होती। ८६ करोड़ राजस्थान केनाल के लिये है। बड़ी योजनाओं के लिये ठीक है, इनका लाभ हमें आगे जाकर मिलने वाला है, पर जिन लघु सिंचाई योजनाओं से हमें तुरन्त लाभ मिल सकता है उनके लिये हमने बहुत कम राशि रखी है। देश के दूसरे राज्यों के आंकड़ों से तुलना करें तो इस लघु सिंचाई योजना में भी हमारा एलोकेशन कम है। दूसरों का रेश्यो ४.०३ आता है जब कि हमारा २.८४ है। इसमें अधिक रकम रखी जानी चाहिये थी। साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि इसके लिये जो पंचायत समितियों को देने के लिये दो करोड़ रुपया रखा है और २५ हजार तक के कार्य करने का उनको अधिकार दिया है, जब कि पहली और दूसरी योजना में हमने देखा है कि लघु सिंचाई योजना में भी १०·

(श्री सोहनलाल भटनागर)

लाख तक के कार्य गिने जाते थे और इससे लाभ भी अधिक हुआ। यही नीति अब भी अपनाई जानी चाहिये। नहीं तो यह दो करोड़ रुपया उनको दिया गया तो एक तो राशि बहुत छोटी है दूसरा इसका वेस्टेज ही होगा। मेरे ख्याल से जो दस लाख के कार्य कर सकते थे उनको यह देखना चाहिये और यह दो करोड़ की राशि पंचायत समितियों से हटा लेनी चाहिये। इसके अलावा इर्रिगेशन के लिये १।। करोड़ दिया गया जिसकी सारी स्कीम अभी अभी मन्जूर हुई है।

एक बात जो मैं माननीय सभापतिजी, और कहना चाहता हूँ वह सड़कों के बारे में है। हमारे सर्वांगीण विकास के लिये सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और आज इन सड़कों की बहुत कमी है। इसको भी अन्य राज्यों से अनुपात में मिलाते हैं तो जहां दूसरे राज्यों को ६ पर्सेन्ट एलोकेशन हुआ वहां हमें ५. ५१ प्रतिशत ही हुआ है।

दूसरी योजना में ६ करोड़ रखा गया। इसमें १३ करोड़ रखा है, पर सब जानते हैं कि सड़कों की आज राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ी मांग है।

(४. म. प.)

और जो यह रुपया रखा गया है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो जलकार्य हैं उनके ऊपर ही सारा समाप्त हो जायेगा। आज दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई तहसील हैडक्वार्टर्स भी अभी तक सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है उसके लिए जरूर रकम बढ़ानी चाहिए। तीसरा पोइन्ट जो माननीय सभापति महोदय, उसके अन्दर है....

श्री सभापति : Hon'ble member will please conclude.

श्री सोहनलाल भटनागर : वह यह है कि आज हम तीसरी योजना के ऊपर वाद-विवाद कर रहे हैं और उसका हम फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हमारे राजस्थान के अन्दर और सारे देश के अन्दर है वह यह है कि जो करोड़ों नागरिक हैं वे इतने पिछड़े हुए हैं कि जिनको जीवन का 'मिनिमम बेनीफिट' यानी जो आवश्यकतायें हैं उनकी भी पूर्ति नहीं हो सकी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और प्लानिंग कमीशन ने बेयर नेसेसिटी एक मनुष्य की चार चीजों को माना है। पहला स्कूल, दूसरे पंचायत, तीसरे कुए और चौथे एप्रोच रोड। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तक पंचायतों का और स्कूलों का सवाल है हम राजस्थान के अन्दर इसकी पूर्ति कर रहे हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो एजूकेशन का प्लान बना है जिसमें कि ६ वर्ष की उम्र से लेकिन ११ वर्ष तक की उम्र के बच्चों में पढ़ने वालों की संख्या का अनुपात ७० पर्सेन्ट हो जायगा। लेकिन जहां दूसरे सवाल हैं कुए का और एप्रोच रोड का उसमें माननीय सभापति महोदय हम दूसरे प्रान्तों के बनिस्बत काफी पिछड़े हुए हैं। आज कई जगह ऐसी हैं कि जहां अच्छे जल पीने का नहीं है और वहां आवागमन के साधन नहीं हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह

(श्री सोहनलाल भटनागर)

निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो मुख्य आवश्यकतायें ग्रामीणों की हैं, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर रहे हैं उसमें बहुत ही जरूर है कि इन बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ हम अपना ध्यान ले जायें और जो उनकी आवश्यकतायें हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करें।

तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में है। सदन के कई माननीय सदस्यों ने बिजली के सम्बन्ध में कहा है और अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। जब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट आया था उस समय भी मैंने विचार व्यक्ति किये थे। तो माननीय सभापति महोदय, अगर हम हमारी इकोनोमी को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने प्रदेश को इन्डस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं तो यह सब करने में बिजली का बहुत बड़ा हाथ है और उसके अन्दर ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो १० करोड़ की कटौती की गई है वह बहुत ही खेदजनक है। मैं आशा करता हूँ कि इस कटौती की पूर्त्ति चाहे लोन के द्वारा हो या फिर २०० करोड़ रुपये की जो हिन्दुस्तान के अन्दर और व्यवस्था की जा रही है साथ में उसके अन्दर से इसके लिए पैसा राजस्थान सरकार को लेना चाहिए इसके अलावा और चीजों के लिए जैसे सड़कें, बिजली और कुए इन तीन चीजों के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनके बारे में और प्रेस किया जाये और अधिक से अधिक रकम लाने की कोशिश की जाये तो इससे हमारी आम जनता का जो आर्थिक स्तर है वह ऊंचा उठेगा और हमारे यहां की खुशहाली बढ़ेगी।

श्री सभापति : Hon' le the Agriculture Minister.

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, दो दिन का समय बहुत कम दिया गया है और लोगों को मौका नहीं मिलता और मौका भी उन्हीं को मिलता है जो कि हमेशा बोलते रहते हैं। इसके लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : There is only one hour more. The Leader has to reply and the Hon'ble minister has also to reply

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, पिछले दो दिनों में तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो आखिरी मसविदा हमारे प्रान्त के लिए स्वीकार हुआ है उस बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की चर्चायें की। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत से मुद्दों के बारे में जो यहां उठाये गये उनका उत्तर देना है। मैं सिर्फ उन बातों की और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वे योजनायें जो कि मुख्यत: हमारे राजस्थान के ग्रामीण भाइयों से सम्बन्धित हैं और जिनके जरिये हमने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का सहारा लेकर उनकी कुछ सेवा करने की कोशिश की है उन्हीं योजनाओं को हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में काफी बड़ा रूप देने की कोशिश की है। अगर सदन के माननीय सदस्यों ने गौर किया

Page No.105

(श्री नाथूराम मिर्धा)

होगा तो महसूस किया होगा कि हमारे गांवों में रहने वाले ८० प्रतिशत भाई जो कि किसान हैं खेती करने वाले हैं, और पशु—पालन का काम करते हैं और एक तरीके से जिसके जरिये कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, सहकारिता का तरीका; ये कुछ मुद्दे और कुछ विषय जिनसे मेरा सीधा सम्बन्ध है उनके बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ।

सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो कि पशु—पालन के बारे में थी वह सिर्फ ३५ लाख रुपये की थी। दूसरी योजना जो बनी वह करीब १६३ लाख रुपये की थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो पशुपालन के बारे में बनी है वह ५६० लाख रुपये की योजना है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस दिशा में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और गांवों के अन्दर जो पशु—पालन के जरिये हमारे किसान भाइयों की आमदनी होती है वह ज्यादा आमदनी हुई है। उन लोगों को और ज्यादा फायदा हो इस बारे में यह सरकार पूरी जागरूक है। वे योजनायें क्या हैं उनके बारे में मैं अलग से चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उनका सारा जिक्र यह जो किताब आपके सामने पेश की गई है उसके अन्दर दर्ज है। उसके अन्दर पशुपालन का विकास, उनकी नस्ल को सुधारना, उनको बीमारी से बचाना इस प्रकार की सब योजनायें पुस्तिका में आपके सामने है। मैंने तो उसका एक आकार जिसका रूप हम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आपके सामने रखा है। इसके साथ ही साथ खेती-बाड़ी जो हमारे गांव के लोगों का मुख्य धंधा है और जिसके जरिये हम महसूस करते हैं कि देश में खेती का उत्पादन नहीं बढ़ता है और हमारा देश इसके बिना तरक्की नहीं कर सकेगा ऐसा हम बुनियादी तौर से मानते हैं। हमारे देश की नीति के आधार पर पहली पंचवर्षीय योजना में हमने इस दिशा में कदम उठाया और जैसा सदन के सभी माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं कि जो लक्ष्य और जो धन राशि हमने रखी थी उसको राजस्थान में पूरी तरह से एचीव किया गया है। पहली योजना के समय जो हमारा राजस्थान अलग अलग इकाइयों में बंटा हुआ था वह एक हुआ और एक राजस्थान बना। तो राजस्थान जो एक डेफीसिट स्टेट था वह सरप्लस स्टेट बन गया। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि रखी कुछ लक्ष्यों को हासिल करने के सिलसिले में उस धन राशि का आपको ख्याल होगा कि वह १० करोड़ रुपये की धन राशि थी और उसमें कई तरह के कामकाज शरीक थे, जैसे नये कुंए बनाना, पुरानों की मरम्मत कराना, छोटी छोटी सिंचाई की योजनाओं को बनाना और उसके साथ ही साथ अच्छे बीज का और खाद वितरण करना, केमीकल फर्टीलाइज़र को किसानों में बांटना, ऑर्गेनिक मैन्योर को भी डेवलप करना, सोइल कन्ज़र्वेशन कायम करना, ये इस प्रकार की योजनायें है जो १० करोड़ रुपये के हिसाब से दूसरी पंचवर्षीय योजना में चलानी थीं। उन योजनाओं को हमने पूरा किया और फिज़िकल टार्गेट्स के रूप में जो करीब ८.१२ लाख टन का एडीशनल फूड प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया था और जिसके बारे में सदन में कई बार कह चुका हूँ कि उस लक्ष्य में हम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आगे बढे हैं और निश्चित तौर पर इस सदन के सदस्यों ने स्वीकार किया है कि हमारा उत्पादन जो ८.१२ लाख टन का था उसके बजाय ११.१३ लाख टन एडीशनल फूड ग्रेन्स का इस राजस्थान में हम उत्पादन कर पायेंगे। इस बात को स्वीकार करते हुए भी जो एक विशेष मुद्दा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में उठाया और उसको पहले भी एक दफा उठाया था, उस समय मैं ज्यादा बोल नहीं सका था कुछ समय की कमी थी, इसलिए मैं उस मुद्दे के बारे में जो कुछ बातें कही हैं उनका स्पष्टीकरण और तथ्य सदन के सामने रखना पसन्द करूंगा। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से बात को सदन के सामने रखा और यह बात पहले भी आ चुकी थी और काफी अर्से से यह मुद्दा मेरे सामने है।

एक लोकनाथन की रिपोर्ट छपी है। उसमें भी इशारा किया है कि राजस्थान में पर एकड़ का जो ईल्ड है वह नीचे जा रहा है और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसकी ओर दो दफा इस सदन में ध्यान आकर्षित किया। मैं उनकी जानकारी के लिए और सदन के सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि वह जो भी कहा है उसमें किस प्रकार से तथ्य हैं वह इतना अलार्मिंग या डेंजरस ट्रेण्ड बताया और कहा कि जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। राजस्थान में मैंने जो कुछ जानकारी प्राप्त की और जो कुछ मेरा अनुभव है वह यह है कि यह खतरनाक ट्रेण्ड नहीं है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब हमारा राजस्थान बना तो हमने कई योजनायें चालू कीं और कई योजनायें जो पूरी बनी हुई हैं उनमें कई तरह की इरिगेशन, जो माननीय सदस्यों की जानकारी में है की योजनायें थीं जिनमें एक पैरेनियल सोर्सेज़ इरिगेशन का था वह गंग केनाल के नाम से विख्यात है। उसके अन्दर भी पिछले चार साल से सिंचाई के लिए जो पानी मिला था उसमें कमी हुई है और उसकी वजह से हमारे यहां पर हालात कमी होने के बजाय जो हमारा एरिया अण्डर कल्टीवेशन है वह कम नहीं हुआ है। वह उल्टे ओन दी अदर हैंड बढ़ा है। तो यह कैसे हुआ कि पानी कम हुआ और अण्डर कल्टीवेशन एरिया बढ़ा और जितना पानी क्रॉप्स को मिलना चाहिए वह नहीं मिला। कुछ क्रॉप्स को ज्यादा पानी मिला और कुछ को कम पानी मिला। उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ कम पानी मिलने से बहुत से एरिया के अन्दर जो क्रॉप थी उसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो सका।....

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, अभी सदन में पहले क्वेश्चन उठा था कि जो पानी से एरिया घटा वह २२,००० का घटा है ऐसा माननीय मन्त्री महोदय ने पहले कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ। तो उस बारे में मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूँ कि जिस एरिया में जितना पानी बीज के लिए जरूरी है उतना पानी नहीं पहुंचा, कम मिला तो नेचुरली उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, बल्कि कम उत्पादन होगा। इसलिए पर एकड़ प्रोडक्शन किसान के लिए कम हो जायेगा। यह मैंने एक पैरीनियल इरिगेशन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के जो सोर्सेज़ हैं उनके बारे में कहा है। उसके बारे में जो कुछ आंकड़े थे वे भी आपके सामने रखे गये।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने जो ८.१२ लाख एडीशनल टन के जो टार्गेट रखे थे उसमें जैसा कि वे जोर दे रहे थे और सरकार भी स्वयं उस बारे में शुरू से कन्विन्स्ड है कि हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रोडक्शन का जो टार्गेट् रखा है तो सबसे ज्यादा जोर इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर सोच कर दिया है, और उसी टार्गेट को हमारे सामने रखा था और टार्गेट को हमारे सामने रखा था। अगर उस टार्गेट को एनेलाइज़ करें जो कि हमारे सामने हमेशा से रहा है और जिसको पूरा करने की कोशिश की है उसी हिसाब से उसमें इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर के तरीकों से हमने उत्पादन बढ़ाया है वह ७.८८ लाख टन्स और एडीशनल एरिया को अन्डर कल्टीवेशन लाकर हमको जो उत्पादन में बढ़ोत्तरी करनी थी वह शुरू करना था। उसके जरिये २४,००० टन अनाज का प्रोडक्शन का टार्गेट ज्यादा जमीन को फाड़ कर एडीशनल एकरेज कल्टीवेशन में आया है, उसके हिसाब से हो जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भी इन्टेन्सिव एग्रीकल्चरल मैथ्ड्स पर ज्यादा जोर देकर पूरा करना है। हमारी योजना भी इस प्रकार की निकली थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी जितनी सूचना उपलब्ध है उसके हिसाब से ७.८८ लाख का एडिश्नल प्रोडक्शन इन्टेन्सिव मैथड्स से टार्गेट को पूरा करना था वहां पर एचीवमेंट है वह ७.०२ एडीशनल एसेस हो गया है। वह किसी तरह से स्टेट के साधनों से, अच्छा खाद देने से, अच्छा बीज बोने से, नये कुए बनाने से व पुराने कुए जो कि डिसयूज़ में पड़े थे उनको यूज़ में लाने से; आदि जितनी भी स्कीम्स इस योजना के तहत हैं, जिनको इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर के पैटर्न में कह सकते हैं उनका टार्गेट से कम था। लक्ष्य जो हासिल किया है वह कम है। उसका मैंने थोड़ा सा अन्दाज रखा है।

यह कहना कि केवल एक्टेन्सिव कल्टीवेशन की तरफ ध्यान दिया है जिसमें कि सरकार को कुछ नहीं करना था और किसान का ही खास तौर से काम था तो मैं आगे भी आपके सामने निवेदन कर चुका हूँ कि राजस्थान के किसानों ने अन्न उत्पादन के इस देश के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह महसूस किया है और उसके साथ साथ में आज एग्रीकल्चर की जो इकोनोमी है और जिसके जरिये आज जो कुछ प्राइसेज़ या जो कुछ कीमतें उनकी मिली हैं उन तमाम चीजों ने मिल कर और उसके साथ साथ और कई फैक्टर्स जैसे विकेन्द्रीकरण का जो तरीका हमने अख्त्यार किया है इन सब फैक्टर्स ने मिल कर किसान के मन में एक चेतना पैदा की है और किसान का दिमाग इस बात में पूरा लगा है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है और इस दृष्टिकोण से जहां पर हमने सिर्फ २४ हजार एडीशनल फूड प्रोडक्शन के टार्गेट से चले थे और नई जमीन को कल्टीवेशन में लाने के दृष्टिकोण से वहां पर मैं इस बाबत पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और आज भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दो, सवा दो लाख एडीशनल एकरेज प्रोडक्शन के नीचे लाने की बात सोची थी वहां ४५ लाख के करीब नई

Page No.108

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जमीन राजस्थान के अन्दर किसानों ने खेती के लायक बनाई है और खेती के काम ली है। इसके बाद वे क्या फैक्टर्स थे इस ४५ लाख के अन्दर उसका भी कुछ ब्रेक अप आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस ४५ लाख में।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ४७ लाख टोटल।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं ४५ का कहता हूँ तो ५० और ४५ के बीच की बात करता हूँ। कभी ४७ हो जाय, कभी ४८ हो जाय।

श्री मदनसिंह : वे पर्मानेन्ट कल्टीवेटर्स हैं या टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्मानेन्ट कल्टीवेटर्स हों या टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स हों, कोई भी कल्टीवेटर्स हो, एरिया अन्डर कल्टीवेशन बढ़ा है वह ४५ और ५० लाख के बीच में बढ़ा है इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर। वह फ्लक्चुएट करता है साल दर साल के अन्दर।

इस ४५ लाख के अन्दर डबल क्रोपिंग की वजह से जो एरिया बढ़ा है वह है करीब १० लाख एकड़ और ऐसी जमीनें जो कि ज्यादातर फेलो रहती थीं और काफी लम्बे अर्से तक फेलो रहती थीं, रोटेशन होता था क्रास का उसमें से फेलो लैण्ड जो कि रोटेशन की वजह से खाली रखते थे वह जमीन २१ लाख एकड़ थी वह कम फेलो रहने लगी। उस २१ लाख एकड़ में से १० लाख एकड़ डबल क्रोपिंग की वजह से और वह लैण्ड जिसको मैं कल्चरेबल वेस्ट कहना चाहता हूँ, जिसको नोतोड़ कह सकते हैं ऐसी जमीन का रकबा जो पड़ता है वह करीब १६॥ लाख एकड़ है। ४५ लाख एकड़ जो नई जमीन कल्टीवेशन में आई है उसमें पहले दो मैथड्स जो कि फेलो को किसान ने कल्चरेबल बनाया है और ज्यादा क्रोप के काम लाया है और डबल क्रोपिंग किया है....

श्री पी० के० चौधरी : टोटल ४७ लाख लेते हैं तो वह ४७ लाख नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बिल्कुल नई की बात कहता हूं। फिर देख लें फिगर्स: समझ लें और चेक बाद में कर लें।

इस ४५ लाख में केटेगरी नं० १ और केटेगरी नं० २ के प्रकार की जमीनें पहले कही गई हैं वह एक बहुत बड़ी तादाद में हैं यह इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर की तारीफ में आयेगी। इसलिए यह जो एवरेज किया गया है वह इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से किया गया है। इसमें किसान की समझ भी शामिल है, देश की जरूरत भी शामिल है और जिसके अन्दर जो कुछ भी आप कहें जिसके बारे में मैं सकुचाता हूं कहने के लिए क्योंकि आप उससे ज्यादा नाराज होते हैं, विभाग के लोगों का भी कन्ट्रीब्यूशन है। इसमें पंचायत समितियों में एग्रीकल्चर का काम करने वाले, फील्ड में काम करने वाले लोगों ने, सब ने मिलजुल कर सहयोग किया है तब जाकर वह इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर के कन्ट्रीब्यूशन में इतनी केटेगरी की लैण्ड बढ़ी है। जैसा कि मैंने कहा कि १६॥ लाख एकड़ जमीन जो कल्चरेबल वेस्ट की तारीफ में आती है वह जमीन कल्टीवेशन में आई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। उसको एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन की डेफिनेशन में कैसे डाल दें ? उस जमीन की किस्म कैसी होगी, वह कल्चरेबल वेस्ट होगी, बड़ी घटिया किस्म की जमीन है। जहां पहले कोई खेती नहीं होती थी उसमें कहीं सावणू खेती होने लगी, कहीं डबल कोपिंग होगी। वह जमीन जैसी है आप जानते हैं। वह नोतोड़ जमीन है जहां मेहनत की आवश्यकता है, जहां साधनों की आवश्यकता है, जहां उसको लेवल करने की आवश्यकता है। सब जानते हैं कि उस चीज को बढ़िया बनाने के लिए यह जरूरी है। किसान का एक्चुअली जो जीवन-स्तर है, जो उसके साधन हैं उन पर भी बहुत कुछ डिपेन्ड करता है। कहीं पर बैलों की कमी रहती है तो कहीं पर रुपयों की कमी रहती है। इस कारण से उन जमीनों का उपयोग जितने अच्छे प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता है।

दूसरा, मेरा निवेदन करना यह है कि एक ट्रेन्ड चल रहा है। इस जमीन में जो डबल क्रोप हुई है। जहां पर सियालू क्रोप होती थी उस जमीन के अन्दर डबल क्रोप होने की वजह से जो २० लाख एकड़ के एरिया के अन्दर बारानी का प्रोडक्शन आता था, परन्तु अब कई जमीनों के अन्दर बारानी के साथ रबी की भी क्रोप होने लगी है। दो क्रोप्स उस जमीन पर होने लगी हैं वहां किसानों की समझ थी, लेकिन साधन नहीं थे खाद आदि के सिलसिले में, वे उनको दिये गये हैं। उस जमीन की फर्टिलिटी के बारे में आम किसान जो जानता है उसको आगे बढ़ाया है। एक जमीन यों तो एक फसल देती है यह यदि दो फसलें देने लगे, कुछ इलाकों को छोड़ दीजिए जहां हेवी किस्म की है, जहां हेवी सोइल है, लाइट नहीं है उन इलाकों में खाद की कमी होते हुये भी पर एकड़ ईल्ड घटी नहीं है। लेकिन जहां जमीन लाइट है, हल्की किस्म की है वहां एक क्रोप के बजाय दो हो जाय, जितने खाद की जरूरत है उतना नहीं दे पावें तो नेचुरल तौर से फर्टिलिटी कम होने की वजह से एवरेज कम होगी। ओन दी होल युनिट बढेगा, ओन दी होल एक फसल आती थी वहां दो मिलेंगी तो युनिट का प्रोडक्शन तो बढ़ गया पर एकरेज में घाटा गया। फर्टिलिटी कम होने से ये इस प्रकार के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको मैंने एनेलाइज़ करने की कोशिश की। ये फैक्टर्स मेरे सामने आये थे। मैंने उनके बारे में गम्भीरता से सोचा, किसानों से और एक्सपर्ट्स लोगों से बात-चीत करके जानकारी करने की कोशिश की है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि सन् ५३ से ५६ तक का व्हीट का पर एकड़ प्रोडक्शन ८१३ पाउन्ड है....

श्री पी० के० चौधरी : सन् ५४ से जून ५६ तक ८३३ पाउन्ड पर एकड़ व्हीट होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे हिसाब से ५३ से ५६ तक ८१३ पाउन्ड आता है और ५६-५७ में ७६० पाउन्ड आता है।

श्री पी० के० चौधरी : I have simply converted the figures.

Page No.110

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं मान लेता हूँ ८३३ है या ८३५ या ८३८ है। आप कहते हैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि वे फिगर्स भी आपने हमारे फिगर्स को पढ़ कर दिये हैं। मैं उनको मान लेता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : अश्रव्य।

श्री नाथूराम मिर्धा: जी हां। मैंने कुछ तथ्य की बातें कही। सारे राजस्थान के फिगर्स को एक साथ देखेंगे तो इस परिणाम पर पहुंच जायेंगे। लेकिन अलग अलग जगहों के फेक्टर्स का जिक्र किया उनके अनुसार कुछ आंकड़े प्रस्तुत करें तो सारे इलाकों की एक सी स्थिति नहीं है। पूरे राजस्थान को एक साथ मिला कर इतने बड़े चेन्जेज़ हुये हैं, डिफरेन्ट फैक्टर्स हैं; जैसे सिंचाई के साधन लीजिये। पेरेनियल सिंचाई का जिक्र है। ५५-५६ में गंग केनाल से मिलने वाले वाटर का एवरेज पर डे ३.५१ लाख क्युसेक्स था और ५६-६० में जाकर हो गया ३.२५ लाख क्युसेक्स। एवरेज घट गया। उधर क्या हुआ कि इस हिसाब से पहले जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वह था ३.७८ लाख एकड़ वहां एवरेज पानी का तो कम हो गया लेकिन एकरेज में कल्टीवेशन बढ़ गया ३.६२ लाख एकड़। एरिया कल्टीवेशन में आ गया लेकिन पानी की कमी हो गई। जैसा कि आपको बताया जितना पानी पहले मिलता था उतना नहीं मिलता है। यह एक मिसाल दी गंग केनल की। अभी कई तरह के बांध बने हैं; जैसे जवाई, गुढ़ा, बांगा, नागोर, पाली आदि स्थानों में छोटे मोटे बांध बने हैं। उन सब बांधों को ले लीजिये। उनमें पानी का स्टोरेज डिपेन्ड करता है रेन फाल पर। ज्यादा अच्छी बरसात आती है तो ये बांध पूरे भर जाते हैं। किसान की टेन्डेन्सी ज्यादा से ज्यादा जमीन में काश्त करने की होती है और उनको इर्रिगेशन डिपार्टमेंट वाले रोकते हैं और पानी कम देने की बात करते हैं। फिर भी वे ज्यादा कल्टीवेशन कर ही लेते हैं और ज्यादा कल्टीवेशन करते हैं तो पानी उनके हिस्से में कम आता है। किसी को एक बार पानी मिलता है किसी को दो बार मिलता है। उसका भी असर उपज पर पड़ता है। कल्टीवेशन जो ज्यादा बढ़ा है उसके लिए भी पानी लेने की कोशिश करते हैं और पानी स्टोरेज में होता नहीं है तो उसका नतीजा भी अच्छा नहीं निकलता। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं और जिलों के तथ्य भी आपके सामने रखना चाहूंगा....

श्री पी० के० चौधरी : सभी जिलों के बारे में बता दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अलवर में सन् ५३ से ५६ तक औसत प्रोडक्शन व्हीट का ६६५ पाउन्ड था और ५६ व ५६ के बीच में औसत १,१२१ पाउन्ड था, इस तरह से इसमें १२६ पाउन्ड का इजाफा हुआ। भरतपुर में ७१३ था और ६२० हुआ तो इसमें २०७ का इजाफा हुआ। जयपुर में पहले ८६२ था जिसका १,१५६ हुआ तो इसमें १६७ पाउन्ड इन्क्रीज़ हुआ। इसी तरह से झालावाड़ में ५६४ था जिसका ७६६ पाउन्ड हो गया। इसमें १७५ पाउन्ड का इन्क्रीज़ हुआ। इसके अलावा दूसरे इर्रिगेटेड एरियाज़ का ट्रेन्ड दूसरी तरह का हो गया। गंगानगर में ६३२ था वहां हो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गया ८८१ । इसमें ५१ पाउन्ड डिक्रीज़ हो गया पर एकड़ । इसी तरह से जालोर, नागोर, पाली, बूंदी, उदयपुर आदि इन पांच-छः जगहों पर कहीं १३५, कहीं १५६ कहीं १८१ का एवरेज आता है, औसत घटता है। जहां इर्रिगेशन उन बांधों से होता है जो रेन फाल पर डिपेन्ड करते हैं, स्टोरेज रेन फाल पर डिपेन्ड करता है और जिसे जमीन अधिक चाहिये वहां वाटर की कमी होती है। इर्रिगेशन लायक जमीन बनाई तो गई है लेकिन समतल नहीं है, जुताई नहीं होती; दूसरे जितने साधन होने चाहिये उतने साधन उपलब्ध नहीं होते इसका परिणाम यह हुआ कि जो उत्पादन मिलना चाहिये किसानों को उतना नहीं मिल पाता। कम्पोस्ट नहीं होने से, पानी की कमी होने की वजह से और किसानों के लालच की वजह से एरिया बढ़ा लेते है इसलिये ईल्ड कम होगा। पर एकड़ फायदा होता है पर एकरेज की दृष्टि से फाल होता है। जिसको आप कहते हैं खतरनाक ट्रेन्ड है। लेकिन मैं इसको खतरनाक ट्रेन्ड नहीं मानता। एक टेम्पोरेरी फेज़ आता है। जिस समय किसान की माली हालत सुधरने लगेगी तब ठीक हो जायेगा। इस समय इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये; हालां कि गेन हो सकता है, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साधन बढ़ाने की क्षमता नहीं होने से उनकी जमीनें इतनी अच्छी नहीं बन सकती हैं। इस तरह ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रेन्ड ओन दी होल राजस्थान में अधिक अच्छा नहीं है लेकिन पर्मानेन्ट नहीं है, खतरनाक नहीं है जिसकी वजह से पर्मानेन्ट तौर से हमारा ध्यान इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की ओर होना चाहिये। हमने सारी बातें किसानों के सामने रखी हैं। किसान भी महसूस करने लगे हैं। फिर हमारी मुश्किलात भी हैं जिनके बारे में तथ्य सामने रखे; फिर भी उनको कहा है कि इस बात को देखना चाहिये, समझना चाहिये। सरकार ने महसूस किया है और सरकार इरादा रखती है कि छानबीन के लिए सदस्यों की कमेटी बनाई जाय और मैं इस बारे में जल्दी ही सोच रहा हूँ........

श्री पी० के० चौधरी : कमेटी में एक्सपर्ट्स भी होने चाहिये केवल सदस्य ही नहीं।

एक सदस्य : एक्सपर्ट सदस्यों को ले लेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कमेटी बनाने का सोचा है, इसके बारे में जल्दी ही निर्णय लेने की आवश्यकता है और लेंगे। ये तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं।

एक मिनट के लिये मैं श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्टिलाइज़र के बारे में हनुमानगढ़ में चालू करने की बात का जिक्र किया था; मैं सभापति महोदय, आपके जरिये यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तथ्य उल्टे रखे। वैसी बात नहीं है जैसी उन्होंने कही। फर्टिलाइज़र राजस्थान में जितना मिला या मिल सकता है, उतने का उपयोग नहीं कर पाये, टार्गेट्स पूरे नहीं कर पाये। मैं आपकी मार्फत सदन को जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि बात ऐसी नहीं है। राजस्थान में दूसरी पंचवर्षीय योजना में खास

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तौर से जिसकी फैक्टरी बनने जा रही है सोडियम सल्फेट के लिए, उसके उपयोग के लिए....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अमोनियम सल्फेट।

श्री नाथूराम मिर्धा : अमोनियम सल्फेट, sorry, उसकी यूटिलिटी के लिए पन्द्रह हजार का टार्गेट रखा था, वह नहीं मिल पाया। हमको सिर्फ मिल पाया १० हजार टन, दस हजार टन अमोनियम सल्फेट। उसे राजस्थान में यूटिलाइज़ कर लिया है। हम फैक्ट्री लगा देते हैं और सिंचाई के साधन तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस प्रकार का टार्गेट रखा है वह पंचवर्षीय योजना में एक लाख का, वह सकुचाती दृष्टि से रखा है। कोई फैक्ट्री नहीं लगी है तो हमको पन्द्रह हजार की जगह १० हजार मिला है। अब अगर हम दो लाख लिख दें, तो वे कहेंगे कि तुमने दस हजार टन यूज़ किया, जब कि पन्द्रह हजार मांगा था; तो अब १ लाख, दो लाख टन का टार्जेट कैसे बना दिया? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले फैक्ट्री का तय नहीं था। जब मालूम हुआ था, अब राजस्थान में फैक्ट्री लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री के लिए लाइसेन्स हो चुका है। हमारे फिगर्स हैं कि राजस्थान में कम से कम चार लाख टन का उत्पादन होगा। उसका आधे से ज्यादा हम युटिलाइज़ कर पायेंगे। इस पोइन्ट ऑफ व्यू को लेकर उसको हमने कर दिया। मैं समझता हूँ कि फैक्ट्री के बारे में कोई डिफीकल्टी नहीं आयेगी। इसलिए जो तथ्य जैसा उन्होंने कहा वैसा नहीं है। आज इसकी बहुत मांग है, किसान इसे बहुत चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि लोग ब्लैक मार्केट से, दूर दूर से लाकर इसका उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों में जागरूकता है, विभाग में जागरुकता है और इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ा है, किसान इसका ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं। अब फैक्ट्री खड़ी होगी राजस्थान में, उसके अन्दर डिफीकल्टी नही आयेगी; बल्कि इससे किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

अब चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे, इसलिए मैं ज्यादा निवेदन न करके, जो खास खास चीजें यहां उठाई गईं, उनका जबाब मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मन्त्री।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : सभापतिजी, वैसे तो प्लान डिस्कशन के मौके पर बहुत से भाषण तो उसी प्रकार के हुए, जो बजट भाषण और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय बहुत सी बातें सामने आती हैं उसी प्रकार की बातें सामने आई हैं और कई जगह तो बहुत सी बातें दोहराई गई हैं; इस प्रकार की स्थिति है, इसलिए मैं उतने विस्तार में न जाकर कुछ बातें उठाई गई हैं, उनके सम्बन्ध में संक्षेप में निवेदन करूंगा।

सबसे पहले तो जैसा यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि २७८ पर-केपिटा इनकम है, वह आबादी बढ़ जाने की वजह से बढ़ा नहीं है, हमारी सरकार ने यह कैसे कहा? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने २७८ के लिए कहा तो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसके साथ किस आबादी के लिहाज को, आप खुद देखेंगे, माना है, उस तथ्य को सामने रख दूं। इसमें कोई आंकड़े इधर उधर करने की बात नहीं आती है। जो आबादी बढ़ी है वे आंकड़े सामने हैं इसलिए हम उसके हिसाब की बात रखें। कोई फैक्ट सामने नहीं है तो यह बात नहीं रहती है। फिर भी उन्होंने कहा कि जो आबादी बढ़ी, उस बात को, उस लक्ष्य को सामने रखते हुए इस पर विचार करें तो क्या स्थिति बनती है? तो राजस्थान के अन्दर जो २७८ की हमने औसत आय कही, प्रति व्यक्ति आय, वह बढ़ी हुई आय का ट्रेन्ड अब २७३ हो जाता है। उसी प्रकार भारत में ३०५ रुपये प्रति व्यक्ति आय है यह घट कर २९९ हो जायेगी। तो आबादी केवल राजस्थान में ही नहीं बढ़ी है, आबादी वहां पर भी बढ़ी है। और जो प्रान्त में प्रति वर्ष व्यक्ति बढ़ने का प्रतिशत पहले जहां कहते थे कि राजस्थान के अन्दर १.७ के करीब है वहां हमारे यहां पर प्रति वर्ष आबादी की बढ़ोत्तरी हुई है वह १.७ के बजाय १.२५ और भारत के अन्दर प्रति व्यक्ति जो आबादी का प्रति वर्ष औसत आयेगा वह १ प्रतिशत हो जायेगा। उन फिगर्स के कम्पेरिज़न को लेकर मैं आपके समक्ष इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। अब मुझे पता नहीं, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किस आस्पेक्ट से कहा, कोई जयपुर से अखबार निकलता है उसका रेफरेन्स था....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जी नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर कौनसा आस्पेक्ट था? यह कहां से निकलता है?

श्री भैरोंसिंह : यह अखबार नहीं है, जो फिगर्स बताये....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन निकालता है?

श्री भैरोंसिंह : पर-केपिटा इन्कम के बारे में कहा। उसकी तो पेपर कटिंग अलग अलग हैं स्टेट की पर केपिटा इन्कम बढ़ी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना नहीं जानता। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त जहां तक हमारी जानकारी है, हिन्दुस्तान में पर-केपिटा इन्कम के बारे में दरअसल सही स्थिति पर तब पहुँच सकते हैं जब एक एजेन्सी हो, एक मैथड हो, जिससे पर-केपिटा हर स्टेट का वर्क आउट करे। इस स्थिति में सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के फीगर्स आउट नहीं हुए स्टेट के बारे में, इसलिए वह कम्पेरीजन मौजूद नहीं है और जो नेशनल इन्स्टीट्यूट है, जिसके जरिये हमारे फीगर्स वर्क आउट हुए, कई दूसरे स्टेट्स के वर्क आउट हुए उसके जरिये। जो लोकनाथन इन्स्टीट्यूट है, उसके फीगर्स वर्क आउट करवाये। अलग अलग स्टेट के तीन वर्ष पहले किये, मध्य प्रदेश स्टेट के किये। आज उनके कम्पेरेटिव फीगर्स मौजूद नहीं। इसलिए हर स्टेट की क्या पोज़ीशन है, यह नहीं कह सकता। एक चीज स्पष्ट नज़र आती है कि सारे हिन्दुस्तान में औसत इन्क्रीज़ हुए हैं उसको प्लानिंग कमीशन ने और ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिस मान कर फीगर्स वर्क आउट किये हैं। उसके फीगर्स के मुताबिक जो कम्पेरेटिव फीगर्स हो सकते हैं, पिछले पांच वर्ष का सारे भारतवर्ष का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक प्रतिशत जो औसत सामने आता है वहां राजस्थान का १. ५ आता है। इसलिए स्पष्ट है कि हमारे यहां पर जो बहुत से स्टील प्लान्ट्स पब्लिक सेक्टर में खड़े हुए हैं, जिसकी आमदनी टोटल नेशनल इन्कम में स्प्रेड ओवर नहीं होता है, उसका एडवान्टेज न होते हुए भी राजस्थान में टोटल इन्क्रीज़ जो है वह औसत इन्क्रीज के मुकाबले है ज्यादा है, जो मैं समझता हूं परिणाम

(४. ३५ म. प.)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

पर पहुंचने के लिए हम लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा मार्ग-दर्शक हो सकता है इस स्टेज पर। रहा सवाल इसका कि मैं कहूं कि २७. ८, २७.३ के फीगर्स हैं वे सामयिक फिगर्स हैं, इन्टेरिम फिगर्स प्लान पीरियड के समझें, उनमें जो फीगर्स रीकन्साइल होंगे हिन्दुस्तान के अन्दर उसके बाद भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इसमें कान्ट्राडिक्शन का प्रश्न नहीं है। जो ओपीनियन अवेलेबल होती है, जिस वक्त में डिस्कशन के वक्त में, फाइनेलाइज़ होती है वह सदन के सामने रख दी जाती है। तो उस आधार पर चलना होगा। हम यह कहना चाहें कि २७३ के फीगर्स अन्तिम मान लें, यह गलत होगा क्योंकि फाइनल फिगर्स २७८ के आये, कम आये। तो जब लेटेस्ट चेक-अप होगा उसके बारे में अन्तिम रूप से कहा जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में इस सम्बन्ध में कहा गया, राजस्थान केनाल के बारे में दो-तीन तरह की राय आई। एक राय थी। राजस्थान केनाल पर जितना खर्च किया जा रहा है, हमारी अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए इसके कार्यक्रम को स्टेगर करना चाहिए। बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि इसको काफी तेजी से चलाना चाहिए। तीसरी बात आई कि राजस्थान केनाल के सम्बन्ध में अभी जो पाकिस्तान से ट्रीटी की गई है, उसकी वजह से नुकसान होगा। हम राजस्थान नहर की बात करते हैं, उसमें पानी मिलना मुश्किल है। जो इस प्रकार की बातें कही गईं, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहस कि ट्रीट्री की वजह से नुकसान हुआ; यह कई जगह, कई क्षेत्रों में सुनने को मिलती है और उसको एक प्रकार से पोलिटिकल इस्यू बना कर चलने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके बारे में सबसे पहले तो, अध्यक्ष महोदय, कोई हमारे एस्टेब्लिश्ड राइट्स थे, उसके अन्दर परिवर्तन हुआ हो, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। यह हमको स्पष्ट तौर पर समझ कर चलना चाहिये कि गंग केनाल पर प्री पार्टीशन पीरियड में जो हमारा राइट था वह राइट ट्रीटी के बाद भी ज्यों का त्यों कायम है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है ट्रीटी के कारण।

दूसरे, जो पानी पाकिस्तान के अन्दर जाता था, उस पाकिस्तान में जाने वाले पानी में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से क्लेम पुट अप हुआ, हम चाहते हैं कि रबी में कुछ मिले, खरीफ में कुछ मिले। आखिर वर्ल्ड बैंक ने दोनों के बीच में पड़ कर एक फैसला किया; उसके मुताबिक जो फैसला होता है उसमें भारतवर्ष की या राजस्थान की कानूनन् बंदिश हो गई, यह नहीं कहता कि जो पानी पाकि-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

स्तान को जाता है, उसको डाइवर्ट करके हिन्दुस्तान में या हमारे राजस्थान में यूज़ करने का फैसले का सवाल है। तो, आज स्थिति यह है कि वह ट्रीटी नहीं होती तो यह हालत थी कि हमारे यहां पानी नहीं आता था, आज जब कि २१ पर्सेन्ट के आस–पास उनको देंगे, वहां ८०, ७६ पर्सेन्ट पानी आ सकता है व्यास रिवर से और उसके आने से इस इलाके को ज्यादा से ज्यादा लाभ होने वाला है।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ट्रीटी में ज्यादातर यह कहा जाता है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के पीरियड में इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर यह १० वर्ष में डेम तैयार नहीं होगा तो ३ वर्ष का और ऑप्शन दिया जा सकता है। इस बात को भी हमें राजस्थान में इस लिहाज़ से देखना है कि हमारे यहां खरीफ इर्रिगेशन के लिये पानी एवेलेबल होता तो सिवाय इसके कि कोई बेड ईयर्स हों, पानी का शार्टेज़ रहता। उसके लिये ३१ जुलाई से ३० सितम्बर तक बेड ईयर्स में शोर्टेज हो सकता है बाकी खरीफ में कोई शोर्ट क्यों हो। अगर पौंग बांध बन कर तैयार हो जाता है तो हमारी रबी और खरीफ की आवश्यकता में पानी मिलने की जरूरत पूरी हो जाती है। मानसून वाटर से ही उसके भरने से हमें कोई कमी नहीं रहती। मानसून वाटर को जुलाई अगस्त में ड्रॉ करने में कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिये राजस्थान का जहां तक प्रश्न है, मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूँ कि सिवाय इसके कि कोई बेड ईयर्स हो, या लीन ईयर्स हो, कोई असर नहीं पड़ता। बाकी जो प्री ट्रीटी के पीरियड में और ट्रान्ज़ीशनल पीरियड के अन्दर भी जो पोजिशन थी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा आज जो स्थिति पैदा हुई है उसमें कोई ट्रीटी की वजह से असर हम पर पड़ा हो, ऐसी बात नहीं है। इसका कोई असर हमारे पर नहीं पड़ेगा और पेरिनियल वाटर जितना जल्दी पौंग डेम बने उतना ही हमको जल्दी मिलता है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि पहले जब इस पर बहस की तो हम बराबर इस बात पर जोर देते रहे कि पौंग डेम जल्दी से जल्दी बनना चाहिये और दूसरों से इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिये। सारे भारत में पौंग डेम की बहुत इम्पोर्टेन्स है और ऐसा मान कर चलते हैं कि ८ वर्षों में यह पूरा होकर, इससे पानी मिलने का प्रश्न है वह हल हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं चाहूँगा, माफ करेंगे। प्रीपार्टीशन राइट्स थे उसके बाद जब पार्टीशन हुआ और ट्रीटी हुई उससे गंगकेनाल में पानी की कमी हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां पर ट्रीटी का सवाल ही नहीं आता। प्री पार्टीशन राइट्स थे वे बदस्तूर रहते हैं। मैं यह कहता हूँ कि ट्रीटी व प्री–पार्टीशन में जो थे राइट्स वे ज्यों के त्यों रखे गये हैं। इस बात को मैंने स्पष्ट तौर से कहा है। इसलिये ट्रीटी की बात को यहां जोड़ने की बात नहीं आती।

दूसरी बात मैं राजस्थान केनाल के बारे में, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वक्त राजस्थान केनाल पर २४ हजार मेनुअल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेबर (Manual labour) कुल मिला कर काम करती है और एनिमल लेबर (Animal labour) १६ हजार हैं । इसलिए कई बार यहां जिक्र पैदा होता है कि मजदूर वहां मिलेंगे या नहीं । मैं यह कहूँगा कि यह फेज़िंग नहीं है । मेनुअल पोवर और मेनुअल लेबर (Manual power & manual labour) वहां काफी उपलब्ध हैं । और डिफिकल्टी थी वह यह कि फोरिन एक्सचेन्ज (Foreign Exchange) मिलेगा क्या? मेकेनिकल तरीकों से फोरिन एक्सचेन्ज वगैरह मिले भी । यह सही बात है कि बीच में कुछ कोयले और सीमेन्ट के सामान की कमी रही और उस कमी से कुछ असुविधा हुई और कोल नहीं पहुँचने से लाइनिंग (lining) की प्रोग्रेस में फर्क पड़ा । सीमेन्ट को ब्रिजेज़ तक पहुंचा सके इसके लिये अन्तिम फैसला किया और मैं समझता हूँ कि इससे काफी लाभ हुआ ।

राजस्थान नहर के काम को स्टेगर करना कितना राजस्थान के हित में होगा और राष्ट्रीय हित में होगा, इसलिए हमें यह मान कर चलना चाहिये कि सारी योजना में खर्च कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिलना चाहिये, हम समझते हैं आउटसाइड स्टेट सेक्टर नहीं हो पाया । यह सब होते हुए भी राजस्थान के भविष्य की दृष्टि से राजस्थान नहर को जितना जल्दी पूरा कर सकें उसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये और उसके स्टेगर करने का प्रश्न हमारे सामने नहीं आया और आप देखें, अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हुई हैं कि राजस्थान में औद्योगीकरण के लिए कितना प्रयत्न करना जरूरी है और आज सौभाग्य से एक अच्छा वातावरण है । मुझे खुशी है इस बात की कि सभी माननीय सदस्यों ने जो कल सम्मेलन हो रहा है और विचार चल रहे हैं उसको पसन्द किया है और सब यही चाहते हैं कि राजस्थान का औद्योगीकरण हो और बहुत तेजी से हो ।

बिजली के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन्डस्ट्री और माइन्स में कम रुपया रखा गया है । उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इसको बढ़ाया जावे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे प्लान की अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार होती है और हमें इस पर विचार करना है । अलग अलग हिस्सों में सोशियल सर्विसेज़ आदि हैं उनमें जो खर्चा होने वाला है उसको लेवल में लाना होगा । ६ साल से ११ साल के बच्चों का प्रश्न है, टेक्निकल एजूकेशन या हाइयर एजूकेशन आदि का प्रश्न है या रोड्स के सवाल को लें या एग्रीकल्चर के प्रश्नों को लें तो मालूम होगा कि सभी में आवश्यकता है । लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं, मुझे आशा है, राजस्थान में सहयोग का वातावरण है । सोशियल सर्विसेज़ का सैक्टर ऐसा है कि अवश्य जनता का सहयोग जल्दी से जल्दी मिलता चला जाये और ज्यादा परिणाम आने लग जावें तो जहां तक इन्डस्ट्रियल सेक्टर का सवाल है हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में पॉवर की ज्यादा आवश्यकता पड़े तो उसकी पूर्ति के लिये अन्य क्षेत्रों में कुछ पोवर सेक्टर में बढ़ा सकेंगे । मैं समझता हूं कि हमारी प्रगति पॉवर की वजह से नहीं रुकनी चाहिये । इसके लिये इधर या उधर से कुछ रुपया कर सकते हैं । वह लक्ष्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हमारे सामने है और इसको सामने रखते हुए हम यह समझते हैं कि जो उसको जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। लोन्स के रेस्पोन्स का प्रश्न है उसको बढ़ा सकें।

इसके अलावा जहां तक प्लान में इन्डस्ट्रियल सेक्टर में रुपये बढ़ाने का प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक इन्डस्ट्रियल सेक्टर के लिये प्लान में जो रुपया प्रोवाइड करने का सवाल आता है, इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज़ प्राइवेट सेक्टर के अन्दर होगा वह फाइनेन्स होगा या तो इन्डीविजुअल्स के जरिये या बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन के जरिये। इसलिये प्लान में रिफलेक्ट होने का सवाल नहीं आता है। इन्वेस्ट करने के लिये कन्डीशन्स होती हैं। वह रिफलेक्ट होती है इरिगेशन या पॉवर साइड पर। इन्वेस्टमेंट के लिये कन्डीशन्स पैदा करना, एग्रीकल्चरल साइड में कितनी पॉवर चाहिये; लोग अपने हाथों में काम उठा सकें और प्राइवेट इनवेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसलिये जो कुछ इसमें प्रावधान किया है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रखा गया है।

दूसरा, मैं इसके साथ यह भी निवेदन करूं तीसरी कि पंचवर्षीय योजना काल में काफी खर्च हो रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १०५ करोड़ थे उसके मुकाबले में अब २३६ करोड़ होता है। जब हम यहां पर बहस करते हैं तो २३६ करोड़ पर बहस करते हैं। दूसरे और तीसरे के मुकाबले में कुछ पब्लिक सेक्टर में जैसे रेलवेज के अन्दर व कॉपर स्मेल्टर के अन्दर इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट पब्लिक सेक्टर में हो चुका है और निश्चित रूप से और भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई बड़ा पब्लिक सेक्टर का काम नहीं है।

हां, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर मानता हूं कि कॉपर स्मेल्टर को, १० हजार टन समेल्टर की बात पब्लिक सेक्टर में जांची जाय, मेरे खयाल से वह ठीक बात नहीं है। राजस्थान में एक स्क्वायर मील एरिया में, जो जानकारी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका परिणाम यह है कि २८ लाख टन और अब हैं जो १ पर्सेन्ट औसत के करीब होता है, दस हजार टन का उस लिहाज़ से जस्टिफाई होता है, रीजन्स के रीजन्स पड़े हुए हैं। (अश्रव्य) में बेटर डिपोजिट्स हैं, २.५ पर्सेन्ट आता है और लेटेस्ट बैराठ और थानागाजी तक पहुंचे हैं। इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। उसको देखते हुए देश में इतना कॉपर पर इम्पोर्ट करने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है और जो इन्डीकेशन्स हमारे सामने हैं उसमें ओवर कोशियस होकर दस हजार टन के स्मेल्टर की कल्पना करना न देश के हित में है न राजस्थान के डेवलपमेंट के हित में है। जो रॉ मेटीरियल हमारे सामने है, मैं नहीं कहता कि सेन्ट्रल प्रश्न है; राजस्थान में लगे, उनकी संभावना है एक्सपर्ट और टैक्निकल ओपिनियन के खयाल से कोई रिस्क नहीं मालूम होता है, जो अब तक इन्डीकेशन्स हमारे सामने दिखाई देते हैं उनसे।

फर्टीलाइज़र के बारे में, अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी के लिए आंकड़े कम देने से फर्टीलाइज़र फैक्टरी के यूज़ होने का खतरा पदा हुआ है। उसके बारे में कृषि मन्त्रीजी ने आपके समक्ष सारी

Page No.118

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जानकारी रखी है और मैं मानता हूँ कि जो योजनायें हमने हाथ में ली और दूसरी योजना काल में फर्टीलाइज़र माइन्डेड होकर लोग फर्टीलाइज़र मांगने लगे तो सप्लाई होना बन्द हो गया। दूसरा यह है कि जिप्सम हमारे यहां का जाकर दूसरी जगह यूज़ होता है और रॉ मेटीरियल इतना बड़ा मौजूद है तो हमको यह नहीं मानना चाहिये कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी राजस्थान में न बनेगी। सब ही माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको सब ही महत्वपूर्ण समझते हैं और राय है। जिस क्षेत्र में राय की आवश्यकता होगी उस राय को उनके सामने रखूंगा और पूरा प्रयत्न करेंगे कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री निर्णित हो चुकी है राजस्थान में वह समय पर लगे।

पलाना के बारे में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पलाना में एक जर्मन कम्पनी ने ६ रुपया पर टन के बारे में कहा लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से ठीक रूप से जवाब नहीं दिया गया। इसके लिए इतना ही निवेदन करना है कि राजस्थान सरकार ने पलाना के लिग्नाइट और फ्लोराइट इन दोनों के बारे में ग्लोबल कन्सलटेन्स के लिए निकाल चुकी है और जानकारी आ रही है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और जो टैक्निकल एक्सपर्टस हैं वे फाइनली तय करेंगे। सारी चीजों को ध्यान में रख कर एक्सपर्टस इसको जल्दी ही तय करेंगे। उसका टाइम एक्सपायर हो गया है, लेकिन और भी टाइम दे रहे हैं जिससे इन्टर नेशनल लोग इन्ट्रेस्टेड हों, वे लोग रूचि लेकर यहां पर कर सकें।

रीजनल बेलेन्स के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब हम इस कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं तो रीजनल बेलेन्स को सामने रख कर चलना चाहिये। जिन योजनाओं पर जोर दे रहे हैं उनसे जाहिर होगा कि सब तरफ जो संभावनायें हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कॉपर का स्मेल्टर है, कोटा की तरफ चम्बल है। उससे बिजली और उद्योगों का विकास, उदयपुर डिविज़न में लैड जिन्क स्मेल्टर, मीडियम, माइनर वर्क्स हैं और भी कई डेवलपमेंट के सोर्सेज हैं। जैसलमेर में आबादी कम से कम दिखाई उसके लिए राजस्थान सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है कि वहां पर पैट्रोलियम इन्वेस्टिगेशन हो, कोशिश जारी है और इन्डस्ट्रीज़ आसपास रीजन्स में डेवलप कर सकें उस ओर जोर दिया जा रहा हैं। उत्तर की तरफ गंगानगर और दूसरे इलाकों में साथ साथ फर्टीलाइज़र फैक्ट्री विकसित करने का कार्यक्रम रखा है। भरतपुर में गांव गांव में फीडर, अलवर में खोद रीवां और थानागाजी में मिनरल्स को बढ़ाने की कार्यवाही है। तीसरी योजना में राजस्थान सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे एन्ड माइनिंग ब्योरो ने मिल कर पूरी योजना बनाई है। जहां जहां संभावनायें हैं मिनरल डिपोजिट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूं कि राजस्थान में काफी मिनरल्स हैं, काफी धन है वहां और उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, उसके लिए हम प्रयत्नशील न हों, ऐसी बात नहीं है और उसके लिए पहली आवश्यकता यह होती है कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पहले डिपोजिट्स के बारे में जानकारी करें। किस एक्सटेन्ट तक करें, दूसरी संभावनाओं के बारे में जानकारी करें। वे चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं उन चीजों को यहां पर किया जा रहा है!

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फूड के बजाय स्टील प्लान्ट्स को महत्व दिया गया, वह गलती की। मैं उनको खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टील प्लान्ट्स को महत्व देकर बहुत सही किया गया। इस तरह से कि एक तरफ तो औद्योगीकरण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ स्टील प्लान्ट्स के बिना, पॉवर डेवलपमेंट के बिना, इन चीजों के बिना इन्डस्ट्रियल प्रगति हो ही नहीं सकती। ये दो बेसिक चीजें हैं जिनको पूरा करना है और थर्ड मशीन बिल्डिंग। तीन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो प्रोग्रेस आगे ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। स्टील प्लान्ट्स पर इन्वेस्टमेन्ट किया गया अवश्य और उसका परिणाम तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगीकरण के बारे में सारा का सारा अन्तर आता है। देश के उत्पादन में बहुत बड़ा फर्क है। गवर्नन्ट ऑफ इन्डिया ने बीच में फिगर्स पब्लिश किये थे लास्ट ईयर प्लान में प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक ठीक तो फिगर्स मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ४० पर्सेन्ट के करीब इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। वही बेस बना कर चल रहे हैं थर्ड प्लान में स्टील और मशीन प्लान्ट खास तौर पर हाथ में लिये उसका असर होगा।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज के लिए कम धन राशि रखी गई और दूसरी जगह अधिक रख दी। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि दूसरी योजना में मेडिकल कॉलेज के लिए २५ लाख रुपया बुक हो जावेगा और ५१ लाख तीसरी योजना में। उदयपुर में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं; यह तो स्वाभाविक है कि तीसरी योजना में है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : १८ लाख है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि ५१ लाख के करीब है। मैंने आपकी जानकारी के लिए ये कुछ बातें रखी।

कुछ माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद के लिए काफी उत्साह बताया। कहा गया कि आयुर्वेद में कम कर दिया गया और मेडिकल में बढ़ाया। बीच में स्पष्ट किया था। मेडिकल में दरअसल कई योजनायें थीं जिनको पहले सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड मान कर चलते थे। नर्सिंग कालेज़, मेडिकल कॉलेज बी. सी. जी. वेक्सीनेशन इस तरह की थी। २. ६८ लाख रुपयों के करीब था उनको स्टेट प्लान का पार्ट बनाने की वजह से वह बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है; न कि इस वजह से कि पहले योजना थी उसमें बढ़ा दिया गया।

आयुर्वेद को राजस्थान में जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है उससे सदन के माननीय सदस्य परिचित हैं। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा हम इस पक्ष में हैं कि जितनी ज्यादा आयुर्वेद सेवायें बढ़ाई जायं उतनी बढ़ाई जानी चाहिये बशर्ते कि मेडिकल डिफीकल्टीज़ न आयें।

एक माननीय सदस्य : मेडिकल फेसिलिटीज़ तो बढ़नी चाहिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : श्रीमान्, आयुर्वेदीय ढंग से कुछ आसवों का उत्पादन भी बढ़ाईये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत समितियों के कार्यों के बारे में बहुत जोरदार शब्दों में टीका की। मुझे नहीं मालूम पंचायत समितियों से उनकी क्या नाराजगी है, क्यों उन्होंने इतनी नाराजगी प्रगट की जैसा कि उनके कहने से मालूम होता है वहां सब काम बिगड़ गया हो। मैं ऐसा सोचता हूँ शायद माननीय सदस्य इनका विरोध राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं करते होंगे....

श्री भैरोंसिंह : राजनैतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल पक्ष में हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसा समझने का कोई कारण इसके पीछे नहीं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि इन लोगों के जरिये हम जो आशायें करते हैं जैसा कि उनका कहना है वे पूरी नहीं होंगी; इस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका पूरी तरह से खयाल रखा जा रहा है। यह बात सही है कि पांच, छः जगह टार्गेट्स पूरे नहीं हुए हैं कुछ जगह खामियां हैं। जहां पंचायत समितियों में ठीक तरह से काम किया है वहां सरपंच और पंचायत समिति ने ज्यादा अचीवमेंट किया है। यह समझ कर चलना कि केवल टीका करके हम उनके कार्यों में उत्साह पैदा नहीं कर रहे हैं; यह कहना कि सभी पंचायत समितियों का काम ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। काम शुरू करने के बारे में हमें शुरू से लेकर आखिर समय तक जो कुछ भी बीच का समय रहा है उसका असर काम पर पड़ा है लेकिन जहां कहीं भी काम शुरू किया गया है मेरा आज भी निश्चित विश्वास है कि जो विकेन्द्रित योजना हमने लागू की है उसका निश्चित रूप से ठीक परिणाम आयेगा उसमें किसी कारणवश पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैं यह उसूलन मानता हूं; हमने जो कुछ किया है वह ठीक दिशा में किया है और जिस जन शक्ति का उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वह हमने किया है। इसको हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ावें, यही हमारा ध्येय है। जहां तक गलतियों का सवाल है हो सकती है किसी भी संस्था में लेकिन उसको इसी बिना पर निरूत्साहित करने का रुख रखना उचित नहीं। इस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करूंगा गवर्नर महोदय की स्पीच में और हमने भी पहले यह कहा था पंचायत और पंचायत समितियों को लगान इकठा करने के बारे में अधिकार देना चाहते हैं तो इस बारे में मैं सदन को सूचित कर देना चाहता हूँ कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि हमारे यहां २६ जिले हैं उनमें हर जिले के अन्दर जो पंचायत समितियां कम्पीटिशन के अन्दर फर्स्ट आई हैं हर जिले के अन्दर उन पंचायत समितियों को लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार इसी रबी की फसल से दे दिया जायेगा। यह कार्यक्रम जल्दी से जल्दी राजस्थान में शुरू होगा।

अन्त में, मुझे यह भी निवेदन करना है, जहां हम यह चाहते हैं कि राजस्थान को हम ज्यादा से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ायें वहां

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह मानी हुई बात है कि टोटल इनवेस्टमेन्ट पूरे राजस्थान के विकास पर निर्भर करता है। राजस्थान का जो द्वितीय प्लान था उसके अनुसार हमने स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का कुछ एक्जेम्प्शन प्रोग्राम के अन्दर इन्डस्ट्रीज़ लगाना शुरू किया और यह निश्चित है कि तीसरी प्लान के अन्दर इन्डस्ट्रियल सेक्टर के अन्दर एक्टीविटी बढ़ने वाली है। इस प्रकार से जो इनवेस्टमेन्ट हम करने जा रहे हैं उसका नतीजा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ज्यादा से ज्यादा दिखने लगेगा। राजस्थान नहर और दूसरी चीजों के बन जाने के बाद राजस्थान में ज्यादा प्रोस-पेरिटी मिनरल्स आदि के बारे में फोर्थ फाइव ईयर प्लान में देखने को मिलेगी, जिसका बेस आज बनाया जा रहा है।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भूखी जनता के सामने केवल आश्वासनों से काम नहीं चलता। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें, राजस्थान की जनता के बारे में जितना वे कुछ जानते हैं उनसे कुछ अधिक हम जानते हैं। राजस्थान की जनता इसे केवल आश्वासन समझती है या कुछ राज-स्थान के अन्दर हुआ है, यह बात मुझे आज कहने की जरूरत नहीं। कारण यह कि हर गांव गांव और हर जिला इस बात का साक्षी है राजस्थान में इन दो पंच साला योजना में कितना कार्य हुआ है। इन योजनाओं का असर हुआ है या नहीं यह आज सब जनता जानती है। तीसरी योजना की भूमिका हमने दूसरी योजना में लगादी थी। आज हम राजस्थान की जनता से यह अपील करते हैं कि उन्हें इसके लिये सेक्रीफाइस करने होंगे, मेहनत करनी होगी ताकि भविष्य राजस्थान का उज्जवल बन सके, राजस्थान को मजबूत बना सकें। आप आंकड़ों द्वारा कम्पेरिज़न करवा कर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि राजस्थान में जो कुछ कार्य इन दो योजनाओं में किया उसकी इम्पोर्टेन्स कम होजाय और राजस्थान पिछड़ जाय, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। हमें अधिक एफर्ट करने पड़ेंगे राजस्थान को उपयुक्त स्थान दिलवाने के लिये। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना उसके लिए मजबूत नींव साबित होगी।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० ५.७ बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १४ अप्रेल, १९६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
हथियारों की लाईसेन्स प्राप्ति की अवधि में अभिवृद्धि ।	८३१२	चुरू जिले में हरिजनों को कुओं व कुन्डों के निर्माणार्थ प्रदत्त धन राशि ।	
बूसी ग्राम वृहत् बहुद्देश्यीय सहकारी समिति ।		तहसील उदयपुरवाटी के जमात उदयपुर स्कूल के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियों का स्थानीय अध्यापकों द्वारा नाजायज प्रयोग ।	
कम उम्र के छात्रों की हायर सेकिन्डरी कोर्स समझने की असमर्थता।		योग्य अध्यापकों की वर्तमान वेतन श्रृंखला में अनुपलब्धि ।	
पंचायत समिति, नादोती के अन्तर्गत प्राईमरी स्कूलों के अध्यापकों के प्रायः स्थानान्तरण।		मारवाड जंकशन, रानी व रायपुर में पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखायें खोलना ।	
सोशियल वर्कर्स की नियुक्ति ।		विकास खंडों में टेन्डर सिस्टम से सामान की खरीद ।	
डिविजनल कमीशनरों द्वारा संचालित लोअर डिविजन क्लर्क्स की विभागीय परीक्षायें ।		फर्म्स द्वारा कोटे के माल की कालाबाजारी ।	
खारची व सोजत पंचायत समितियों में कैटल ब्रीडिंग हेतु प्रदत्त ऋण ।		मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण ।	
हनुमानगढ़ के पुलिस सब-इन्सपेक्टर श्री महावीरप्रसाद द्वारा श्री सोहनसिंह की पिटाई करने के फलस्वरुप उसकी मृत्यु ।		टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर ।	
		ग्राम काकियां ।	
		राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा	

स्कम्भ

कॉमर्स के लेक्चरार्स हेतु निर्धारित योग्यता।

देखरेख सहकारी संघ।

किशनपोल बाजार, जयपुर क्षेत्र में जुआगिरी एवं सट्टे की बाहुल्यता।

पंचायत समिति, नोखा द्वारा अनियमित कर वसूली।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में नोखा व कोलायत तहसीलों में खुलने वाले नवीन विद्यालय।

बीकानेर से डाइरेक्टर, कॉलेज शिक्षा विभाग के कार्यालय का जयपुर में स्थानान्तरण।

सीकर जिले में फ्लोराइट के प्रोस्पेक्टिंग व माइनिंग लीज़ के खारिजशुदा आवेदन-कर्ताओं को मुआवजा।

बीकानेर जिले को प्राप्त बंगाल कोयला तथा नालीदार टीन की चद्दरें।

स्थगित प्रश्न
(७-४-६१)

लीज़ अथवा लाइसेन्स के आवेदन-पत्रों पर त्वरित निर्णय।

स्कम्भ

जोइन्ट फार्मिंग सोसाइटी, सरकाबाद, को ट्रेक्टर की खरीद हेतु मिली धन राशि।

पंचायत समितियों के क्षेत्रान्तर्गत मॉडल कृषि फार्म।

स्थगन प्रस्ताव ८३७६

गांव सुरेंचा, पंचायत समिति लूनी, जिला जोधपुर के तालाब का पानी दूषित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री अनूपसिंह, सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई, उप-मन्त्री ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया।

विधेयकों पर प्रवर समितियां ८३८४

निम्नांकित विधेयक, जो दिनांक ११ अप्रेल, १९६१ को प्रवर समितियों के सुपुर्द किये गये थे उनके सदस्यों के नाम आज घोषित किये गये:—

(१) राजस्थान कसर भोम उत्पादन विधेयक, १९६१

(२) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१

(३) राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १९६१

सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. राजस्थान कसर भोम उत्सादन विधेयक, १९६१

(१) प्रभारी मंत्री सभापति

(२) श्री लालसिंह

(३) श्री फूलजी भाई

(४) श्री बृजमोहनलाल शर्मा

(५) रावल श्री नरेन्द्रसिंह

(६) श्री सूरजमल

(७) श्री रामनारायण

(८) ठाकुर श्री मदनसिंह

(९) श्री नाथीसिंह

(१०) श्री बालमुकुन्द

(११) श्री रामधन

(१२) श्री देवीलाल

(१३) श्री नारायणसिंह (डिग्गी)

(१४) श्री हजारीलाल बकोलिया

(१५) श्री मांगीलाल

(१६) श्री मोहूलाल

(१७) श्री किशनसिंह बाटड़

(१८) श्री हरिकिशन

(१९) श्री अमृतलाल पायक

(२०) श्री भैरवलाल 'काला बादल'

(२१) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री

(२२) श्री महादेवप्रसाद बंका

(२३) श्री उम्मेदीलाल

(२४) श्री तेजमल बापना

(२५) श्री भैरोंसिंह (२४)

२. राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६१

(१) श्री प्रभारी मंत्री सभापति

(२) डॉ० चन्द्रकला

(३) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(४) श्री बी. एन. जोशी

(५) श्री लल्लूराम

(६) श्री जयसिंह राणावत

(७) श्री गुलाबसिंह

(८) श्री जयचन्द मोहिल

(९) श्री लक्ष्मण हीरात

(१०) श्री धर्मपाल

(११) श्री मानकचन्द कोठारी

(१२) श्री वलीमोहम्मद

स्कम्भ

(१३) श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया
(१४) श्री सूबेदारसिंह
(१५) श्री भंवरलाल शर्मा
(१६) श्री गोकुलचन्द
(१७) श्री ज्ञानचन्द मोदी
(१८) श्री लक्ष्मीचन्द
(१९) श्री वीरराम
(२०) श्री लादूराम
(२१) श्री दयाकृष्ण विजय
(२२) श्री किशनाराम
(२३) श्री महेन्द्रसिंह सेठ
(२४) श्री भोगजी भाई
(२५) श्री अर्जुनदास।

३. राजस्थान राज्य पशु मेला विधेयक, १९६१

(१) प्रभारी मंत्री सभापति
(२) डॉ० बहादुरसिंह
(३) श्री गोपाललाल पुरोहित
(४) श्री रावतराम नहाल
(५) श्री धन्नालाल हरित
(६) श्री संपतराज जैन
(७) श्री सुगनचन्द जैन
(८) श्री मनोहर कोठारी
(९) श्री नाथूराम भील
(१०) श्री गणपतिलाल वर्मा
(११) श्री नारायणलाल
(१२) श्री शिवनाथसिंह
(१३) श्रीमती गौरी पूनिया
(१४) श्रीमती कमला श्रोत्रिय
(१५) श्री रावतराम (१४२)
(१६) श्री तेजपाल
(१७) श्री दलीपसिंह
(१८) श्री रामकरणसिंह
(१९) श्री चन्द्रसिंह
(२०) श्री रूपाराम
(२१) श्री बेनाराम गहलोत
(२२) श्री मनरूपराम
(२३) श्री अनूपसिंह
(२४) रावराजा श्री सरदारसिंह
(२५) श्री होतीलाल।

स्कम्भ

घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि जन लेखा समिति, १९६१-६२ के लिये श्री हरिदेव जोशी तथा प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ के लिये श्री भोला-नाथ को सभापति नियुक्त किया

गया है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि जनलेखा समिति, १९६१-६२ तथा प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का कार्य काल दिनांक १४ मई, १९६१ से प्रारम्भ होगा।

सदन की निम्नांकित समितियां भी अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत की गईं जिनके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

(क) याचिका समिति (Committee on Petitions):—

(१) राव श्री नारायणसिंह मसूदा सभापति
(२) श्री शंकरलाल
(३) श्री श्रीनिवास शारदा
(४) श्री लक्ष्मण हीरात
(५) श्री अर्जुनदास
(६) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(७) श्री शिवचरणदास
(८) श्री जयचन्द मोहिल
(९) डॉ० चन्द्रकला
(१०) श्री संपतराज जैन

(ख) विशेषाधिकार समिति (Committee on privileges):—

(१) श्री तेजमल बापना सभापति
(२) श्री भंवरलाल शर्मा
(३) श्री बृजमोहनलाल शर्मा
(४) श्री तेजपाल
(५) श्री नाथूराम भील
(६) श्री मनरूपराम परिहार
(७) मेजर श्री फतहसिंह
(८) श्री अनूपसिंह
(९) श्री मानकचन्द कोठारी
(१०) श्री रघुवीरसिंह।

(ग) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, १९६१-६२ (Committee on subordinate Legislation, 1961-62) :-

(१) श्री चन्दनमल वैद सभापति
(२) श्रीमती प्रभा मिश्रा
(३) श्री सोहनलाल भटनागर
(४) श्री घासीराम
(५) श्री सम्पतराज
(६) श्रीमती गंगा देवी डाटा
(७) श्री आबिदअली

(८) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(९) श्री महेन्द्रसिंह पंवार

(१०) श्री जेठमल बरवाड़ ।

इस समिति का कार्यकाल दिनांक १८ मई, १९६१ से प्रारम्भ होगा ।

(घ) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, १९६१-६२ (Committee on Government Assurances, 1961-62) :-

(१) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी सभापति

(२) श्रीमती गोरी पूनिया

(३) श्री मोहरसिंह

(४) श्री पन्नालाल हरित

(५) श्री हरिप्रसाद यादव ।

इस समिति का कार्य-काल दिनांक १८ मई, १९६१ से प्रारंभ होगा।

(ङ) नियम समिति (Rules Committee) :-

(१) श्री अध्यक्ष पदेन सभापति

(२) श्री मूलचन्द डागा

(३) श्री बी. एन. जोशी

(४) जनार्दनराय नागर

(५) श्री मोहब्बतसिंह

(६) श्री शिवनाथसिंह

(७) श्री भंवरलाल शर्मा

(८) श्री भैरोंसिंह (१४)

(९) श्री किशनाराम

(१०) श्री रघुवीरसिंह ।

(च) गृह समिति, १९६१-६२ (House Committee, 1961-62) :-

(१) श्री रामदेवसिंह सभापति

(२) श्री हरिकिशन

(३) श्री गुलाबसिंह

(४) श्री होतीलाल

(५) कुमारी शन्नोदेवी ।

इस समिति का कार्यकाल तुरन्त प्रारम्भ होगा ।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन ८३९३

(क) श्री चन्दनमल वैद, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, १९६०-६१ ने समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

(ख) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी,

सभापति, आश्वासन समिति, १९६०-६१ ने समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। ८३९३

श्री तेजमल बापना, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।

उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् श्री तेजमल बापना, सभापति ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :–

"यह सदन विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।" —

उक्त प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार ८४२०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव, जिसकी प्रति दिनांक ५ अप्रेल, १९६१ को सदन की मेज पर रखी गई थी, को विचारार्थ लिया जाय, आज भी विचार किया गया जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

(१) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
(२) श्री मूलचन्द डागा
(३) श्री लक्ष्मीचन्द
(४) श्री जनार्दनराय नागर
(५) श्री भैरोंसिंह (१४)
(६) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
(७) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(८) श्री श्रीभानसिंह
(९) श्री सोहनलाल भटनागर।

सरकार की ओर से श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री व श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ का उत्तर देखिये)

इस वक्त ४ पी. एम. श्री हनुमानसिंह वल्द भूरसिंह राजपूत साकिन हनुमानगढ़ टाउन में एक किता रिपोर्ट तहरीरी वदी मजमून श्रीमान् थानेदार साहब, थाना पुलिस हनुमानगढ़ श्रीमानजी, चक १० एच. एम. एच. का रहने वाला हूँ। मैं यहां खेती का काम करता हूँ। श्री सोहनसिंह राजपूत, गांव अनोखू का मेरे सगा है आज दिन ढले श्री प्रेमसिंहजी आर और कहा कि सोहनसिंहजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है और वह अस्पताल में है। इस पर मैं प्रेमसिंह और जवानसिंहजी तीनों अस्पताल में पहुँचे। तब श्री सोहनसिंहजी अस्पताल में मांचे पर सोये हुए थे। तब हमने प्रेमसिंहजी को भेजा कि जाकर चाय ले आओ। जब प्रेमसिंहजी चाय लेकर आया तो वह जरा सी चाय उनको पिलाई। उस पर होश आया, हमारे पूछने पर श्री सोहनसिंह ने बताया कि मैं ६ एच. एम. एच. में थेड पर झोपड़ी में रहता हूँ। ३ दिन पहिले की बात है कि मेरे पास अली मोहम्मद छीपा, गुलाम मोहम्मद और सुलतान तीन आदमी साकिन हनुमानगढ़ आये और भुठी निकालने के बारे में बातचीत की मेरे रूबरू किशोरसिंहजी और उगमसिंहजी तीनों शर्तों से यह तय हुई कि भुठी मेरे खेत में खोद ले। मेरे भुठी के पैसे नहीं, तुम्हारी मजदूरी नहीं। इस पर उन्होंने लकड़ी ले जानी शुरू कर दी। इसके बाद कल शाम को मैं खेत में गया तो देखा मेरे खेत में पचास से ज्यादा भुठी ऊपर काट कर ले जाई हुई थी। तब मुझे खयाल हुआ कि खेत बंजड़ का बंजड़ रह गया, ऊपर लकडी मुफ्त में गई। मैं वापिस झोंपड़ी गया। ग्यानसिंह वल्द जवाहरसिंह और रामचन्द्र वल्द मानसिंह मजहबी सिवदान साकिन चक वडसिंहवाला आये हुये मिले। उन्होंने भुठी खोदने के लिये बातचीत की। तब मैंने उनसे यह तय किया कि तुम्हारी मजदूरी नहीं और मेरी लकड़ी नहीं और कल से खोदने का काम शुरू कर दो, पहले मैंने तीन मुसलमानों को इस तरह खोदने के काम का ठेका दिया। मगर उन्होंने ऊपर की लकड़ी काटली. कल से मैं उनको रोक दूंगा। सुबह सूर्य उदय खेत में चला गया। आज घडी दिन चढे अली मोहम्मद गुलाम मोहम्मद और सुलतान मुसलमान साकिन हनुमानगढ़ मय एक सांढ़ और ऊंट वहां मेरे खेत में आये। इनके पास कुल्हडियां लाठियां थी। मैंने अली मोहम्मद आदि तीनों से कह दिया तुमने भुठी जड़ से नहीं खोदी ऊपर से काटली है इसलिये बंजड ठीक नहीं होता। मैंने दूसरे आदमियों को भुठी खोदने का ठेका दे दिया। मगर वे नहीं माने और जबर्दस्ती लकड़ी काटने पर उतारू हो गये। इस पर मेरे और उनके बोलचाल हो गई तो अलीमोहम्मद गुलाममोहम्मद और सुलतान ने मेरे बदन पर

५, ७ लाठियां मारीं। मेरे चिल्लाने पर रामचन्द्र और ज्ञानसिंह आ गये। हम तीनों ने अपने बचाव के लिये अलीमोहम्मद आदि उन तीनों पर लाठियां चलाई। मुलजमान ने कुल्हाडियों से हम पर वार शुरू किये मगर वो हम अपनी लाठियों पर टाल गये। तीनों मुसलमान वहां से भाग छूटे। उनकी सांड़ व ऊंट वही पर रह गये। रामचन्द्र व ज्ञानसिंह भी वहां से चले गये। थोड़ी देर बाद चोटों के दर्द से मेरी तबियत खराब हो गई और मुझे बेहोशी आ गई। मुझे नहीं पता अस्पताल में कैसे पहुँचा। मुझे अभी होश आया इतनी बात कहने के फिर आखे बन्द हो गई और सोहनसिंह को फिर मूर्छा सी आ गई। तब मैंने वहां खड़े पुलिस वालों को कहा कि डॉक्टर को जल्दी बुला कर दिखलाओ, मैं थाने जाता हूँ। सोहनसिंह के सिर पर व हाथों पर चोटे लगी थीं और सोहनसिंह की हालत खतरनाक है। इसलिये मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि सोहनसिंह बेगुनाह को छोड़ा जाय और उसके साथ गुनाह करने वाले अली मोहम्मद वगैरह को बन्द किया जाय।

प्रार्थी

हनुमानसिंह, तारीख ११–६–६० को

पेश की।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६८ का उत्तर देखिये)

चूरू जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा कुओं के निर्माणार्थ दी गई सहायता की सूची

क्रम. संख्या	नाम गांव	तहसील	कुओं की संख्या	रकम रु० में
१	२	३	४	५
१९५५–५६				
१.	रामपुरा	राजगढ़	१	५००
२.	राजगढ़	राजगढ़	१	५००
३.	लाडीवास	राजगढ़	१	५००
४.	ढूंडाखेड़ी	राजगढ़	१	५००
५.	राजगढ़	राजगढ़	१	५००
६.	तारानगर	तारागढ़	१	५००
१९५६–५७				
१.	बरड़ासर	सरदारशहर	१	५००
२.	डूंगरगढ़	डूंगरगढ़	१	५००
३.	देलवा	डूंगरगढ़	१	५००
४.	राजगढ़	राजगढ़	१	५००
५.	राजगढ़	राजगढ़	१	५००
६.	रावतसर	राजगढ़	१	५००
७.	विजयवास	राजगढ़	१	५००

१	२	३	४	५
१९५७–५८				
१.	लूडीछजूवास	राजगढ़	१	५००
२.	मेघसर	चुरू	१	१,५००
३.	सादुलपुर	राजगढ़	१	५००
१९५८–५९				
१.	सरदारशहर	सरदारशहर	१	४,५०० यह रकम नगरपालिका को दी।
१९५९–६०				
१.	सरदारशहर	सरदारशहर	१	२,००० यह रकम
२.	मूहाड़ी	राजगढ़	१	२,००० नगरपालिका
३.	लम्बोर बड़ी	राजगढ़	१	२,००० को दी।
४.	बूंउडी	राजगढ़	१	२,५००
५.	राजगढ़	राजगढ़	१	१,०००
६.	रतनगढ़	चुरू	१	१,५००
७.	चुरू	चुरू	१	२;५००
८.	बरड़ासर	सरदारशहर	१	२,०००
९.	नामा	राजगढ़	१	२,०००
१०.	हरपालूकुबड़ी	राजगढ़	१	२,०००

[redacted]

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७३ का उत्तर देखिये)

ESSENTIALITY CERTIFICATE AND QUOTA CERTIFICATES ISSUED TO BHARAT WIRE PRODUCTS

ESSENTIALITY CERTIFICATE

S. No.	L. C. No.	Date	Material	quantity	Licence issued	Material received.	Production.	Balance in hand
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9
1.	SSI/99	28-12-59	G. I. Wire	50 Tons.	6 1/2 Tons.	Nil.		
2.	SSI/100	28-12-59	G. I. Wire shorts.	50 Tons.	6 1/2 Tons.	Nil.		
3.	SSI/60-61/190	13-1-61	G. I. Wire	6 1/2 Tons.	Licence not received.	Nil		
4.	SSI/60-61/191	13-1-61	G. I. Wire shorts.	6 1/2 Tons.	-do-	Nil		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTA CERTIFICATE								
1. quarrter IV 58			G. I. Wire.	8 Tons.		8 Tons.		
2. quarter I/59			-do-	16 Tons.		16 Tons.		
3. quarter II/59			-do-	40 Tons.		40 Tons.		
4. II Half yearly 59-60			-do-	106 Tons.		Not received.		
5. I Half yearly 60-61			-do-	90 Tons.		-do-		
					Total:—	64 Tons.	54 Tons.	10 Tons

परिशिष्ट

ESSENTIALITY CERTIFICATES AND QUOTA CERTIFICATES ISSUED TO M/S RAJASTHAN CYCLE & PARTS INDUST RIES JAIPUR.

ESSENTIALITY CERTIFICATES.

S. No.	E. C. No.	Date	Raw materials.	Amount	Licence issued.	Material received.	Production	Balance.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	87	30-1-58.	Cycle parts, 2,500 sets.	Rs. 17,000/-	Rs. 17,000/-	Rs. 17,000/-	9,740 Frames produced for assembling cycles. (for items 1–5)	Nil
2.	20	13-8-58.	-do-	Rs. 25,000/-	Rs. 26,000/-	Rs. 25,000/-		
3.	20	20-12-58	-do-	Rs. 25,000/-	Rs. 25,000/-	Rs. 25,000/-		
4.	SSI/60	28-7-59	-do-	Rs. 25,000/-	Rs. 25,000/-	Rs. 25,000/-		
5.	SSI/55	28-12-59.	Cold Rolled stripts 50 Tons.	Rs. 53,330/-	Rs. 6,250/-	Not received.		
6.	SSI/154	29-12-59	Brass tubes.	Rs. 50,000/-	Rs. 50,000/-	-do-		
7.	SSI/60/393	14-8-60	Cycle parts 2,500 sets.		2,500 sets.	Partly received.		

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	SSI/60/295	13-8-60.	Auto attachments	Rs. 10,000/-	Not issued.	—		
9.	SSI/60/294	13-8-60	Aluminium tubes.	Rs. 5,000/-	-do-			
10.	SSI/60/293	13-8-60	B. P. sheets. cutting 12 tons.	—	-do-			
11.	SSI/60-61/ 195.	13-1-61.	Cold Rolled sheets.	Rs. 6,250/-	-do-			
12.	SSI/60-61/ 196.	13-1-61.	B. P. sheets cutting.	Rs. 750/-	-do-			
13.	SSI/60-61/ 519.	31-1-61.	Auto attachments.	Rs. 10,000/-	-do-			
14.	SSI/60-61/ 520.	31-1-61	Aluminium tubes.	Rs. 5,000/-	-do-			
15.	SSI/60-61/ 522.	31-1-61.	Packing & wrapping paper.	Rs. 2,000/-	-do-			

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	SSI/60-61/ 521.	31-1-61.	Brass tubes.	Rs. 50,000/-	Not received.			
17.	SSI/60-61/ 523.	31-1-61.	B. B. shell	Rs. 5,000/-	-do-			
18.	SSI/60-61/ 524.	31-1-61.	Cycle parts. 2,500 sets.	—	-do-			

परिशिष्ट

QUOTA CERTIFICATES.

S. No.	Quarter	Category	Quantity	Quantity received.	Production of conduit pipe.	Balance in hand.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	IV/58	B. P. Sheets for conduit pipes	9 1/2 Tons.	9 1/2 Tons.		
2.	I/59.	-do-	12 Tons.	12 Tons.		
3.	II/59.	-do-	25 Tons.	25 Tons.		
4.	II Half yearly 59-60-	-do-	47 Tons.	Nil		
5.	I Half yearly 60-61.	-do-	50 Tons.	Nil.		
			Total:—	96 1/2 Tons.		
			Procured from market.	10 Tons.		
			Total:—	106 1/2 Tons.	101 1/2 Tons.	5 Tons

परिशिष्ट

ESSENTIALITY CERTIFICATES AND QUOTA CERTIFICATES ISSUED TO MURLIDHAR JHUNJHUNUWALA (P) Ltd.

ESSENTIALITY CERTIFICATES.

S. No.	L. C. No.	Date	quantity	Licence issued quantity.	Material received	Production	Balance in hand
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
INDUSTRIAL SCRAP							
1.	SS1/84	27-7-59.	350 Tons.	380 Tons.	197		
2.	SS1/185	28-1-60	380 Tons.	190 Tons.	Nil		
3.	SS1/60/17	7-7-60	380 Tons.	No licence issued.	Nil		
4.	SS1/60/168	13-1-61	55 Tons.	No licence received.	Nil		
					Total-197 Tons.	186 Tons, 5 cwt.	10 Tons., 15 cwt

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
TIN PLATES FOR TIN CONTAINERS							
5.	SS1/2	13-11-59	148 Tons.	148 Tons.	Nil		
6.	SS1/60/16	1- 7-60	148 Tons.	No licence received	Nil		
7.	SS1/68/61/66	13-1-61	184 Tons.	-do-	Nil		
G. I. WIRE.							
8.	SS1/3	13-11-59	960 Tons.	480 Tons.	480 Tons.		
9.	SS1/60/15	1-7-60	960 Tons.	480 Tons.	480 Tons.		
10.	SS1/60/61/167	13-1-61	120 Tons.	No licence received.	Nil		
				Total:—	960 Tons.		
				Received through barter.	261 Tons.		
				G. Total:—1,211 Tons.	1,121 Tons., 10 Cwt. 3 r.,3 Lb.		Rest in hand.

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
DIE STEEL.							
11.	S S 1/60/61/51	12-1-61.	3 Tons.		No licence received.	Nil	
MACHINERY.							
12.	S S I/60/14	1-7-60	Two deep drawing machines.		No licence received.	Nil.	
QUOTA CERTIFICATES.							
13.	Qua-ter 1159-60.	4-9-60	Wire	36 Tons.		No material received.	
		26-10-60	Sheet	10 Tons.			
14.	Period II Half Yearly 59-60	17-2-60	Wire	557 Tons.		-do-	
		24-3-60	Sheets	19 Tons.			

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Ist Half Yearly 60-61.	16-9-60.	Wire	144 Tons.	No material received.		
		18-9-60	Sheets	42 Tons.			

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८२ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति नोखा द्वारा लगाये गये करों की सूची

(१) पंचायत समिति, नोखा (बीकानेर) ने अपनी बैठक दिनांक २८-१०-५६ के प्रस्ताव में निम्नलिखित टैक्सेज़ लगाये थे :-

नाम टैक्स	रेट
(१) (i) धारा ३३ (१) क ख ग के अधीन कृषि भूमि के उपयोग अथवा अभिधारण करने वाले या उस भूमि की सायर आमदनी प्राप्त करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से भुगतान योग्य लगान पर कर।	५ न० पै० प्रति रुपया
(ii) कृषि भूमि के उपयोग या अभिधारण करने वालों से भूमिधारक द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लगान पर कर।	५ न० पै० प्रति रुपया
(iii) माफी वगैरह की कृषि भूमि के कल्पित लगान पर कर।	५ न० पै० प्रति रुपया
(२) धारा ३३ (२) २ के अधीन अचल सम्पति के हस्तान्तरण पर दी जानी वाली स्टाम्प ड्यूटी पर अधिकार।	१५ न० पै० प्रति रुपया की दर से
(३) धारा ३३ की उप धारा (२) ४ के अधीन पशु-मेला की बिक्री पर कर :—	बेचनेवाले से मवेशी की कीमत पर ३ न० पै० प्रति रुपया तथा मोल लेने वाले से आठ आना प्रति मवेशी।

ये टैक्स सम्वत् २०१६ के भू-राजस्व लगान के साथ (जो माह दिसम्बर, ५६ से वसूल होना शुरू होता है) वसूल किये जाने शुरू किये गये थे तथा पशु मेला कर (समिति द्वारा आयोजित पशु मेला) माह अक्टूबर, ५६ में शुरू किये गये थे।

उपरोक्त टैक्सों से निम्न प्रकार आय हुई :—

नाम टैक्स	३१ मार्च, ६० तक की आय	३१ दिसम्बर, ६० तक की आय
(१) भू-राजस्व लगान पर कर की आय	रु० ११,११६.६६ न० पै०	रु० ५०६.२७ न० पै०
(२) स्टाम्प ड्यूटी टैक्स की आय	रु० ८६.३८ न० पै०	रु० १६४.०६ न० पै०
(३) पशु मेला कर आय	रु० १,३४२.३४ न० पै०	रु० १६०३.६८ न० पै०

भू-राजस्व पर लगान संख्या २०१६ में १३,३४६.६७ न० पै० तथा सं० २०१७ में १३,४६६.६ न० पै० इस टैक्स की राशि निर्धारित हुई थी, जिनमें से २०१६ के मतालबे में से ११,६४१.५४ न० पै० तथा सं० २०१७ के मतालबे में से ४६८.४८ न०पै० की राशि अब तक वसूल हो चुकी है।

———

शुद्धि-पत्र

(१४ अप्रैल, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८३१७	७	शित्ता मंत्री	शिक्षा मंत्री
,,	१०	समिि	समिति
८३२२	शीर्षक	—	८३२२]
८३३४	१७	छात्रवृत्तियों	छात्रवृत्तियां
८३३६	८	श्र खला	शृंखला
८३३८	१३	ब्रान्चेंज़	ब्रांचेज
८३४४	अन्तिम से २	exen thet	extent, the
८३४५	५	पोइन्टस	पोइन्ट्स
८३४६	१७	श्री मेरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह,
८३४७	१२	Knonw	know
,,	१९-२०	Hon'bln Speaker'	Hon'ble Speaker,
८३४८	२७	gsant	grant
८३५०	शीर्षक	३५०]	८३५०]
,,	२०	रिमेम्रेन्सर	रिमेम्ब्रेन्सर
८३५४-५५	शीर्षक	१७ अप्रैल	१४ अप्रैल.
८३५४	३	कृपा इसकाविवरण	कृपया इसका विवरण
८३५५	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर.
,,	२	व्यारा	ब्योरा
८३६४	२२	इहलीगल	इल्लीगल-
८३६९	९	प्रोक्पेक्टिंग	प्रोस्पेक्टिंग
८३७२	१९	प्रश्न स्थगित	स्थगित प्रश्न
८३७७	२	मर्डोल	मॉडल
८३७८	शीर्षक	विभिन्न सूचनाओं	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	७	(विराल)	(विराम)
८३७९	शीर्षक	सम्बन्धी	विभिन्न सूचनाओं सम्बन्धी वाद-विवाद
,,	६	nembers	members
८३८०-८१	शीर्षक	ताला-१४ अप्रैल, ६०	तालाब-१४ अप्रैल, ६१
८३८०	२५	अघूमन	अमूमन

१	२	३	४
८३८०	अन्तिम से २	ओर	और
८३८४	१०	कसार भोम	कसर भोम
८३८६	१५–१६	नियुक्त राव किया	नियुक्त किया
८३९१	३	बरवाड़ा	बरवड़
८३९२	१८	की उपस्थापन	का उपस्थापन
८३९३	१६	jt	It
८३९४–९५	शीर्षक	१३ अप्रेल, ६१ प्रतिवेदन पर विचार विमर्श	१४ अप्रेल ६१–प्रतिवेदन पर विचार विमर्श
८३९६	५	(Act 21 of 1963)	(Act 21 of 1960)
८३९८	६	Lock Sabha	Lok Sabha
८३९९	२१	कुछ न और	न कुछ और
८४००	२०	अग्रवाल	अग्रवाल
,,	अन्तिम से ४	caund	can
८४०१	७	He isa	He is a
८४०३	अन्तिम से २	लिखगया है।	लिखा गया है।
,,	अन्तिम पंक्ति	एविडेन्सी के	एवीडेन्स को
८४०४	१६ व १७	High Capourt	High court.
,,	३०	presumef	presumed
,,	३१	behali	behalf
८४०५	८–९	proviassion	provision
,,	१०	Amendmen	Amendment
,,	१६	Hon, ble	Hon'ble
८४०६	१०	the' Hon, ble	the Hon'ble
,,	११	thr	the
,,	१४	Hon'	Hon'ble member
,,	२६	nery	very
,,	२७	Gourtabout	Court about
,,	२८	othe, rwise	otherwise
८४०७	३०	I we	If we
,,	अन्तिम से ३	themo	them
८४१८	१–२	चौधारी : we treat question	चौधरी : we treat the question
८४१९	१५	exercice	exercise

(३)

१	२	३	४
८४२०	२	(चेयरमेन)	(सभापति, विशेषाधिकार समिति)
,,	अन्तिम से ३	अग्रेतप	अग्रेतर
८४२८-२६,	शीर्षक	१३ अप्रेल	१४ अप्रेल
८४८४-८५व			
८५२०-२१			
८४३१	२३	व्ययस्था	व्यवस्था
८४३२	शीर्ष	(श्री मूलचन्ढ	(श्री मूलचन्द
८४४१	६	ल्लास	क्लास
८४४३	१६	श्री मेरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
८४४४	११	आवाहवा	आबहवा
८४४५	३	ग्रमीण	ग्रामीण
८४५५	शीर्षक	३ योजना	योजना
८४६७	अन्तिम से २	हुइ	हुई
८४६८	शीर्षक	राजस्थन तीय	राजस्थान तृतीय
८४७०	शीर्षक	तीय	तृतीय
८४७२-७३	,,	अप्रल	अप्रेल
८४७४,	,,	ततीय	तृतीय
८४८२ व			
८५२२			
८४७४	१७	यह वह	वह यह
८४७५	२	जाहिए थी	चाहये थी
८४७८	शीर्षक	श्री मैरींसिंह	श्री भैरोंसिंह
८४८०	१४-१५	मशीनरी एचीव	मशीनरी ने एचीव
८४८२	५	कन्स्टेक्शन	कन्स्ट्रक्शन
८४८३	६	एग्रीक्लचरल	एग्रीकल्चरल
,,	२६	लाज़	लूज़
८४८६	शीर्षक	राजस्था	राजस्थान
८४८७	अन्तिम पंक्ति	वक्तनफ-वक्तन	वक्तन-फवक्तन
८४८८	१	संदन	सदन
,,	१८	मुल्कों	मुल्कों
८४६०	शीर्षक	पंचवर्षीय	पंचवर्षीय
८४६२	२२	समय मी	समय भी
८४६४	१८	कोआरेटिव	कोऑपरेटिव
८४६५	१२	incluuing	including

१	२	३	४
८४९५	अन्तिम से ३	Bhatanagar Only fifteen mindtes.	Bhatnagar. Only fifteen minutes.
८५००	५	Iwo uld	I would
८५०३	१	टार्गेट्स अचीवमेंट	टार्गेट्स के अचीवमेंट
८५०४	१	पर्सस	पर्सन्स
८५०५	४	अचीवमेन्टस	अचीवमेन्ट्स
८५०६	४	सेन्ट्रेल	सेन्ट्रल
८५०८	२२	हमने	हमें
८५१२	१२	क। हमारे यहां टैक्निक्ल एक्सपर्टस	करें। हमारे यहां टैक्निकल एक्सपर्ट्स
,,	१३	वर्कस	वर्कर्स
,,	१४	एक्सपर्टर्स	एक्सपर्ट्स
,,	२८	टार्गेटस	टार्गेट्स
८५१६	शीर्ष	भटनाबर	भटनागर
८५१७	२०	एप्रोच रोड !	एप्रोच रोड।
८५१९	३	Hon'le	Hon'ble
,,	२३	की ओर	की ओर
८५२०	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान
८५२२	शीर्ष	श्री नायूराम	श्री नाथूराम
८५२४	६	टार्गेट्	टार्गेट
८५२५	१०	एक्टेन्सिव	एक्सटेन्सिव
,,	२३	फैक्ट्स	फैक्टर्स
८५२६	अन्तिम पंक्ति	जिसको में	जिसको मैं.
८५२९	१५	एनेला ज़	एनेलाइज़
८५३०	शीर्षक	ततीय	तृतीय
८५३४	शीर्ष	मिर्घा	मिर्धा
८५३७	२५	कम्पेरेटिव	कम्पेरेटिव
८५३९	१५	इस्यू	इश्यू
८५४१	२०	ल्केरिफिकेशन	क्लेरिफिकेशन
,,	२१	राट्इस	राइट्स
८५४२	शीर्षक	तृताय	तृतीय
८५४६	२७ व २९	एक्सपटस	एक्सपर्ट्स
८५५२	५	एक्जेम्प्शन	एग्ज़ेम्प्शन
८५५७	१४	द्वारा दी	द्वारा नहीं दी

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८३८८-८९	शीर्षक	१३ अप्रैल, ६०	१४ अप्रैल, ६१
८४३४	,,	राजस्थन	राजस्थान
८४६२	,,	पंचवर्षीव	पंचवर्षीय
८४७०	शीर्ष	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
८४८२	शीर्षक	ततीय	तृतीय
८४८४	,,	राजस्थन	राजस्थान
८५२२	,,	ततीय	तृतीय